खान मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय

खनिज खोज न्यास

(खान मंत्रालय के तत्वधान में एक
स्वायत्त निकाय)

वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

विषय-वस्तु

क्र. सं.	अध्याय	पृ. सं.
1.	राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास: एक अवलोकन	04
	• विजन	04
	• उद्देश्य और कार्य	05
2.	राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की अवसंरचना	06
	• शासी निकाय के कार्य	06
	• शासी निकाय की संरचना	07
	• कार्यकारी समिति के कार्य	08
	• कार्यकारी समिति की संरचना	09
	• परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन	10
	• तकनीकी-सह-लागत समिति की संरचना	10
	• एनएमईटी सचिवालय की संरचना	11
3.	शासी निकाय, कार्यकारी समिति और तकनीकी-सह-लागत समिति की बैठकें	12
	• शासी निकाय	12
	• कार्यकारी समिति	13
	• तकनीकी-सह-लागत समिति	15
4.	पुरस्कार और प्रोत्साहन	17
5.	आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा सृजन	19
	• राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी)	19
	• राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर)	21
	• राष्ट्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनजीपीएम)	21
	• गहन-भूकंपीय परावर्तन सर्वेक्षण (डीएसआरएस) और मैग्नेटोटेल्यूरिक सर्वेक्षण (एमटी)	21
6.	परियोजनाओं की स्थिति	23
7.	वित्तीय निष्पादन	27
8.	अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियां	29
9.	एनएमईटी द्वारा किए गए कार्यों की मुख्य विशेषताएं	31
10.	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएमईटी की उपलब्धि	33
	अनुलग्नक-1 एनएमईटी की अधिसूचना	34
	अनुलग्नक-2 एनएमईटी के नियम	37
	अनुलग्नक-3 एनएमईटी संशोधन नियम, 2018	47
	अनुलग्नक-4 खनिज अन्वेषण में अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को लगाने हेतु योजना	51
	अनुलग्नक-5 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन योजना	59
	अनुलग्नक-6 राज्य सरकारों को मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्रों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम	61
	अनुबंध- 7 वित्त वर्ष 2023-24 में एनएमईटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची	65

अनुलग्नक-8 वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमोदित खनिज अन्वेषण परियोजनाओं की सूची 72

अनुलग्नक-9 वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमोदित आधारभूत भूविज्ञान आकड़ा सृजन परियोजनाओं की सूची 80

अनुलग्नक-10 वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमोदित खरीद परियोजनाओं की सूची 81

अनुलग्नक-11 एनएमईटी के माध्यम से सीधे खनिज अन्वेषण में अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को लगाने की योजना 82

अनुलग्नक-12 वित्तीय सहायता के लिए मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/उपकरण की खरीद की विस्तृत सूची 93

फ़ील्ड फ़ोटो 95

खान मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास: एक अवलोकन

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9सी (1) एवं 9सी (2, 3, 4 एवं 13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 14 अगस्त, 2015 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा क्रमशः 'राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास' (एनएमईटी) की स्थापना की तथा उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों आदि के आधार पर क्षेत्रीय एवं विस्तृत खनिज अन्वेषण गतिविधियों, खनिज विकास, सतत खनन एवं खनिज निष्कर्षण धातुकर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नियम, 2015 तैयार किए। इस ट्रस्ट को खनन पट्टा और पूर्वेक्षण लाइसेंस -सह-खनन पट्टा धारकों से योगदान प्राप्त होता है। एनएमईटी योगदान एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के तहत खनिजों के लिए भुगतान रॉयल्टी के 2% के बराबर है। एनएमईटी अधिसूचना और नियम अनुलग्नक-1, 2 और 3 के रूप में संलग्न हैं।

इस न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देश माननीय केंद्रीय खान मंत्री की अध्यक्षता वाली शासी निकाय (जीबी) के पास है। शासी निकाय न्यास के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा निर्धारित करता है और इसके कामकाज की समीक्षा करता है। सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति (ईसी), ट्रस्ट की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षण करती है और नियमित अंतराल पर ट्रस्ट की गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा करती है। खनिज अन्वेषण परियोजना प्रस्तावों के तकनीकी और लागत मापदंडों का मूल्यांकन करने, क्षमता निर्माण और आधारभूत सर्वेक्षण परियोजना प्रस्तावों के लिए एक तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) का भी गठन किया गया है। टीसीसी अनुमोदन के लिए ईसी को उपयुक्त प्रस्तावों की सिफारिश करती है।

विजन:

भारत में खनन क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाना।

उद्देश्य और कार्य:

1.	गहराई में स्थित या छुपे हुए खनिज निक्षेपों की पहचान, अन्वेषण, निष्कर्षण करना, सञ्जीकरण करना और परिष्कृत करना।
2.	खनिज विकास, सतत खनन, उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धतियों को अपनाने तथा खनिज निष्कर्षण, धातुकर्म हेतु अध्ययन करना।
3.	विशेष रूप से सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता देते हुए, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के लिए क्षेत्रों की खोज शुरू करना।
4.	आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गहरे स्थित खनिज निक्षेपों के लिए उच्च जोखिम अन्वेषण करने सहित स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) क्षेत्रों में ब्राउन-फील्ड क्षेत्रीय अन्वेषण परियोजनाओं (जी3) को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना;
5.	पूरे भारत में जी3 चरण अन्वेषण पूर्ण हो चुके क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण (जी2 और जी1) को बढ़ावा देना।
6.	ओजीपी क्षेत्रों और शेष भारत के भूभौतिकीय, जमीनी और हवाई सर्वेक्षण और भू-रासायनिक सर्वेक्षण में सुविधा प्रदान करना।
7.	पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा खनिज संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय कोर भंडार की सुविधा प्रदान करना।
8.	अन्वेषण में लगे या लगने वाले कार्मिकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास का गठन

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास दो स्तरीय संरचना में काम करता है, जिसमें शासी निकाय (जीबी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के रूप में इसके दो सर्वोच्च प्राधिकरण हैं। एनएमईटी का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देश शासी निकाय के पास है, जबकि कार्यकारी समिति ट्रस्ट की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है।

शासी निकाय के कार्य

1. शासी निकाय एनएमईटी के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करता है और इसके कामकाज की समीक्षा करता है।
2. कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर शासी निकाय एनएमईटी की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को भी मंजूरी देता है।

शासी निकाय की संरचना

क्र.सं.	सदस्य
1	श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय कोयला एवं खान मंत्री अध्यक्ष, पदेन
2	श्री हरदीप सिंह पुरी , माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री सदस्य, पदेन
3	डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री सदस्य, पदेन
4	श्री राव साहब पाटिल दानवे, माननीय खान राज्य मंत्री सदस्य, पदेन
5	श्री पी. रामचंद्र रेड्डी, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार सदस्य, पदेन
6	श्री जोगेन मोहन, माननीय खान एवं खनिज विभाग मंत्री, असम सरकार सदस्य, पदेन
7	श्री प्रफुल्ल कुमार मलिक, माननीय इस्पात और खान मंत्री, ओडिशा सरकार सदस्य, पदेन
8	श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री और खनन मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार सदस्य, पदेन
9	श्री अचार हलप्पा बसप्पा, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, कर्नाटक सरकार सदस्य, पदेन
10	श्री भूपेंद्र पटेल, माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग व खान मंत्री, गुजरात सरकार सदस्य, पदेन
11	श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, खान मंत्रालय (अगस्त, 2023 तक) श्री वी. एल. कांता राव, सचिव, खान मंत्रालय (सितंबर, 2023 से) संयोजक, पदेन

खान मंत्रालय
भारत सरकार

कार्यकारी समिति के कार्य

1. एनएमईटी की गतिविधियों का प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षण करना तथा नियमित अंतराल पर निधियों के व्यय की निगरानी और समीक्षा करना।
2. वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए योजना तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना।
3. टीसीसी की सिफारिशों पर राज्य सरकार/केन्द्र और राज्य एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी निजी क्षेत्र की संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन परियोजनाओं की मंजूरी देना एवं कार्यान्वित करना।
4. कार्यकारी समिति ऐसे कार्यों को करने के लिए समितियों या उप-समितियों का गठन कर सकती है जो कार्यकारी समिति द्वारा ऐसी समितियों या उप-समितियों को सौंपे गए या प्रत्यायोजित किए गए हैं।
5. कार्यकारी समिति ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप परियोजनाओं को स्वयं अथवा राज्य सरकार अथवा निजी क्षेत्र की संस्थाओं सहित किसी अन्य संस्था से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यान्वित कर सकती है।
6. कार्यकारी समिति परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए अधिनियम के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तैयार कर सकती है।

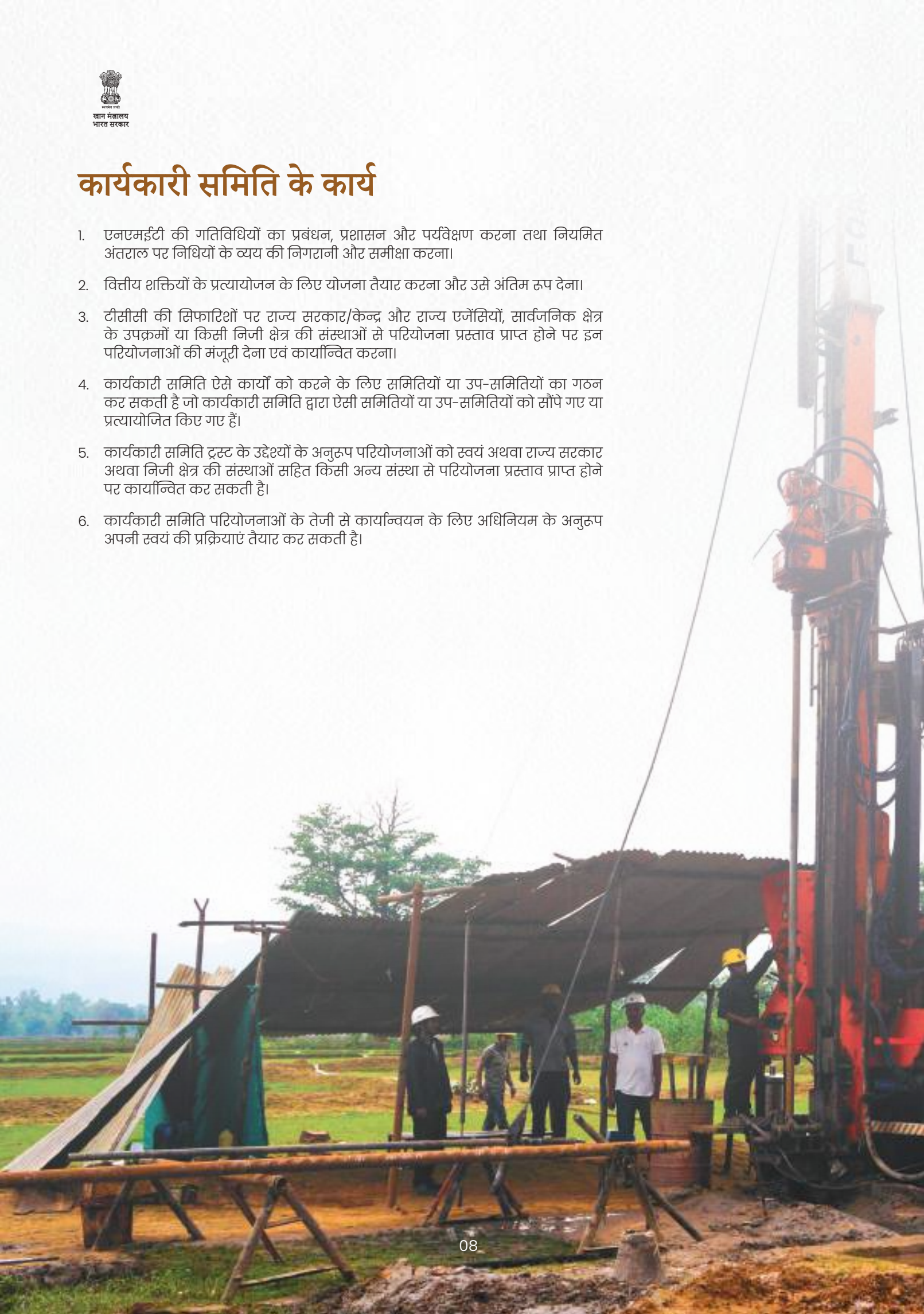

कार्यकारी समिति की संरचना

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, खान मंत्रालय (अगस्त, 2023 तक) श्री वी. एल. कांता राव, सचिव, खान मंत्रालय (सितंबर, 2023 से) अध्यक्ष, पदेन
2.	श्री संजय लोहिया, अपर सचिव, खान मंत्रालय एवं सीजी, आईबीएम सदस्य सचिव, पदेन
3.	डॉ. एस. राजू, महानिदेशक, जीएसआई (मई, 2023 तक) श्री जनार्दन प्रसाद, महानिदेशक, जीएसआई (जून, 2023 से) सदस्य, पदेन
4.	श्रीमती निरुपमा कोटरू, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, खान मंत्रालय, सदस्य, पदेन
5.	डॉ. बी. सर्वानिन, निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, सदस्य, पदेन
6.	श्री आनंदजी प्रसाद, सलाहकार, कोयला मंत्रालय, सदस्य, पदेन
7.	श्री आर. के. कुरील, निदेशक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सदस्य, पदेन
8.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रतिनिधि, सदस्य
9.	श्री रवींद्र गुरव, संयुक्त सचिव, महाराष्ट्र राज्य सरकार प्रतिनिधि, सदस्य
10.	श्री संदेश नायक, निदेशक, राजस्थान राज्य सरकार प्रतिनिधि, सदस्य
11.	श्री जे. जयकांतन, आयुक्त (उद्योग), तमिलनाडु राज्य सरकार प्रतिनिधि, सदस्य
12.	श्री नरेश नौटियाल (सेवानिवृत्त), प्रमुख (बीडी एवं पी), एमईसीएल, तकनीकी विशेषज्ञ
13.	श्री आलोक शर्मा (सेवानिवृत्त), महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष (अन्वेषण), सीएमपीडीआईएल, तकनीकी विशेषज्ञ
14.	डॉ. एल.एस. शेखावत, उप महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई, तकनीकी विशेषज्ञ (अक्टूबर, 2022 से)
15.	डॉ. यमुना सिंह, वैज्ञानिक-एच (सेवानिवृत्त), एएमडी, तकनीकी विशेषज्ञ (अक्टूबर, 2022 से)
16.	डॉ. सहेंद्र सिंह, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी (आईएसएम), धनबाद, तकनीकी विशेषज्ञ (अक्टूबर, 2022 से)
17.	श्री जनार्दन प्रसाद, अपर महानिदेशक, जीएसआई और अध्यक्ष, टीसीसी, आमंत्रित (मई, 2023 तक) डॉ. एस. रवि, उप महानिदेशक, जीएसआई और अध्यक्ष, टीसीसी, आमंत्रित (जून, 2023 से)

खान मंत्रालय
भारत सरकार

परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन

कार्यकारी समिति ने दिनांक 21 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में परियोजनाओं के तकनीकी और लागत मूल्यांकन के लिए एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) के गठन को मंजूरी दी।

तकनीकी-सह-लागत समिति की संरचना

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री जनार्दन प्रसाद, अपर महानिदेशक, जीएसआई और अध्यक्ष, टीसीसी (मई, 2023 तक) डॉ. एस. रवि, उप महानिदेशक, जीएसआई और अध्यक्ष, टीसीसी (जून, 2023 से)
2	श्री आई.आर. किरमानी, अपर महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
3	श्री हेमराज सूर्यवंशी, अपर महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
4	श्री के. कोटेश्वर राव, उप महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
5	श्री एस. के. अधिकारी, मुख्य खनन भूवैज्ञानिक, आईबीएम, नागपुर
6	श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ, उप महानिदेशक, जीएसआई
7	डॉ. ई.वी.एस.एस.के. बाबू, वैज्ञानिक-एच, सीएसआईआर-एनजीआरआई, हैदराबाद
8	श्री के. एल. मुंद्रा, प्रमुख-आरएमआरई, परमाणु खनिज निदेशालय
9	श्री ए. आर. सेनगुप्ता, निदेशक (आईएफडी), खान मंत्रालय
10	श्री विवेक कुमार शर्मा, निदेशक और विभागाध्यक्ष, एनएमईटी, खान मंत्रालय
11	श्रीमती वंदना, लागत लेखा अधिकारी, जीएसआई, दक्षिण क्षेत्र, बैंगलोर
12	श्री पी.के. महाराणा, एजीएम (वित्त), नालको, भुवनेश्वर
13	श्री रवि गुप्ता, डीजीएम (वित्त), एचसीएल, कोलकाता
14	श्री सी. पार्थसारथी, निदेशक, जीएसआई (सदस्य सचिव)

एनएमईटी सचिवालय की संरचना

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, खान मंत्रालय (अगस्त, 2023 तक) श्री वी. एल. कांता राव, सचिव, खान मंत्रालय (सितंबर, 2023 से)
2	श्री संजय लोहिया, अपर सचिव, खान मंत्रालय
3	श्री विवेक कुमार शर्मा, निदेशक एवं विभागाध्यक्ष
4	डॉ. संगीता गुप्ता, अधीक्षण भूवैज्ञानिक
5	श्रीमती अंजू सी.एस., अधीक्षण भूवैज्ञानिक
6	श्री सेबब्रत दास, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
7	श्री रवि दत्त, लागत लेखा अधिकारी
8	डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
9	श्री अक्षय वर्मा, भूवैज्ञानिक
10	श्री जयंत गुप्ता, सहायक लागत लेखा अधिकारी
11	श्री सुनील कुमार, प्रशासनिक अधिकारी
12	श्रीमती उज्ज्वला शर्मा, सहायक प्रबंधक (भूविज्ञान)
13	श्री योगेश अग्रवाल, सहायक

खान मंत्रालय
भारत सरकार

शासी निकाय, कार्यकारी समिति और तकनीकी-सह-लागत समिति की बैठकें

(क) शासी निकाय

शासी निकाय की पांचवी बैठक दिनांक 28 जून, 2023 को आयोजित की गई। बैठक की महत्वपूर्ण चर्चाएं इस प्रकार हैं:

1. न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देश शासी निकाय (जीबी) के पास हैं।

2. एनएमईटी ने खनिज अन्वेषण में अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) को कार्यरत करने के लिए तंत्र स्थापित करने तथा एनएमईटी या राज्य सरकार के माध्यम से इन कार्यों के वित्तपोषण को सक्षम करने के उद्देश्य से अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) को कार्यरत करने की योजना शुरू की थी। एनएमईटी ने 9 राज्यों में 06 एनपीईए की 23 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित लागत ₹ 24.74 करोड़ है (अनुलग्नक-4) ।

3. (i) राज्यों को खनिज ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास से राज्य सरकारों को वित्तीय प्रोत्साहन की योजना माननीय खान मंत्री और एनएमईटी के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2021 को अनुमोदित किया गया। एनएमईटी ने राज्य सरकारों को प्रोत्साहन के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 (अनुलग्नक-5) में कुल ₹ 25.66 करोड़ जारी किए हैं।

   (ii) केंद्र सरकार के संगठनों और राज्य डीजीएम/डीएमजी को मशीनरी/उपकरण/यंत्रों की खरीद/मौजूदा सॉफ्टवेयर और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत राज्य डीजीएम/डीएमजी की ₹45.10 करोड़ की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है (अनुलग्नक-6)।

4. सभी राज्य सरकारों के बीच एनएमईटी के विजन और उद्देश्य को प्रसार के लिए, सभी राज्य खनन मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें राज्य सरकारों को एनएमईटी में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी दी जा सके जिससे वे एनएमईटी योजनाओं का अधिकतम उपयोग कर सके।

5. वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के खातों का सी एवं ए जी द्वारा लेखा परीक्षा किया गया। सी एवं ए जी ऑडिट पैरा के 8 उप-पैरा में से 6 का निपटान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया।

6. एनएमईटी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 की एनएमईटी की अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट परिचालित की गई थी।

7. एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित अन्वेषण परियोजनाओं के भुगतान के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान में 160 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत परियोजनाओं पर व्यय के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट अनुमान स्वीकृत किया गया है। जीबी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को मंजूरी दी।

8. चूंकि, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों से कार्यकारी समिति के वर्तमान में मनोनीत सदस्यों (पदेन) का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों को कार्यकारी समिति में सदस्य (पदेन) के रूप में शामिल किया गया है। अन्य प्रमुख खनिज राज्यों को आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है।

9. माननीय खान मंत्री और अध्यक्ष, शासी निकाय, एनएमईटी ने आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा के खान एवं भूविज्ञान के प्रभारी मंत्रियों को एनएमईटी के शासी निकाय के पदेन सदस्य के रूप में नामित किया है।

10. माननीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री तथा अध्यक्ष, जीबी, एनएमईटी ने राज्य सरकारों और अन्वेषण एजेंसियों से देश में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में खनन क्षेत्र से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% योगदान मिलने की उम्मीद है। उन्होंने राज्य सरकारों को ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से प्रेरणा लेने की सलाह दी जहां अन्वेषण गतिविधियों से राज्यों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

(ख) कार्यकारी समिति (ईसी)

वर्ष 2023-24 के दौरान, कार्यकारी समिति की पाँच बैठकें (30वीं से 34वीं) आयोजित की गईं। कार्यकारी समिति ने वर्ष के दौरान ₹ 502.49 करोड़ की लागत वाली नवासी (89) परियोजनाओं को स्वीकृति दी जिनमें देश में खनिज अन्वेषण के लिए 72 परियोजनाएं, आधारभूत सर्वेक्षण के लिए 8 परियोजनाएं, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों को क्षमता निर्माण और प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के लिए 8 परियोजनाएं और खान मंत्रालय की एस एवं टी प्रिज्म योजना के तहत 1 परियोजना शामिल हैं (अनुलग्नक-7) ।

ईसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए:

30वीं ईसी बैठक का निर्णय:

- ईसी ने एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) के पुनर्गठन को मंजूरी दी और डॉ. एस. रवि, उप महानिदेशक, जीएसआई को टीसीसी के अध्यक्ष के रूप में नामित करने को मंजूरी दी।
- ईसी ने स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) ब्लॉक-5, 9, 10 और 12 में बहु-संवेदी हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण को मंजूरी दी जिसकी अनुमानित लागत ₹ 150.68 करोड़ है।
- ईसी ने समकक्ष समीक्षकों का मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया।
- ईसी ने एनएमईटी निधि के माध्यम से खरीद के लिए 19 अतिरिक्त मदों की सूची को भी मंजूरी दी।
- ईसी ने ₹16.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से खनिज अन्वेषण के लिए 14 परियोजनाएं अनुमोदित की है।

31वीं ईसी बैठक का निर्णय:

- ईसी ने एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की खनिज अन्वेषण रिपोर्टों की समीक्षा के लिए बाह्य समकक्ष समीक्षकों के रूप में विशेषज्ञों के पैनल को मंजूरी दी।
- ईसी ने स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) क्षेत्र ब्लॉक-7 में बहु-संवेदी हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण को मंजूरी दी जिसकी अनुमानित लागत 35.75 करोड़ रुपये है।
- ईसी ने एनएमईटी की शुल्क अनुसूची (एसओसी) में संशोधन को मंजूरी दी और अन्वेषण प्रोत्साहन 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया तथा राख विश्लेषण की दरें ₹335/- से बढ़ाकर ₹13,664/- कर दी।
- ईसी ने गुजरात भूरासायनिक मानचित्रण कार्यक्रम के तहत नमूनों के भूरासायनिक विश्लेषण को मंजूरी दी जिसकी अनुमानित लागत ₹22.67 करोड़ है।

- कार्यकारी समिति ने राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए ₹19.68 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 12 परियोजनाओं और ₹1.17 करोड़ की अनुमानित लागत वाली खरीद की 02 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

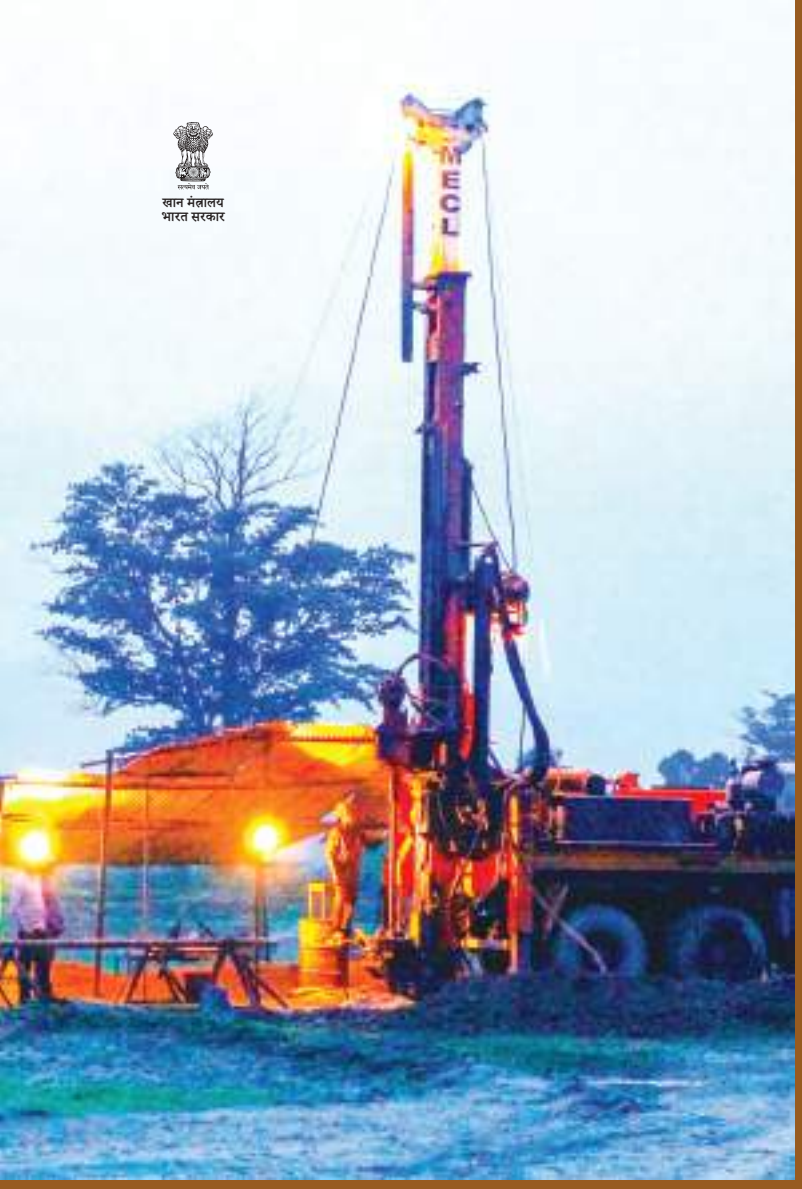

32वीं ईसी बैठक का निर्णय:

- ईसी ने एनएमईटी वित्त पोषित परियोजनाओं की खनिज अन्वेषण रिपोर्ट की समीक्षा के लिए बाह्य समीक्षक के रूप में प्रो. पी.आर. साहू के नामांकन को मंजूरी दी।
- ईसी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में खनन मंडप स्थापित करने के लिए ₹2.66 करोड़ व्यय को भी मंजूरी दी।
- ईसी ने एनएमईटी निधि के माध्यम से खरीद के लिए 32 अतिरिक्त मदों की सूची को भी मंजूरी दी।
- ईसी ने "उत्तरी भाग सहित गहन भूकंपीय परावर्तन सर्वेक्षण (डीएसआरएस) व मैगनेटो ट्यूलोरिक सर्वेक्षण (एमटी)" पर आधारभूत भूविज्ञान डेटा उत्पादन परियोजना को ₹99.733/- करोड़ की अनुमानित लागत सहित मंजूरी दी।
- ईसी ने राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए ₹68.22 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 19 परियोजनाओं और ₹0.81 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

33वीं ईसी बैठक का निर्णय:

- ईसी ने भोपाल, मध्य प्रदेश में राज्य खनन मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन के आयोजन के लिए ₹1.54 करोड़ के व्यय को मंजूरी दी।
- ईसी ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा भंडार (एनजीडीआर) पोर्टल के शुभारंभ और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए रोड शो पर हुए ₹ 27.62 लाख के व्यय को भी मंजूरी दी।
- ईसी ने जी4 ब्लॉक में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए एमईसीएल को ₹ 44.16 लाख के अन्वेषण प्रोत्साहन को मंजूरी दी।
- बैठक के दौरान ईसी ने ₹19.53 करोड़ की लागत वाले पंद्रह (15) अन्वेषण प्रस्तावों को मंजूरी दी और ₹36.65 करोड़ की लागत वाले राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता के लिए 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- ईसी ने खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एवं टी), स्टार्टअप्स में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने और खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातुकर्म एवं पुनर्चक्रण क्षेत्र में एमएसएमई (PRISM) योजना के तहत ₹1.20 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली एक स्टार्ट-अप परियोजना को मंजूरी दी।

34वीं ईसी बैठक का निर्णय:

- ईसी ने एनएमईटी प्रस्तावों के लिए तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) को तीन माह तक (केवल एक अवसर पर) समय-सीमा विस्तार की शक्तियां सौंपी।
- बैठक के दौरान ईसी ने ₹17.10 करोड़ की लागत वाले ग्यारह (11) अन्वेषण प्रस्तावों को मंजूरी दी और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता के लिए ₹6.91 करोड़ की लागत वाले 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- ईसी ने सभी राज्य सरकारों/एनपीईए/एनईए में एनएमईटी के विजन और उद्देश्य के प्रसार के लिए सभी राज्यों में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने का भी निर्णय लिया।

(ग) तकनीकी-सह-लागत समिति :

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल बारह टीसीसी बैठकें (52वीं से 63वीं) आयोजित की गईं जिसमे 89 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया और एनएमईटी वित्त पोषण के लिए सिफारिश की गई।

टीसीसी बैठकों और अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- 52वीं टीसीसी ने ₹10.45 करोड़ की लागत की 9 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 16 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 9 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। इसने ठाकुरडीह-चरकमारा ब्लॉक (₹3.10 लाख), भरूसारी नॉर्थ ब्लॉक (₹57.36 लाख) और मुंडादेवता (₹18,967) को अतिरिक्त लागत अनुमोदन प्रदान किया।

- 53वीं टीसीसी ने ₹9.70 करोड़ की लागत की 8 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 24 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 14 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। इसने हरदताल ब्लॉक (₹6.90 लाख) को अतिरिक्त लागत स्वीकृति प्रदान की।

- 54वें टीसीसी ने ₹3.37 करोड़ की लागत की 4 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 17 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 5 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। इसने लखासर ईस्ट ब्लॉक (₹2.81 करोड़), भरूसारी नॉर्थ ब्लॉक (₹2.06 करोड़) और डीजीएम, कर्नाटक को अयस्क माइक्रोस्कोप की खरीद (₹12 लाख) के लिए अतिरिक्त लागत स्वीकृति प्रदान की। इसने आधारभूत सर्वेक्षण (एनएजीएमपी, ब्लॉक 7) के प्रस्ताव की भी सिफारिश की। इसने टीडीईएम हेलीबोर्न सर्वेक्षण के लिए 731 वर्ग किमी के वैकल्पिक क्षेत्र को भी मंजूरी दी।

- 55वीं टीसीसी ने ₹ 15.53 करोड़ की लागत वाले 9 अन्वेषण प्रस्तावों और ₹ 2.52 करोड़ की लागत वाले 3 खरीद प्रस्तावों की संस्तुति की। इसने 25 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 9 चालू परियोजनाओं के लिए समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। इसने उरटन नॉर्थ ब्लॉक के उत्तर में अतिरिक्त लागत (₹4,08,266) और डीजीएम, गोवा को डीजीएम और टोटल स्टेशन की खरीद के लिए (₹5,59,400) ईसी की मंजूरी के लिए सिफारिश की। टीसीसी ने ईसी की मंजूरी के लिए ₹22.67 करोड़ की लागत से जीजीसीएमपी नमूनों के भूरसायनिक विश्लेषण की भी सिफारिश की।

- 56वीं टीसीसी ने ₹4.89 करोड़ की लागत से 3 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 17 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 8 चालू परियोजनाओं के लिए समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। इसने 2.67 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सर्वेक्षण (टीएस-क्यूसी, ब्लॉक 14) के प्रस्ताव की भी सिफारिश की।

- 57वीं टीसीसी ने ₹ 42.60 करोड़ की लागत के साथ 7 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 13 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 9 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। इसने दो परियोजनाओं किरानागी-1 और किरानागी-2 ब्लॉक (₹ 1.49 लाख) और मलखेड-1 और मलखेड-2 ब्लॉक (₹ 10.19 लाख) को अतिरिक्त लागत की मंजूरी प्रदान की।

- 58वीं टीसीसी ने ₹ 13.47 करोड़ की लागत के साथ 6 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 31 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 15 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। इसके अलावा त्रिपुरा और मणिपुर राज्य सरकार के ₹ 1.11 करोड़ की लागत के खरीद प्रस्तावों को भी ईसी अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया। इसने 2.15 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सर्वेक्षण (टीएस-क्यूसी, ब्लॉक 15) और 99.773 करोड़ रुपये की लागत से उत्तरी ट्रांसेक्ट में डीएसआरएस और एमटी सर्वेक्षण के प्रस्ताव की भी सिफारिश की।

- 59वीं टीसीसी ने 12.15 करोड़ रुपये की लागत से 6 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 15 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 6 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। इसने चुपरभिता ब्लॉक के पूर्व में परियोजना (1.54 लाख रुपये) को अतिरिक्त लागत की मंजूरी प्रदान की।

- 60वीं टीसीसी ने 6.94 करोड़ रुपये की लागत से 4 अन्वेषण प्रस्तावों और 6 लाख रुपये की लागत से डीजीएम, बिहार के एक खरीद प्रस्ताव की सिफारिश की। इसने एमईसीएल के खरीद प्रस्ताव की भी समीक्षा की और इसे ईसी के अनुमोदन के लिए सिफारिश की। इसने 17 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 7 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया।

- 61वीं टीसीसी ने ₹12.93 करोड़ की लागत से 11 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 24 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 14 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। गुजरात राज्य सरकारों के ₹4.14 करोड़ की लागत के खरीद प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया। इसने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खोज के लिए एनपीईए की 7 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान की। टीसीसी ने जी4 ब्लॉक में महत्वपूर्ण खनिज खोज के लिए एमईसीएल को ₹44.16 लाख के अन्वेषण प्रोत्साहन की भी सिफारिश की।

- 62वीं टीसीसी ने ₹17.03 करोड़ की लागत से 11 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 30 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 22 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के ₹6.91 करोड़ की लागत के खरीद प्रस्ताव को भी अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया गया। इसने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खोज के लिए एनपीईए की 3 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान की।

- 63वीं टीसीसी ने ₹13.58 करोड़ की लागत वाले 7 अन्वेषण प्रस्तावों की सिफारिश की। इसने 31 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की और 18 चालू परियोजनाओं को समय-सीमा विस्तार प्रदान किया। ₹7.53 करोड़ की लागत वाले मिजोरम और तेलंगाना राज्य सरकारों के खरीद प्रस्ताव को भी ईसी की मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया। इसने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खोज के लिए एनपीईए की 2 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान की।

चित्र: दिनांक 28.06.2023 को आयोजित शासी निकाय की 5वीं बैठक

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

एनईएमटी ने अन्वेषण एजेंसियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें अधिक से अधिक खनिज अन्वेषण प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा बदले में खनिजों के क्षेत्र में भारत को "आत्मनिर्भर" बनाने के लिए अधिक ब्लॉकों की नीलामी हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 94 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा और झारखंड की राज्य सरकारों को ₹18.80 करोड़ की राशि जारी की गई।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड की राज्य सरकारों को उन रद्द खनिज ब्लॉकों के लिए ₹6.87 करोड़ की राशि दी गई, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा नीलामी के लिए रखा गया था।

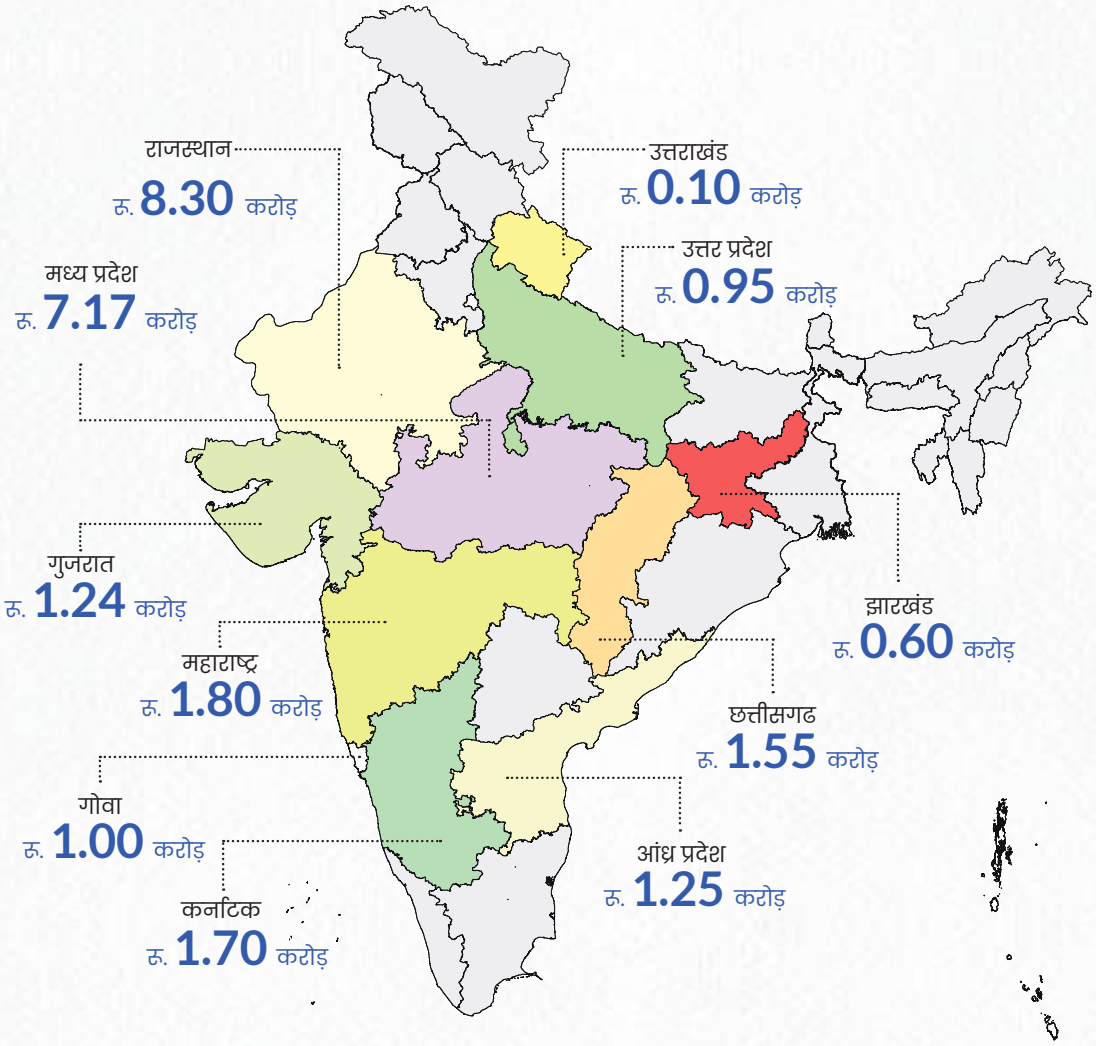

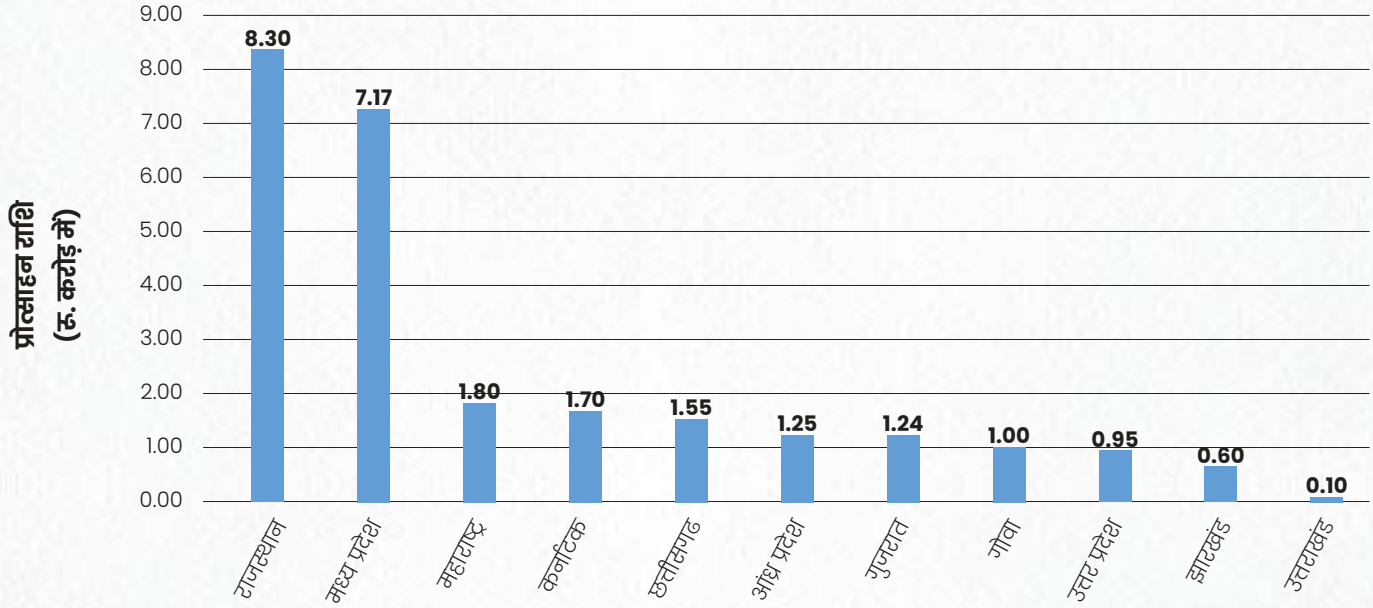
प्रोत्साहन राशि
(रु. करोड़ में)
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
8.30
7.17
1.80
1.70
1.55
1.25
1.24
1.00
0.95
0.60
0.10
राजस्थान
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
कर्नाटक
छत्तीसगढ़
आंध्र प्रदेश
गुजरात
गोवा
उत्तर प्रदेश
झारखंड
उत्तराखंड

आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा सृजन

सतही सर्वेक्षण में 1:50,000 पैमाने पर व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण (एसजीएम), 1:25,000 पैमाने पर विशेष विषयगत मानचित्रण (एसटीएम), 1:50,000 पैमाने पर राष्ट्रीय भू-रासायनिक मानचित्रण (एनजीसीएम) और 1:50,000 पैमाने पर भू-गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय सर्वेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण (एनजीपीएम) शामिल हैं। बहुसंवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ट्विन ओटर एयरबोर्न सर्वे सिस्टम (टीओएएसएस) और हेलीबोर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण सिस्टम (एचजीएसएस) को शामिल करके किए जाते हैं, जो खनिज संसाधनों, विशेष रूप से आधार धातुओं की खोज में एक महत्वपूर्ण सहायता है।

राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी):

चुंबकीय-ग्रेडियोमेट्री और रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षणों के साथ राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) को एनएमईटी निधि के माध्यम से जीएसआई द्वारा एक समान हवाई-भूभौतिकीय डेटा प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है, शुरुआत में दो चरणों में स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावना (ओजीपी) के क्षेत्रों में और उसके बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को शामिल करके पूरे देश को कवर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है:

हाई रिज़ॉल्यूशन आधारभूत हवाई-भूभौतिकीय डेटा प्राप्त करना

खनिज पूर्वानुमान के लिए नए लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान करना

उप सतही भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक ढांचे को समझना

कार्यक्रम को एनएमईटी वित्त पोषण के तहत ईसी द्वारा अपनी 7वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस क्षेत्र को 22 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, यानी ब्लॉक 1-12 और ब्लॉक 13-22, दो चरणों में, 300 मीटर की लाइन स्पेसिंग और जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावना क्षेत्र (ओजीपी) और आसपास के क्षेत्रों को कवर करने के लिए। कार्यक्रम का उद्देश्य शुरू में ओजीपी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर एक समान हवाई-भूभौतिकीय डेटा प्राप्त करना है, इसके बाद एक विशिष्ट समय में पूरे देश को कवर करके खनिज लक्ष्यीकरण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाना है, ताकि देश में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाया जा सके और खनिज क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सलाहकार फर्मों को बहुसंवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण (एनएजीएमपी) की समग्र गतिविधियों के तकनीकी पर्यवेक्षण-सह-गुणवत्ता नियंत्रण (टीएस-क्यूसी) का काम सौंपा गया है।

एनएजीएमपी डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण, व्याख्या और एकीकरण की एक एकीकृत परियोजना है। इससे निम्नलिखित में मदद मिलेगी:

चुंबकीय और रेडियोमेट्रिक मानचित्रों की तैयारी (1: 500/400 K, 1:50 K)

विभिन्न व्युत्पन्न मानचित्रों की तैयारी (TMI, RTP, VD, AS, DR, eU, eTh, eK)

गहरे भ्रंशों, रंध्रों का पता लगाना

आगे के काम के लिए उपयोगी क्षेत्रों की पहचान करना

एनएजीएमपी के तहत, ओजीपी ब्लॉक-1, 2, 3, 4 और 11 का सर्वेक्षण और डेटा अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है। इन हवाई भूभौतिकीय डेटा को संग्रहीत भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक और ज्ञात खनिज डेटा के साथ एकीकृत करने के आधार पर, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 150 संभावित ब्लॉकों की पहचान की गई है।

हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उद्देश्य कम समय में पूरे ओजीपी क्षेत्रों को कवर करना और अधिक विस्तृत हेलीबोर्न सर्वेक्षणों के लिए लिए जाने वाले क्षेत्रों की जल्दी से पहचान करना है। यह खनिज अन्वेषण कार्य को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा और अन्वेषण गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपॉजिटरी के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के लिए हवाई भूभौतिकीय डेटा उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में, नौ ओजीपी ब्लॉकों में काम प्रगति पर है।

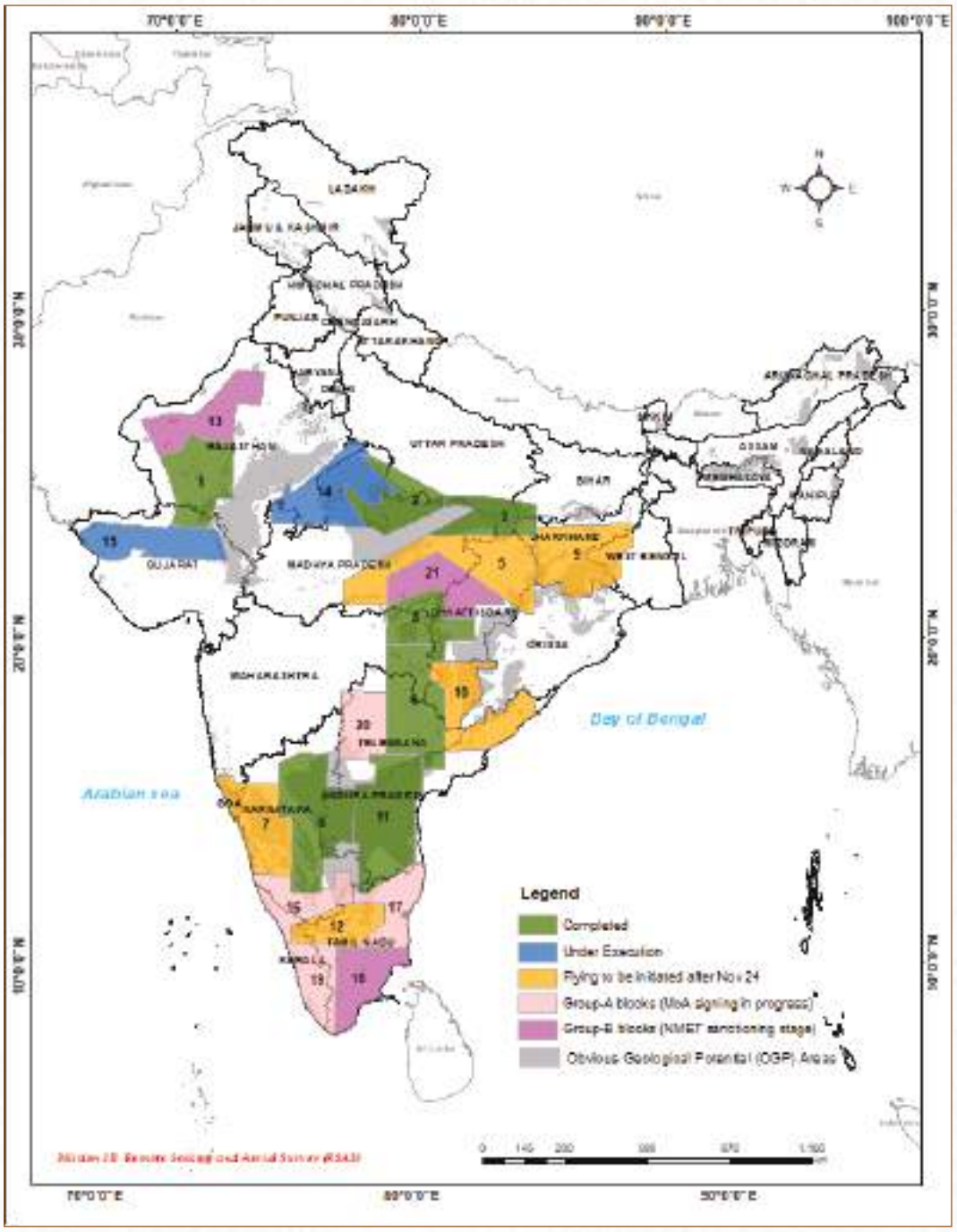

मानचित्र 1: सर्वेक्षण ब्लॉकों (संख्यांकित) के साथ एनएजीएमपी सर्वेक्षण क्षेत्र और सर्वेक्षण की स्थिति

राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर)

राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर) परियोजना को कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) को एनजीडीआर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर) निर्माण परियोजना की अवधारणा खान मंत्रालय (एमओएम) द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (एनएमईपी), 2016 के भाग के रूप में की गई थी। परियोजना का उद्देश्य सभी भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक, भूभौतिकीय और खनिज अन्वेषण डेटा को डिजिटल भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना है। एनजीडीआर पोर्टल में आधारभूत भू-विज्ञान डेटा है और यह विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों के साथ-साथ खनिज रियायत धारकों द्वारा उत्पन्न सभी खनिज अन्वेषण सूचनाओं को एकत्रित करता है और इन्हें सिंगल पॉइंट ऑफ़ ट्रुथ (एसपीओटी) पर बनाए रखता है। एनजीडीआर पोर्टल एक अंतर-संचालन योग्य प्लेटफ़ॉर्म पर ऑन-डिमांड खनिज अन्वेषण और आधारभूत भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी के लिए सिंगल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इस पहल का बड़ा लक्ष्य भारत में खनन क्षेत्र के निवेश आकर्षण को बढ़ाना है। परियोजना के दो घटक हैं:

1. एनजीडीआर का कार्यान्वयन
2. एनजीडीआर का संचालन और रख-रखाव

जीएसआई द्वारा भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के सहयोग से सार्वजनिक डोमेन में एनजीडीआर पोर्टल के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। एनजीडीआर पोर्टल को माननीय खान मंत्री द्वारा 19 दिसंबर, 2023 को लॉन्च किया गया था, जो दुनिया भर के सभी हितधारकों के लिए सुलभ है।

राष्ट्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनजीपीएम):

राष्ट्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनजीपीएम) की शुरुआत 2002-03 में जीएसआई द्वारा की गई थी। यह कार्यक्रम ओजीपी क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश को कवर करने के लिए एक स्टेशन घनत्व (एक स्टेशन/2.5 वर्ग किमी) में व्यवस्थित रूप से गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय डेटा उत्पन्न कर रहा है। खनिज घटनाओं के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से ओजीपी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। यह परियोजना खनिज संसाधनों को बढ़ाने के लिए छिपे हुए/गहरे स्थित निक्षेपों को लक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस कार्यक्रम के तहत देश के 1mGal गुरुत्वाकर्षण और 50nT चुंबकीय विसंगति समोच्च मानचित्र तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना को EC द्वारा 2099 टोपोशीट के क्षेत्र को कवर करने वाले प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय सर्वेक्षण करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 385.86 करोड़ है। 207 टोपोशीट में एनजीपीएम का काम पहले ही जीएसआई द्वारा पूरा कर लिया गया है और 84 प्राथमिकता वाले टोपोशीट के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।

गहन-भूकंपीय परावर्तन सर्वेक्षण (DSRS) और मैग्नेटोटेल्यूरिक सर्वेक्षण (MT)

डीएसआरएस और एमटी सर्वेक्षण, छिपे हुए खनिज निक्षेपों के खनिज प्रणाली घटकों के पदचिह्नों को समझने के लिए लिथोस्फेरिक वास्तुकला को समझने के लिए एक जरूरी आवश्यकता है। भारत के पास खनिज अन्वेषण और महाद्वीप के खनिज निक्षेप के बारे में ज्ञान के लिए संचित भू-वैज्ञानिक डेटा का एक समृद्ध इतिहास है। यह उन्नत भूभौतिकी (डीएसआरएस और एमटी), भू-रसायन, वेधन आदि के अनुप्रयोग के साथ मिलकर अज्ञात खनिज निक्षेपों को लक्षित करने के लिए एक संभावित स्रोत के रूप में काम करेगा। डीएसआरएस और एमटी सर्वेक्षणों का अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या क्रस्ट मेंटल इंटरफेस सहित लिथोस्फीयर-एस्थेनोस्फीयर की गहराई तक लिथोस्फेरिक वास्तुकला को स्पष्ट करता है।

डीएसआरएस प्रोफाइल के साथ उद्देश्य और व्यवहार्यता के अनुसार विभिन्न मोड (एएमटी, बीबीएमटी और एलपीएमटी) में एमटी सर्वेक्षण किया जाएगा।

ईसी ने अपनी 32वीं बैठक में जीएसआई के लिए 99.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वाइब्रोसिस स्रोत द्वारा ~215 लाइन किमी तथा एक्सप्लोसिव स्रोत द्वारा ~485 लाइन किमी के लिए गहन परावर्तन भूकंपीय डाटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण तथा व्याख्या तथा ~500 लाइन किमी के लिए एमटी डाटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण तथा व्याख्या को मंजूरी दी है।

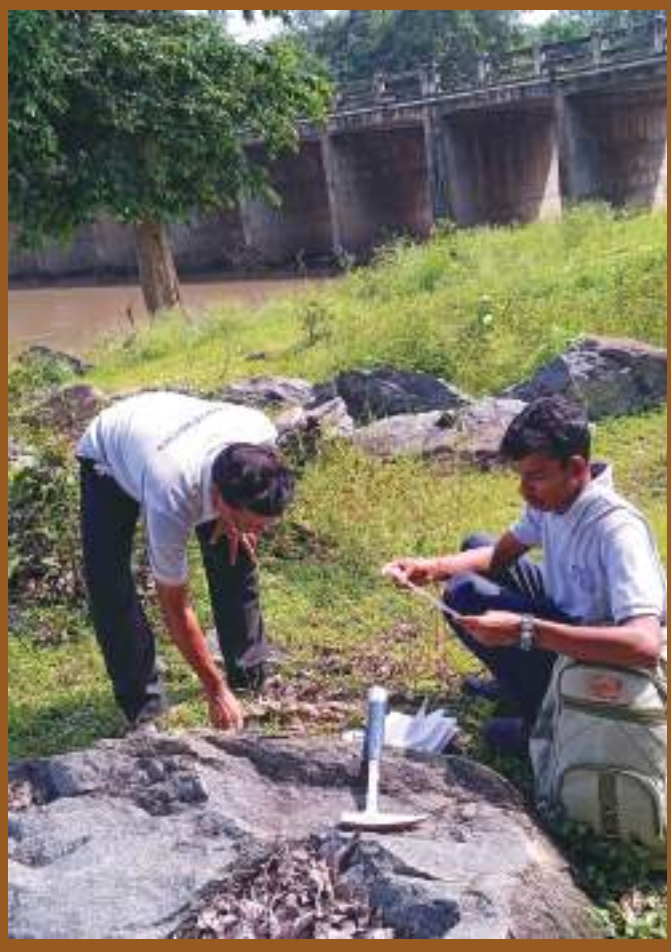

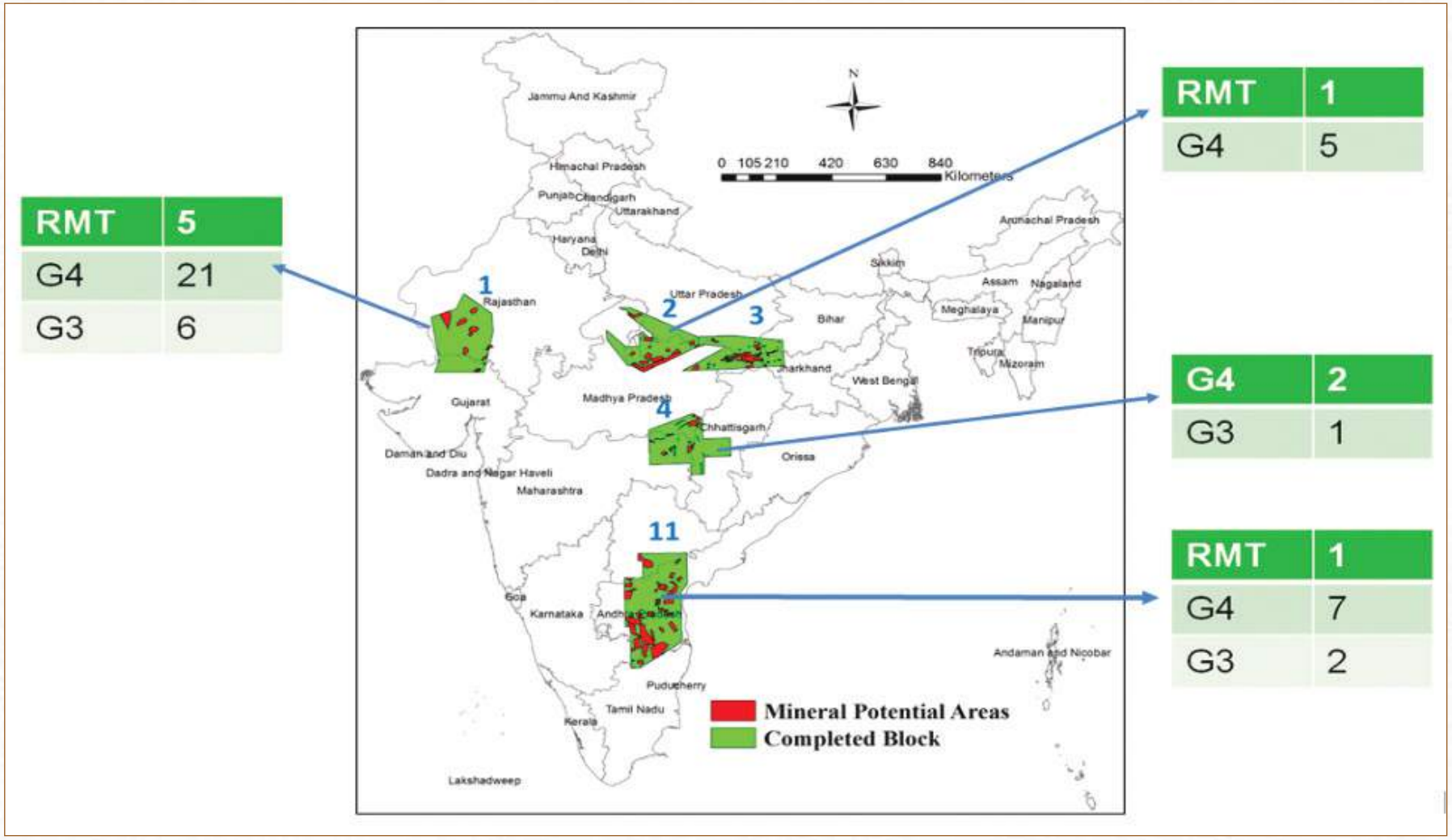

मानचित्र:2 बहुसंवेदी हवाई भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) के परिणाम

परियोजनाओं की स्थिति

तकनीकी-सह-लागत समिति की अनुशंसा पर, कार्यकारी समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 502.49 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 72 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं, 8 आधारभूत सर्वेक्षण परियोजनाओं, 8 खरीद परियोजनाओं और एस एवं टी प्रिज्म योजना के तहत 1 परियोजना को मंजूरी दी। एनएमईटी द्वारा स्वीकृत 72 अन्वेषण परियोजनाओं में से 32 परियोजनाएँ महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की हैं। परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-8, 9 एवं 10 में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 में ईसी द्वारा अनुमोदित खनिज अन्वेषण परियोजनाओं का खनिज-वार वितरण नीचे दिया गया है:

आधार धातु परियोजनाओं की संख्या **02**	आधार धातु और सोना परियोजनाओं की संख्या **04**	बॉक्साइट एवं अन्य खनिज परियोजनाओं की संख्या **02**	तांबा एवं अन्य खनिज परियोजनाओं की संख्या **01**
हीरा एवं रत्न परियोजनाओं की संख्या **03**	सोना एवं अन्य खनिज परियोजनाओं की संख्या **09**	सीसा परियोजनाओं की संख्या **08**	लौह अयस्क एवं अन्य खनिज परियोजनाओं की संख्या **03**
चूना पत्थर परियोजनाओं की संख्या **13**	मैंगनीज एवं अन्य खनिज परियोजनाओं की संख्या **04**	पीजीई एवं संबंधित खनिज परियोजनाओं की संख्या **02**	फास्फोराइट परियोजनाओं की संख्या **02**
पोटाश परियोजनाओं की संख्या **01**	आरईई परियोजनाओं की संख्या **06**	रॉक फॉस्फेट परियोजनाओं की संख्या **01**	टिन परियोजनाओं की संख्या **01**
वैनेडियम और टाइटेनियम परियोजनाओं की संख्या **01**			

खान मंत्रालय
भारत सरकार

कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण

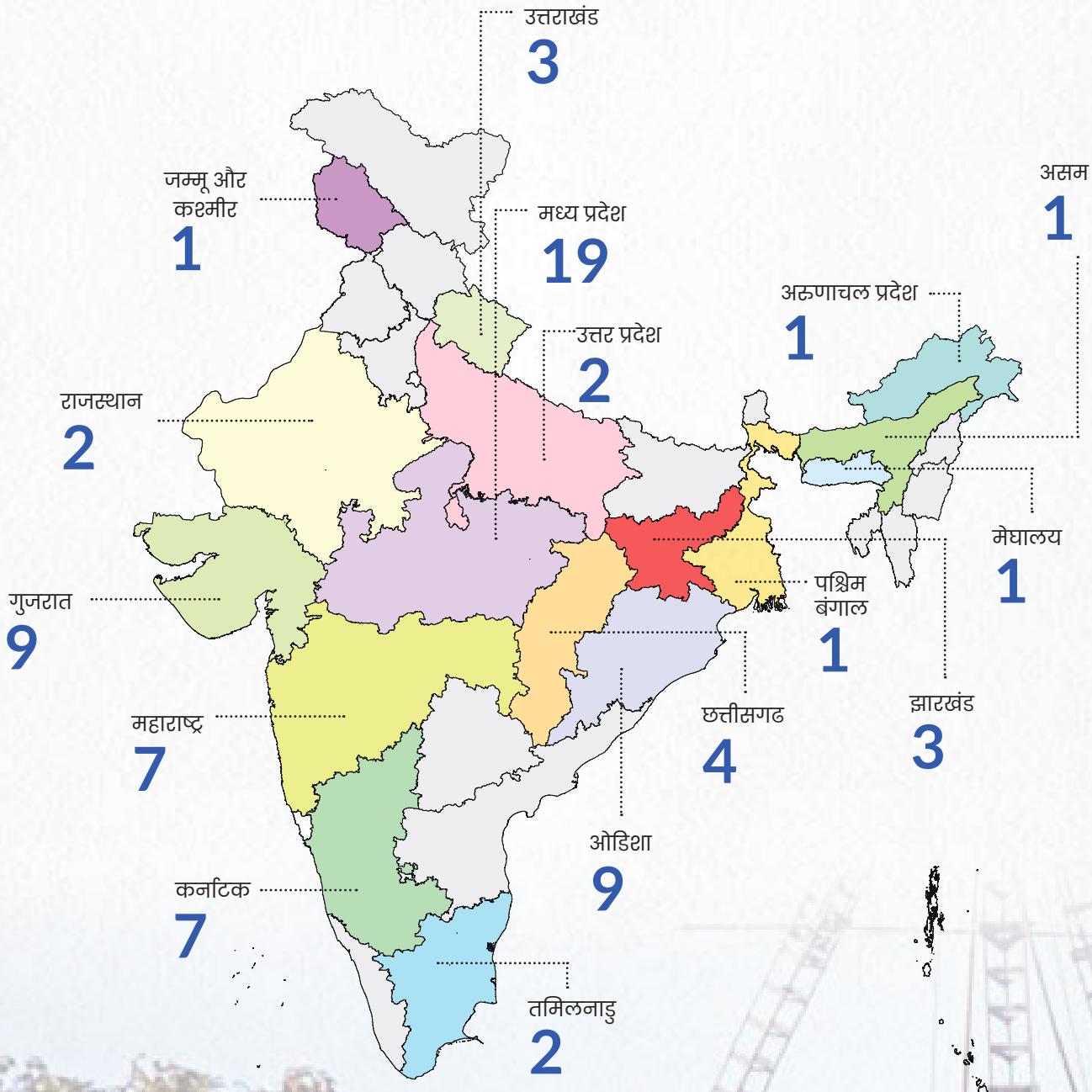

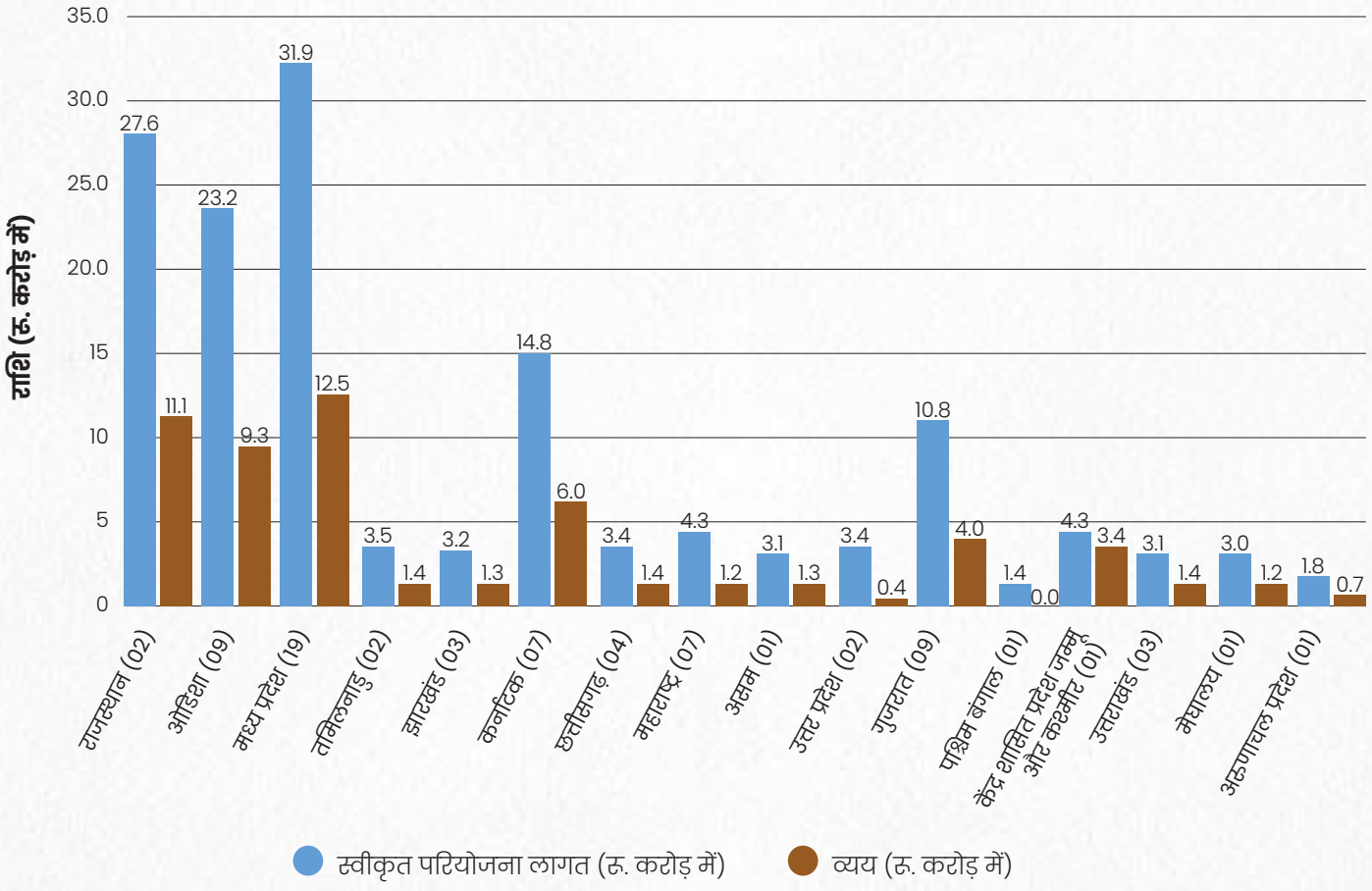
राशि (रु. करोड़ में)
35.0
30.0
25.0
20.0
15
10
5
0
27.6
11.1
23.2
9.3
31.9
12.5
3.5
1.4
3.2
1.3
14.8
6.0
3.4
1.4
4.3
1.2
3.1
1.3
3.4
0.4
10.8
4.0
1.4
0.0
4.3
3.4
3.1
1.4
3.0
1.2
1.8
0.7
राजस्थान (02)
ओडिशा (09)
मध्य प्रदेश (19)
तमिलनाडु (02)
झारखंड (03)
कर्नाटक (07)
छत्तीसगढ़ (04)
महाराष्ट्र (07)
असम (01)
उत्तर प्रदेश (02)
गुजरात (09)
पश्चिम बंगाल (01)
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (01)
उत्तराखंड (03)
मेघालय (01)
अरुणाचल प्रदेश (01)
स्वीकृत परियोजना लागत (रु. करोड़ में)
व्यय (रु. करोड़ में)

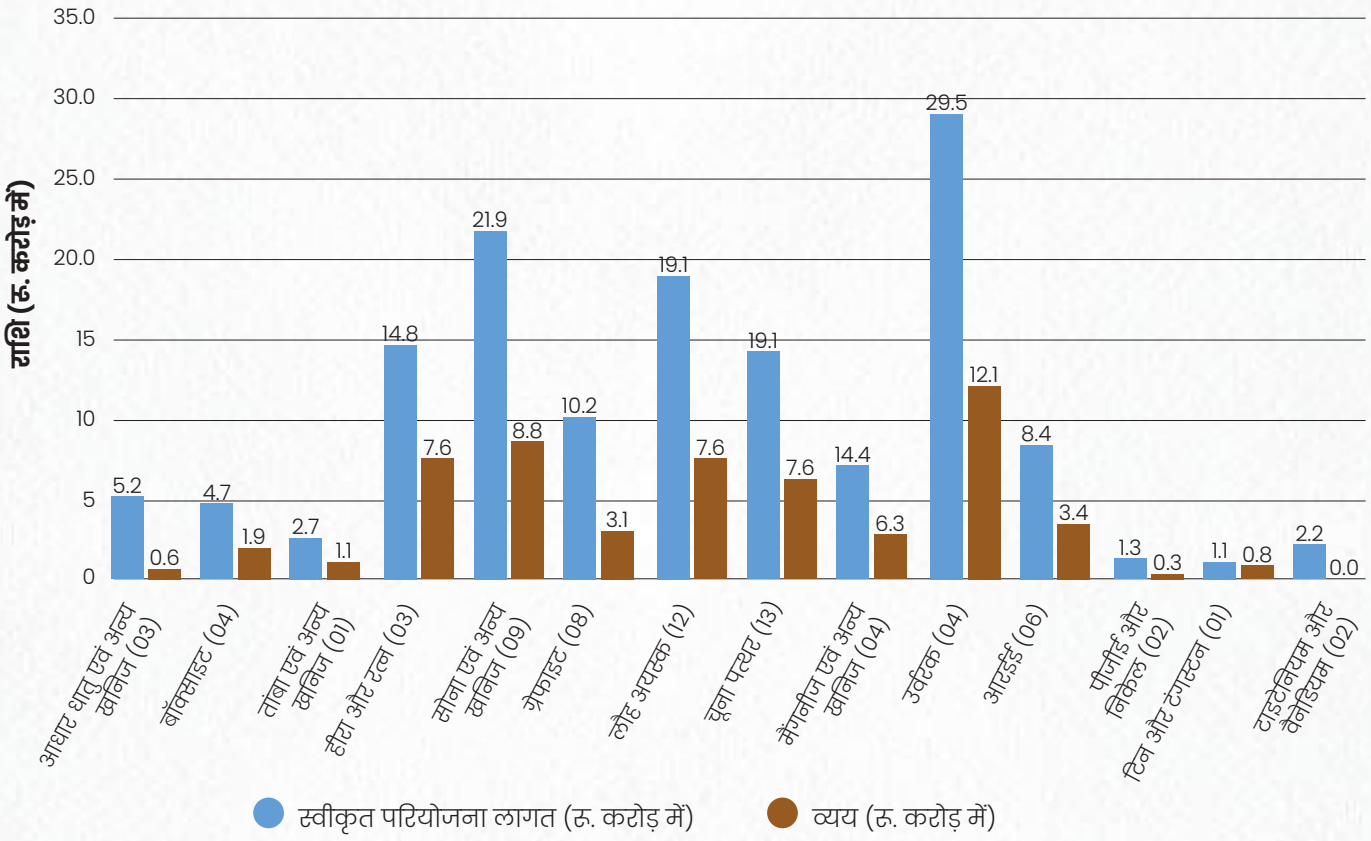

राशि (रु. करोड़ में)
35.0
30.0
25.0
20.0
15
10
5
0
5.2
0.6
4.7
1.9
2.7
1.1
14.8
7.6
21.9
8.8
10.2
3.1
19.1
7.6
19.1
7.6
14.4
6.3
29.5
12.1
8.4
3.4
1.3
0.3
1.1
0.8
2.2
0.0
आधार धातु एवं अन्य खनिज (03)
बॉक्साइट (04)
तांबा एवं अन्य खनिज (01)
हीरा और रत्न (03)
सोना एवं अन्य खनिज (09)
ग्रेफाइट (08)
लौह अयस्क (12)
चूना पत्थर (13)
मैंगनीज एवं अन्य खनिज (04)
उर्वरक (04)
आरईई (06)
पीजीई और निकल (02)
टिन और टंगस्टन (01)
टाइटेनियम और वैनेडियम (02)
स्वीकृत परियोजना लागत (रु. करोड़ में)
व्यय (रु. करोड़ में)

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

1. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (सी) की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, एनएमईटी प्राप्तियों के रूप में भारत की समेकित निधि (CFI) में ₹950.97 करोड़ का संग्रह जमा किया गया है। स्थापना के बाद से, 31.03.2024 तक ₹5504.37 एनएमईटी प्राप्तियों का संग्रह किया गया है।

   एनएमईटी प्राप्तियों का राज्यवार एवं कुल संग्रहण विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2023-24	कुल
1	ओडिशा	349.62	1,709.90
2	छत्तीसगढ	128.23	843.07
3	झारखंड	132.33	748.14
4	राजस्थान	71.16	479.79
5	मध्य प्रदेश	98.62	456.74
6	कर्नाटक	71.08	296.59
7	तेलंगाना	26.42	176.38
8	महाराष्ट्र	40.22	189.01
9	तमिलनाडु	12.03	110.38
10	आंध्र प्रदेश	10.48	55.96
11	गुजरात	4.92	48.17
12	उत्तर प्रदेश	-	29.75
13	गोवा	-	29.41
14	हिमाचल प्रदेश	1.88	15.07
15	मेघालय	1.59	9.22
16	असम	0.76	4.25
17	पश्चिम बंगाल	0.36	2.76
18	जम्मू और कश्मीर	0.23	1.43
19	केरल	0.31	1.32
20	उत्तराखंड	0.72	0.75
21	विविध		296.29
	कुल	**950.96**	**5,504.37**

2. एनएमईटी की स्वीकृत लेखा प्रक्रिया के अनुसार, भारत के समेकित कोष से एनएमईटी प्राप्तियों को राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास सार्वजनिक निधि खाते में स्थानांतरित करने के लिए बजट प्रावधान किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएफआई से एनएमईटी सार्वजनिक निधि खाते में ₹1296.50 करोड़ स्थानांतरित किए गए हैं। स्थापना के बाद से, सीएफआई से एनएमईटी सार्वजनिक निधि खाते में ₹4738.32 करोड़ स्थानांतरित किए गए हैं।

3. एनएमईटी को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹400 करोड़ का बजट प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, जिसे बाद में आधारभूत भूविज्ञान डेटा सृजन, खनिज अन्वेषण आदि से संबंधित परियोजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए संशोधित कर ₹296.50 करोड़ कर दिया गया। ₹296.50 करोड़ में से, ₹296.27 करोड़ का उपयोग 2023-24 में (लगभग 100% उपयोग) किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, एनएमईटी का व्यय पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 85% की धनात्मक वृद्धि के साथ बढ़ा है।

एनएमईटी द्वारा किए गए व्यय की वर्षवार राशि नीचे संलग्न है:

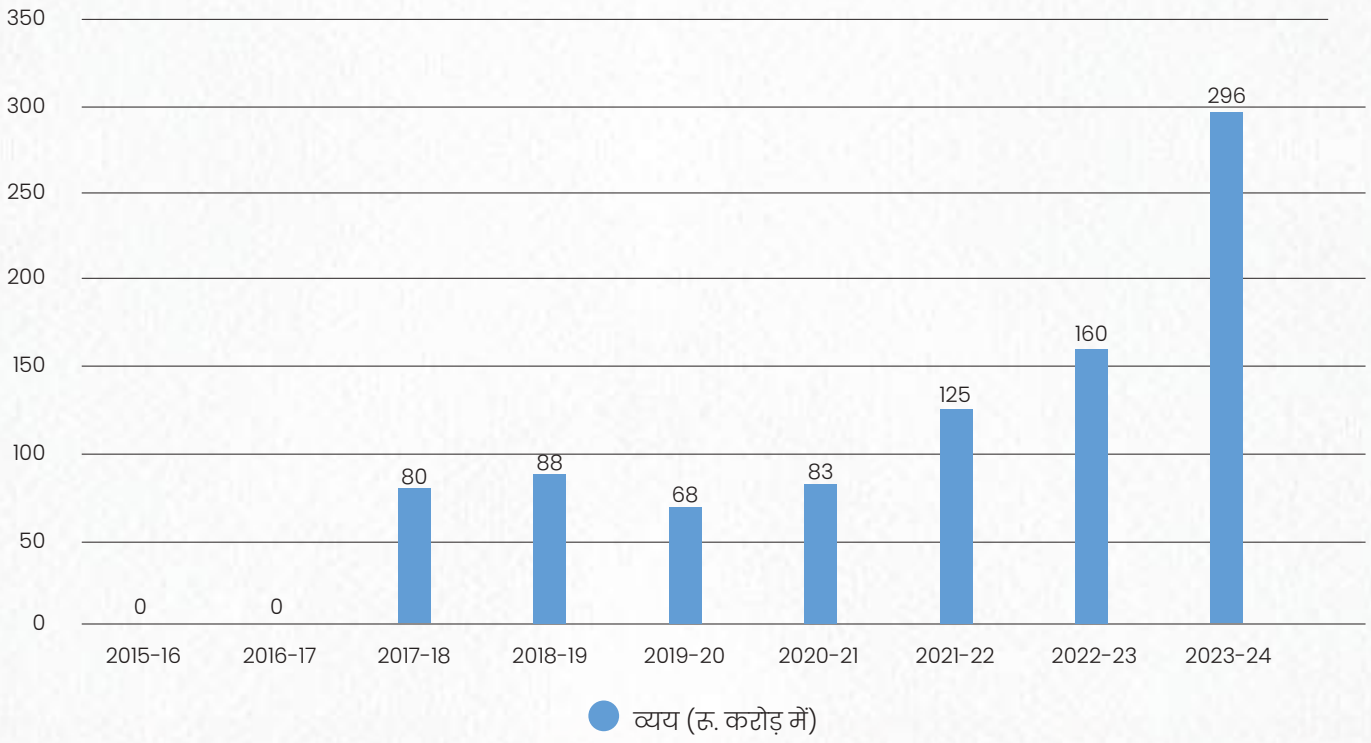

4. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए भुगतान का विवरण अनुलग्नक-7 के रूप में संलग्न है।

5. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹502.50 करोड़ की राशि की 89 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। स्थापना के बाद से, 31.03.2024 तक एनएमईटी द्वारा ₹2262.59 करोड़ की राशि की 378 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

6. लेखा परीक्षा महानिदेशक, खान, कोलकाता के कार्यालय ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के कामकाज पर एक विषयगत ऑडिट पैरा तैयार किया। इस पैरा में एनएमईटी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर 8 उप-पैरा शामिल हैं। लेखा परीक्षा महानिदेशक, खान के कार्यालय को औचित्य और सहायक दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 8 में से 6 उप-पैरा का निपटान किया गया। शेष 2 उप-पैरा का अनुपालन प्रगति पर है।

अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियाँ

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (एनएमईपी), 2016 में देश के विशाल खनिज संसाधनों की खोज और दोहन के लिए निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकीय क्षमता और वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए खनिज अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इसमें अन्वेषण एजेंसियों को अन्वेषण कार्यों के लिए अपने जोखिम को कम करने के लिए प्रोत्साहन की भी परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2021 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में संशोधन ने केंद्र सरकार को पूर्वेक्षण कार्यों को करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अधिसूचित करने का अधिकार दिया है। अधिसूचित निजी क्षेत्र की अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) की भागीदारी ने देश में अन्वेषण गतिविधियों को गति प्रदान की है और नीलामी के लिए उपयुक्त अधिक ब्लॉकों की पहचान करने में सक्षम बनाया है।

संशोधनों के अनुरूप, एनएमईटी के शासी निकाय ने मई 2022 में एनएमईटी वित्त पोषण के माध्यम से खनिज अन्वेषण में अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) की नियुक्ति की योजना को मंजूरी दी।

इसके अलावा, वर्ष 2023 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में संशोधन के साथ, केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग डी और सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज की खोज में एनपीईए की नियुक्ति की योजना में बदलाव पेश किए हैं। एनपीईए द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन और मंजूरी के लिए सीधे राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) द्वारा संभाला जा रहा है। एनएमईटी सीधे एनएमईटी को प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के शीघ्र निष्पादन के लिए एनएमईटी निधि से एनपीईए को मोबिलाइजेशन एडवांस भी प्रदान कर रहा है।

मार्च, 2022 से खान मंत्रालय ने एनएमईटी वित्त पोषण से अन्वेषण परियोजनाएं करने के लिए 20 निजी अन्वेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 7 अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) को एनएमईटी निधि से ₹29.12 करोड़ की राशि की 23 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अब तक स्वीकृत 23 परियोजनाओं में से 15 महत्वपूर्ण खनिजों की हैं।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

एन.पी.ई.ए. की सूची

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	नोटिफिकेशन की तिथि
1	मैसर्स कार्तिके एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	14 सितम्बर 2023
2	मैसर्स एंजियोटेक कंसल्टेंट	31 अगस्त 2023
3	मेसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	28 फरवरी 2023
4	मेसर्स नोवोमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	28 फरवरी 2023
5	मेसर्स इकोमेन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	29 सितम्बर 2022
6	मेसर्स जियोएक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सॉल्यूशंस	29 सितम्बर 2022
7	मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	29 सितम्बर 2022
8	मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	29 अगस्त 2022
9	मेसर्स वी. एम. सलगांवकर एंड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड	22 मई 2022
10	मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड	02 मई 2022
11	मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	02 मई 2022
12	मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट	07 अप्रैल 2022
13	मेसर्स जियोटेकनिकल माइनिंग सॉल्यूशंस	07 अप्रैल 2022
14	मेसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	07 अप्रैल 2022
15	मेसर्स इंडियन माईन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट	05 अप्रैल 2022
16	मेसर्स नेचुरल रिसोर्स डिविजन-टाटा स्टील लिमिटेड	02 मार्च 2022
17	मेसर्स रामगढ़ मिनरल एंड माइनिंग लिमिटेड	19 जनवरी 2024
18	मेसर्स पीआरबी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड	19 जनवरी 2024
19	मेसर्स कुन्दन कॉन्सेंट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड	19 जनवरी 2024
20	मेसर्स जेम्स प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	19 जनवरी 2024
21	मेसर्स क्रिटिकल मिनेरल ट्रैकर	24 जून 2024
22	मेसर्स माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	24 जून 2024

एनएमईटी द्वारा किए गए कार्यों की मुख्य बातें

अपनी स्थापना के बाद से ही एनएमईटी देश में खनिज अन्वेषण गतिविधियों को वित्त पोषित कर रहा है। इसमें खनिज विकास पर अध्ययन; किसी क्षेत्र में खनिज अन्वेषण की स्थिति को जी3 से जी2/जी1 स्तर तक उन्नत करना; सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विस्तृत और क्षेत्रीय अन्वेषण; खनिज रियायतों के अनुदान के लिए अन्वेषण; हवाई और जमीनी भूभौतिकीय सर्वेक्षण; भू-रासायनिक सर्वेक्षण; और मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों का क्षमता निर्माण शामिल हैं।

एनएमईटी ने देश में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और प्रोत्साहन शुरू किए हैं, जैसे, खनिज ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन, जी4 चरण की खनिज अन्वेषण परियोजनाओं के उन्नयन/नीलामी पर कार्यान्वयन एजेंसियों को अन्वेषण प्रोत्साहन, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग बी में खनिजों को छोड़कर सभी प्रमुख खनिजों की खोज के लिए सीधे एनएमईटी के माध्यम से अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) को शामिल करने की योजना (अनुलग्नक-11), जेएनएआरडीसीसी के माध्यम से खान मंत्रालय की एस एंड टी-प्रिज्म योजना के तहत स्टार्ट-अप और एमएसएमई परियोजनाओं का वित्तपोषण, समग्र लाइसेंस (सीएल) धारकों के लिए एनएमईटी से अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की योजनाएँ (अनुलग्नक-12) ।

एनएमईटी देश के खनिज संसाधनों को बढ़ाने के लिए देश में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने खर्च को दोगुना करने का लक्ष्य बना रहा है।

एनएमईटी महत्वपूर्ण, गहरे स्थित और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और उन्नत केंद्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके केंद्र सरकार की एजेंसियों और राज्य सरकारों को भी समर्थ बना रहा है।

खान मंत्रालय राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन करके और सोशल मीडिया, कार्यक्रमों, आभासी बैठकों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करके अधिक निजी अन्वेषण एजेंसियों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। इसका लक्ष्य देश के खनिज संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और गहन अन्वेषण में सुधार पर खर्च की राशि को दोगुना करना है।

एनएमईटी के लिए डायनामिक वेब पोर्टल का विकास प्रगति पर है। इससे परियोजनाओं को प्रस्तुत करने, परियोजनाओं की निगरानी करने, अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने/सहयोग को बढ़ाने की प्रक्रिया, आसान हो जाएगी।

एनएमईटी ने मार्च, 2024 तक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्त पोषण के लिए कुल 378 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मार्च, 2024 तक कुल 206 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं का कार्य निष्पादनाधीन है।

विभिन्न अन्वेषण गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1. एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित, जीचरणमें झारखंड और मध्य और जी31 प्रदेश राज्यों में अंवेषित कोयला ब्लॉक क्रमशः दक्षिण दामुदा ब्लॉक और उरतन उत्तर के उत्तर ब्लॉक (लामाटोला ब्लॉक) की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, इससे खदान के जीवनकाल में ₹65000 करोड़ का राजस्व उत्पन्न होगा।
2. एनएमईटी ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज अन्वेषण के लिए ₹70.69 करोड़ की 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
3. एनएमईटी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 296.27 करोड़ का उपयोग करके अन्वेषण गतिविधियों पर व्यय की एक रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 85% अधिक उपयोग था।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और राज्य सरकारों द्वारा नीलामी के लिए रखे जाने वाले अधिक से अधिक ब्लॉकों को बढ़ावा देने के लिए एनएमईटी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकारों को ₹25.67 करोड़ प्रदान किए।

इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में अगस्त, 2023 में हुए संशोधन के अनुरूप अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) द्वारा एनएमईटी अनुमोदित परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए, एनएमईटी ने दिसंबर, 2023 में, गहरे, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के अन्वेषण के लिए सीधे एनएमईटी के माध्यम से एनपीईए की भागीदारी के लिए एक परिवर्तनकारी योजना शुरू की। एनएमईटी ने योजना के तहत 9.10 करोड़ रूपये की 5 एनपीईए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है ।

एनएमईटी ने तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के संगठनों और राज्य डीजीएम/डीएमजी में मशीनरी/उपकरण/यंत्रों की खरीद/मौजूदा सॉफ्टवेयर और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरणों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में एक योजना तैयार और परिचालित की है। वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना ने गति पकड़ी है और राज्य सरकारें और अन्य केंद्रीय एजेंसियां एनएमईटी को वित्तीय सहायता के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आगे आ रही हैं। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार के संगठन की ₹32.45 करोड़ की एक परियोजना और राज्य डीजीएम/डीएमजी की ₹12.65 करोड़ की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में खनिज अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना के तहत भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों को एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। उपकरणों की सूची अनुलग्नक-12 में संलग्न है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएमईटी की उपलब्धि

स्वीकृत 89 खनिज अन्वेषण/ वित्तीय सहायता, खरीद/ बेसलाइन सर्वेक्षण / अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन परियोजनाएँ	**लागत रु. 502.49 करोड़**
महत्वपूर्ण खनिजों की 38 परियोजनाएँ (लक्ष्य 20 परियोजनाएँ)	**लागत रु. 95.13 करोड़**
एनपीईए की 23 परियोजनाएं (लक्ष्य 20 परियोजनाएँ)	**लागत रु. 24.74 करोड़**
पीएसयू 01 राज्य और 05 को वित्तीय सहायता	**लागत रु. 45.10 करोड़**
एसटी एवं प्रिज्म योजना के अंतर्गत परियोजनाओं 01	**लागत रु. 1.20 करोड़**
वित्त वर्ष 2023-24 में 296.27 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया (लक्ष्य 296 50 करोड़ रुपये)	**वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 85% बजट का उपयोग बढ़ाया गया।**
राज्यों में 4, एनपीईए द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के लिए 11 फील्ड निरीक्षण दौरे	**प्रभावी परियोजना समीक्षा एवं निगरानी तंत्र के लिए**
महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खोज के लिए, सीधे एनएमईटी के माध्यम से एनपीईए का लाभ उठाना के लिए परिवर्तनकारी योजना का अनावरण किया	**महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के अंवेषण को बढावा।**

अनुबंध-1

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937
No. 508] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सा.का.नि.633(अ).-केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक न्यास जिसे शासकीय निकाय और कार्यकारी समिति के साथ राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास कहा जाएगा, की स्थापना करती है।

(1) शासकीय निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क)	खान मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री;	अध्यक्ष, पदेन
(ख)	कोयला मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री या उसका नामनिर्देशिती ;	सदस्य, पदेन
(ग)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री या उसका नामनिर्देशिती ;	सदस्य, पदेन
(घ)	परमाणु ऊर्जा के लिए राज्य मंत्री या उसका नामनिर्देशिती ;	सदस्य, पदेन
(ङ)	खान के लिए राज्य मंत्री ;	सदस्य, पदेन
(च)	खान और भूविज्ञान का भारसाधन रखने वाले राज्य सरकारों के छह मंत्री, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम आधार पर पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्रता के साथ, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;	सदस्य, पदेन

(छ)	सचिव, खान मंत्रालय ;	संयोजक, पदेन
(ज)	विशेष आमंत्रित, जो सुसंगत क्षेत्र से अनुभव रखते हो, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे ;	

(2) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क)	सचिव, खान मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
(ख)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	सदस्य, पदेन
(ग)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, कोयला मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(घ)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(ङ)	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, खान या कोयला मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(च)	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
(छ)	महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिनिधि	संयोजक, पदेन
(ज)	केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिश्चित किन्हीं चार राज्य सरकारों में से एक प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार के सचिव या समतुल्य की श्रेणी से नीचे का न हो, चक्रानुक्रम आधार पर पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्रता के साथ, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ;	सदस्य, पदेन
(झ)	संयुक्त सचिव, खोज का भारसाधक, खान मंत्रालय	सदस्य सचिव, पदेन
(ञ)	राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट, ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास संबंधित खोज या अनुसंधान का दो वर्षों की अवधि का अनुभव हो, में से पांच व्यक्ति।	

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 11/8/2015-एम.आई.]

आर.श्रीधरन,अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2015

G.S.R.633(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 9C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby establishes a Trust to be called as the National Mineral Exploration Trust with a Governing Body and an Executive Committee.

(I) The Governing Body shall consist of the following members, namely:-

(a) Union Minister In-charge of Ministry of Mines	—Chairperson, *ex officio*;
(b) Union Minister In-charge of Ministry of Coal or his nominee	—Member, *ex officio;*

(c) Union Minister In-charge of Ministry of Petroleum and Natural Gas or his nominee —Member, *ex officio;*

(d) Minister of State for Atomic Energy or his nominee —Member, *ex officio;*

(e) Minister of State for Mines —Member, *ex officio;*

(f) Six Ministers of State Governments, holding charge of Mines and Geology to be nominated by the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust, on rotation basis, for a term not exceeding two years at a time with the eligibility for re-nomination —Members, *ex officio*;

(g) Secretary, Ministry of Mines —Convener, *ex officio*.

(h) Special invitees having experience in the relevant field to be invited by the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust.

(II) The Executive Committee shall consist of the following members, namely:-

(a) Secretary, Ministry of Mines —Chairperson, *ex officio;*

(b) an officer not below the rank of Joint Secretary, Department of Atomic Energy —Member, *ex officio;*

(c) an officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Coal —Member, *ex officio;*

(d) an officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas —Member, *ex officio;*

(e) Joint Secretary and Financial Advisor of Ministries of Mines or Coal —Member, *ex officio;*

(f) Director General of Geological Survey of India or any other representative to be nominated by the Central Government —Member, *ex officio;*

(g) Controller General of Indian Bureau of Mines or any other representative to be nominated by the Central Government —Member, *ex officio;*

(h) One representative from any four State Governments, as decided by the Central Government, not below the rank of Secretary to the State Government or equivalent, on rotation basis, for a term not exceeding two years at a time, with the eligibility for re-nomination —Members, *ex officio;*

(i) Joint Secretary, in-charge of Exploration, Ministry of Mines —Member Secretary, *ex officio;*

(j) five persons, from among persons with experience in exploration or in research in a related field at least for a period of two years, to be nominated by the Chairperson of the Executive Committee of the National Mineral Exploration Trust.

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.11/8/2015-M.I]

R.SRIDHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुबंध-2

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937
No. 507] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सा.का.नि.632 (अ).- केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) तथा धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) **"अधिनियम"** से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है ;

(ख) **"अध्यक्ष, कार्यपालक समिति"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की कार्यपालक समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) **"अध्यक्ष, शासी निकाय"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) **"कार्यपालक समिति"** से न्यास की कार्यपालक समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) **"निधि"** से नियम 6 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है ;

(च) **"शासी निकाय"** से न्यास का शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(छ) **"सदस्य, कार्यपालक समिति"** से कार्यपालक समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) **"सदस्य, शासी निकाय"** से शासी निकाय का सदस्य अभिप्रेत है ;

(झ) **"सुस्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्र"** से भारत के भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर पहचान किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ञ) **"न्यास"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास अभिप्रेत है ।

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, का वहीं अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. शासी निकाय और कार्यपालक समिति के कृत्य—(1) शासी निकाय, न्यास द्वारा कार्य करने के लिए वृहत्त नीति ढांचे को अधिकथित करेगी और उसके कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगी ।

(2) शासी निकाय, कार्यपालक समिति की सिफारिशों पर न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगा और यह वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।

(3) कार्यपालक समिति न्यास का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी तथा नियमित अंतरालों पर न्यास निधि के व्यय की मानीटरी और पुनर्विलोकन भी करेगी ।

(4) कार्यपालक समिति अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए नीति ढांचे का और समय-समय पर शासी निकाय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुसरण करेगी ।

(5) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि में फेरफार कर सकेगा या उसकी पदावधि के पूरा होने से पूर्व उसे कार्यपालक समिति से हटा सकेगा ।

4. शासी निकाय की सदस्यता—(1) शासी निकाय के सदस्य पदेन सदस्य होंगे ।

(2) शासी निकाय के विशेष आमंत्रिती, यदि कोई हों, ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्च के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे ।

5. कार्यपालक समिति की सदस्यता—(1) पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, जिसके अंतर्गत विशेष आमंत्रिती हैं, को मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु वे ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्च के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे ।

6. न्यास के अधीन निधि का गठन—(1) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि" के नाम से ज्ञात न्यास के अधीन एक निधि स्थापित करेगी, जिसका प्रबंधन न्यास की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा ।

(2) न्यास निधि नियम 8 के उपबंधों के अनुसार संदाय करने के लिए धन प्राप्त करेगी और यह ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, अशंदान भी प्राप्त करेगी ।

7. न्यास निधि में अंशदान—(1) न्यास को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी अधिसूचित बैंक में अपने स्वयं के नाम से बैंक खाते खोलने और प्रचालित करने की शक्ति होगी ।

(2) न्यास अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित संदायों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को अपने बैंक खाते की विशिष्टियों से संसूचित करेगा ।

(3) खनन पट्टे और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–खनन पट्टे के धारक न्यास निधि को अंशदान के लिए राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम का स्वामिस्व के संदाय के साथ संदाय करेंगे ।

(4) राज्य सरकार ऐसे संदायों से एकत्रित रकम को न्यास के बैंक खाते में जमा करेगी ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट जमा को यथाशीघ्र किंतु किसी भी दशा में उस मास, जिसकी बाबत किसी विशिष्ट मास में रकम एकत्रित की गई है, के पश्चातवर्ती मास के दस दिन से पूर्व जमा किया जाएगा ।

(6) इस प्रकार एकत्रित रकम को एकत्रित करने और न्यास निधि में जमा करने तथा केंद्रीय सरकार के साथ लेखाओं को बांटने के लिए, अपेक्षित लेखाओं का अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा ।

(7) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अनुसरण में संदत्त रकमों और भारतीय खान ब्यूरों को स्वामिस्व के संदाय की बाबत सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराएगी ।

(8) भारतीय खान ब्यूरो न्यास के बैंक खाते में अंतरित धन का अद्यतन अभिलेख को रखने के साथ स्वामिस्व संदायों के डाटा बेस का अनुरक्षण करेगा तथा न्यास को आवधिक आधार पर ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगा ।

8. कार्यालय और बैंक खाता—(1) न्यास का कार्यालय, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001 या ऐसे अन्य स्थान पर, जो कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएं, होगा।

(2) न्यास के बैंक खाते को सदस्य सचिव या कार्यपालक समिति के किसी अन्य सदस्य या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा कार्यपालक समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के माध्यम से खोला और प्रचालित किया जाएगा।

9. न्यास के उद्देश्य और कृत्य—(1) न्यास खनिजों के लिए प्रादेशिक और विस्तृत खोज करेगा तथा यह ऐसे कार्यकलाप हाथ में लेगा जैसा शासी निकाय द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) विशेष अध्ययनों और परियोजनाओं का वित्तपोषण करना, जो गहरे या छिपे हुए खनिज भंडारों की पहचान, खोज, निकालने, धातु शोधन और परिष्करण के लिए डिजाइन की गई हैं ;

(ख) खनिज विकास, उन्नत, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों तथा खनिज निकासी, धातु विज्ञान के लिए भरणीय खनन को अंगीकार करने के लिए अध्ययन हाथ में लेना ;

(ग) प्रादेशिक और विस्तृत खोज के लिए क्षेत्रों को पूर्विकता देते हुए विशिष्टता सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को हाथ में लेना ;

(घ) न्यास द्वारा खोज के लिए पूर्विकताओं का विनिश्चय करने के लिए केंद्रीय भू-गर्भीय कार्यक्रम बोर्ड से परामर्श करना ;

(ङ) ऐसी रीति में खोज कार्यकलापों को सुकर बनाना, जिससे खोजे गए क्षेत्रों को अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार खनिज छूटों को अनुदत्त करने के लिए हाथ में लिया जा सके ;

(च) स्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्रों (जी3) में ब्राउन फील्ड प्रादेशिक खोज परियोजनाओं को पूरा करने को सुकर बनाना, जिसके अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से गहरे खनिज भंडारों की उच्च जोखिम खोज संचालित करना है ;

(छ) संपूर्ण भारत में उन क्षेत्रों में, जहां जी3 स्तर की खोज पूरी कर ली गई है, विस्तृत खोज (जी2 या जी1) को पूरा करने का संवर्धन करना ;

(ज) भू-भौतिकीय, भू और हवाई सर्वेक्षण और स्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्रों के सर्वेक्षण और शेष भारत के सर्वेक्षण को सुकर करना ;

(झ) पृथ्वी विज्ञान और खनिज पूर्वेक्षण के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कोर निक्षेपागार को सुकर बनाना ;

(ञ) खोज में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों की तकनीकी सक्षमता को बढ़ाने के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना ; और

(ट) न्यास निधि का ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे, या कार्यपालक समिति को भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण, विकास और खोज के हित में समीचीन या आवश्यक के लिए कार्यपालक समिति को प्राधिकृत करना, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शासी निकाय कार्मिकों को नियोजित कर सकेगा या भाडे पर ले सकेगा, संपत्ति, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा है, का स्वामी हो सकेगा या उसका निपटान कर सकेगा, प्रशासनिक व्यय उपगत कर सकेगा और दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा, जैसा अपेक्षित हो।

10. न्यास का प्रबंधन—(1) न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक पुनर्विलोकन और नीति निदेश शासी निकाय में विहित होंगे।

(2) कार्यपालक समिति न्यास के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी।

(3) शासी निकाय कार्यपालक समिति को उपनियम (1) में यथावर्णित अपनी किसी या सभी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(4) कार्यपालक समिति वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन के लिए स्कीम की विरचना करेगी और उसे अंतिम रूप देगी।

11. समितियां—(1) कार्यपालक समिति ऐसे कार्यों में हाथ में लेने के लिए, जो कार्यपालक समिति द्वारा समिति या समितियों को सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएं, के लिए समिति या उप समितियों का गठन कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति या उप समिति इन नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के लिए तथा ऐसी शक्तियों और कृत्यों का पालन करने के लिए, जैसा कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्वयं की प्रक्रिया बनाएगी।

12. कार्यपालक समिति द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन—(1) कार्यपालक समिति स्वयं या राज्य सरकार या किसी अन्य निकाय, जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर निकाय हैं, से परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति पर न्यास के उद्देश्यों से संगत परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर सकेगी ।

(2) कार्यपालक समिति उपनियम (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से सुसंगत स्वयं की प्रक्रिया की विरचना कर सकेगी ।

तद्धीन

13. परियोजनाओं की मॉनिटरी.– (1) न्यास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनिटरी स्वयं या किसी सरकारी सत्ता के माध्यम से करेगा, जिसके अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो है ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए न्यास अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत अपनी प्रक्रिया बनाएगा ।

14. शासकीय निकाय की बैठकें. – (1) शासकीय निकाय एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा ।

(2) शासकीय निकाय की बैठकों की अध्यक्षता शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शासकीय निकाय के पदेन सदस्यों में से किसी स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेंगे ।

(3) सभी विनिश्चय और संकल्प जिनके अंतर्गत शासकीय निकाय के परिपत्र संकल्प है, आम सहमति द्वारा किए या अंगीकार किए जाएंगे ।

(4) किसी असहमति या विसम्मति की दशा में, अध्यक्ष, शासकीय निकाय का विनिर्णय अंतिम होगा ।

15. कार्यपालक समिति की बैठकें – (1) कार्यपालक समिति प्रत्येक तीन मास की अवधि में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

(2) कार्यपालक समिति की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा की जाएगी । अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की अनुपस्थिति में कार्यपालक समिति के पदेन सदस्य, सदस्यों में से स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे ।

(3) कार्यपालक समिति की बैठकें भौतिक या वास्तविक या परिचालन द्वारा या दोनों से मिलकर होगी :

परंतु परिचालन द्वारा बैठक न्यास के लेखों के अंगीकरण, न्यास की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु शासकीय निकाय की सिफारिश को लागू नहीं होगी ।

(4) सभी विनिश्चय और संकल्प जिनके अंतर्गत कार्यपालक समिति के परिपत्र संकल्प हैं, कार्यपालक समिति के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे या अंगीकार किए जाएंगे ।

(5) मतों की बराबरी की दशा में, अध्यक्ष, कार्यपालक समिति या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा:

परंतु कोई सदस्य, कार्यपालक समिति या उसकी किन्हीं समितियों या उप-समितियों की बैठक में विचार-विमर्श हेतु किसी विषय पर चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा, यदि मामला ऐसा है जिसमें ऐसे सदस्य का कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या धनीय हित है ।

16. शासकीय निकाय और कार्यपालक समिति की बैठक के लिए नोटस और कार्यसूची. – (1) शासकीय निकाय का अध्यक्ष या संयोजक, अध्यक्ष, शासकीय निकाय की सहमति से शासकीय निकाय की बैठक का यह आयोजन सभी सदस्यों को न्यूनतम 15 दिन का नोटिस देते हुए करेगा :

परंतु अध्यक्ष, शासकीय निकाय इससे लघुत्तर नोटिस-अवधि के साथ बैठक को आयोजित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव, अध्यक्ष की सहमति से कार्यपालक समिति की बैठक का यह आयोजन सभी सदस्यों को न्यूनतम 7 दिन का नोटिस देते हुए करेगा :

परंतु कार्यपालक समिति का अध्यक्ष इससे लघुत्तर नोटिस-अवधि के साथ बैठक को आयोजित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) किसी बैठक के लिए नोटिस के अंतर्गत उस बैठक की कार्यसूची, पूर्वत्तर बैठक का प्रारूप कार्यवृत्त और पूर्वत्तर बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट हो सकेगी ।

17. बैठक की गणपूर्ति. – (1) शासकीय निकाय की किसी बैठक की गणपूर्ति, विशेष निमंत्रितों को अपवर्जित करते हुए, छह से होगी ।

(2) कार्यपालक समिति की किसी बैठक, जिसके अंतर्गत कोई वास्तविक बैठक है, नामनिर्देशित सदस्यों को अपवर्जित करते हुए, की गणपूर्ति सात से होगी।

18. कार्यपालक समिति के सदस्य-सचिव की शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व – (1) कार्यपालक समिति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यपालक समिति का एक सदस्य-सचिव होगा।

(2) कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव, -

(क) कार्यपालक समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन न्यास का प्रशासन और प्रबंध करेगा।

(ख) ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कार्यपालक समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जाए या जो अध्यक्ष, कार्यपालक समिति द्वारा समनुदेशित की जा सकेगी।

(3) उप नियम (2) और (3) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपालक समिति के सदस्य-सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :-

(क) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट तैयार करवाना और उनको कार्यपालक समिति को शासकीय निकाय के विचार और सिफारिश हेतु प्रस्तुत करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने वाले प्रस्तावों और परियोजनाओं पर विचार करने से पूर्व कार्यपालक समिति की प्रथाओं, प्रक्रियाओं, नियमों या निदेशों के अनुसार सम्यक तत्परता का प्रयोग किया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि न्यास के कार्यकलाप वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं; और

(घ) शासकीय निकाय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट केंद्रीय सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के अंत तक प्रस्तुत करना।

19. वार्षिक योजना - कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सुसंगत वित्तीय वर्ष में न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने हेतु प्रस्तावित अल्पावधि परियोजनाओं और दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए योजना, जिसे वार्षिक योजना के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, ऐसे समय के दौरान, परियोजनाओं को पूरा करने का अनुमानित समय और ऐसी परियोजनाओं हेतु लागत न्यास द्वारा अपने जिम्मे लिए जाने वाले या पूरे किए जाने वाले कार्यकलापों के ब्यौरे सहित तैयार करवाएगा।

(2) वार्षिक योजना में न्यास द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जिम्मे लिए जाने हेतु प्रस्तावित सभी परियोजनाएं, कार्यक्रम, कार्यकलाप अंतर्विष्ट होंगे और सुस्पष्टत: निर्धारित लक्ष्य होंगे।

20. वार्षिक बजट – कार्यपालक समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उस विशेष वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक योजना के अंतर्गत कार्यकलापों पर प्रस्तावित आय और व्यय के ब्यौरों से अंतर्विष्ट वार्षिक बजट तैयार करवाएगा, जिसके अंतर्गत इस संबंध में निधिकरण अपेक्षाओं के ब्यौरों सहित न्यास द्वारा उपगत किए जाने हेतु प्रस्ताव विधिक, प्रशासनिक और अन्य खर्चे हैं, किसी वार्षिक बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

21.वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन – (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट शासकीय निकाय के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे।

(2) कार्यपालक समिति का सदस्य-सचिव शासकीय निकाय के संयोजक से सम्यक रुप से अनुमोदित वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट की प्रतियां प्राप्त करने पर उनको शासकीय निकाय के अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) उप नियम (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यास, अध्यक्ष, शासकीय निकाय के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अध्यधीन, ऐसे कार्यकलापों हेतु व्यय का जिम्मा ले सकेगा जो वार्षिक योजना में अनुमोदित नहीं किए गए हैं, जिनको शासकीय निकाय के समक्ष अगले वार्षिक बजट सहित रखा जाएगा।

(4) वार्षिक योजना और संबंधित वार्षिक बजट, अध्यक्ष, शासकीय निकाय के अनुमोदन के अध्यधीन किसी भी समय संशोधित किए जा सकेंगे, जो अगले वर्ष की वार्षिक योजना या बजट सहित शासकीय निकाय के समक्ष रखे जाएंगे।

22. वार्षिक रिपोर्ट – (1) कार्यपालक समिति का सदस्य-सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिन के भीतर ऐसी सूचना जो कार्यपालक समिति द्वारा समुचित समझी जाए से अंतर्विष्ट एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यास द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्यकलापों के ब्यौरे और ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान न्यास द्वारा उपगत व्यय अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उसके कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

23. वित्तीय वर्ष – (1) न्यास का लेखांकन या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा ।

(2) न्यास की संक्रियाओं का प्रथम वर्ष आंशिक वर्ष हो सकता है ।

24. लेखों का अनुरक्षण और संपरीक्षा –(1) न्यास के लेखे ऐसे प्ररूप, पद्धति और रीति में अनुरक्षित की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(2) न्यास निधि के लेखे ऐसे रीति में संपरीक्षित किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(3) न्यास, उपनियम (2) में निर्दिष्ट संपरीक्षा के पश्चात् वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. 11/8/2015-एम.आई]

आर.श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2015

G.S.R.632 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 9C and section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(b) "**Chairperson, Executive Committee**" means the Chairperson of the Executive Committee of the National Mineral Exploration Trust established under sub-section (1) of section 9C of the Act;

(c) "**Chairperson, Governing Body**" means the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust established under sub-section (1) of section 9C of the Act;

(d) "**Executive Committee**" means the Executive Committee of the Trust;

(e) "**Fund**" means the fund referred to in rule 6;

(f) "**Governing Body**" means the Governing Body of the Trust;

(g) "**Member, Executive Committee**" means the member of the Executive Committee of the Trust;

(h) "**Member, Governing Body**" means the member of the Governing Body of the Trust;

(i) "**obvious geological potential areas**" means the area identified by the Geological Survey of India from time to time; and

(j) "**Trust**" means the National Mineral Exploration Trust established by the Central Government under sub-section (1) of section 9C of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **The Functions of the Governing Body and the Executive Committee.-** (1) The Governing Body shall lay down the broad policy framework for the functioning of the Trust and review its working.

(2) The Governing Body shall approve the annual plan and annual budget of the Trust upon the recommendations of the Executive Committee and it shall meet at least once in a year.

(3) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the Trust and shall also monitor and review the expenditure of the Trust fund at regular intervals.

(4) The Executive Committee shall, while discharging its functions, follow the policy framework and the directions of the Governing Body from time to time.

(5) The Chairperson of the Executive Committee may vary the term of office of any nominated member or remove him from the Executive Committee before the completion of his term.

4. Membership of Governing Body.- (1) The members of the Governing Body shall be *ex officio* members.

(2) Special invitees, if any, of the Governing Body shall be entitled to such sitting fee, conveyance and out of pocket expenditure as the Governing Body may decide.

5. Membership of Executive Committee.- (1) The ex officio members only shall have voting rights.

(2) Members, other than ex-officio members including special invitees shall have no voting rights but shall be entitled to such sitting fee, conveyance and out of pocket expenditure as the Governing Body may decide.

6. Constitution of a fund under the Trust.- (1) The Central Government shall, by order, set up a fund under the Trust to be called as the "National Mineral Exploration Trust Fund" to be managed by the Executive Committee of the Trust.

(2) The Trust Fund shall receive monies to be paid in accordance with the provisions of rule 8 and may also receive contributions from such other sources as may be approved by the Central Government.

7. Contribution to Trust Fund.- (1) The Trust shall have power to open and operate bank accounts in its own name at any Scheduled Bank as specified in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(2) The Trust shall communicate the particulars of its bank account to the State Government for the purposes of payments required to be made under sub-section (4) of section 9C of the Act.

(3) The holders of mining lease and prospecting licence-cum-mining lease shall make payments for contribution to the Trust Fund of amount payable under sub-section (4) of section 9C of the Act to the State Government simultaneously with payments of the royalty.

(4) The State Government shall deposit the amount collected from such payments into the bank account of the Trust.

(5) The deposit referred to in sub-rule (4) by the State Government into the designated bank account of the Trust, shall be made as soon as possible, but in any case not later than tenth day of the succeeding month in respect of the amount collected in any particular month.

(6) The responsibility of collection and depositing the amount so collected in the Trust Fund and maintaining necessary accounts to be shared with the Central Government shall be that of the State Government.

(7) The State Government shall provide information regarding amounts paid pursuant to sub-section (4) of section 9C of the Act and royalty payments to the Indian Bureau of Mines on a monthly basis.

(8) The Indian Bureau of Mines shall maintain an updated record of the monies transferred to the bank account of the Trust along with a database of royalty payments and provide such information to the Trust on a periodic basis.

8. Office and bank account.- (1) The office of the Trust shall be situated at Ministry of Mines, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, Central Secretariat, New Delhi 110001 or at such other place as may be determined by the Executive Committee.

(2) The bank accounts of Trust shall be opened and operated through the Member Secretary or any other Member of the Executive Committee or any officer of the Central Government, as may be authorised by the Executive Committee.

9. Objects and Functions of the Trust.- (1) The Trust shall carry out regional and detailed exploration for minerals and it shall undertake such activities as may be deemed necessary by the Governing Body to achieve its objects including**,-**

(a) funding special studies and projects designed to identify, explore, extract, beneficiate and refine deep-seated or concealed mineral deposits;

(b) undertaking studies for mineral development, sustainable mining adoption of advanced scientific and

technological practices and mineral extraction metallurgy;

(c) taking up exploration of areas for regional and detailed exploration, giving priority particularly to strategic and critical minerals;
(d) consulting Central Geological Programming Board to decide the priorities for exploration of the Trust;
(e) facilitating exploration activities in such a manner that areas explored can be taken up for grant of mineral concessions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
(f) facilitating completion of brownfield regional exploration projects in obvious geological potential areas (G3) including conducting high-risk exploration for deep-seated mineral deposits through modern technologies;
(g) promoting completion of detailed exploration (G2 or G1) across India in the areas where G3 stage exploration has been completed;
(h) facilitating geophysical, ground and aerial, survey and geochemical survey of obvious geological potential areas and rest of India;
(i) facilitating a national core repository for encouraging research in earth sciences and for evaluation of the mineral prospects;
(j) organizing capacity building programmes to raise technical capability of personnel engaged in or to be engaged in exploration; and
(k) using the Trust Fund for such other purposes that the Governing Body may decide, or authorise the Executive Committee, to be necessary or expedient in the interest of conservation, development and exploitation of mineral resources of India, not inconsistent with the provisions of the Act.

(2) In furtherance of the objectives referred to in sub-rule (1), the Governing Body may employ or hire personnel, own and dispose off property, including intellectual property, incur administrative expenses and execute documents as may be necessary.

10. Management of the Trust.- (1) The overall control**,** periodical reviews and policy directions the Trust shall vest with the Governing Body.

(2) The Executive Committee shall manage, administer and supervise the day to day activities of the Trust.

(3) The Governing Body may authorise the Executive Committee to exercise any or all of its powers as mentioned in sub-rule (1).

(4)The Executive Committee shall formulate and finalise the scheme for delegation of financial powers.

11. Committees.- (1) The Executive Committee may constitute committees or sub-committees to undertake such tasks that may be assigned or delegated by the Executive Committee to such committees or sub-committees.

(2) The committee or sub-committee constituted under sub-rule (1) shall devise its own procedure in the discharge of the duties and responsibilities under these rules and in exercise of such powers and functions as may be specified by the Executive Committee.

12. Implementation of projects by the Executive Committee.- (1) The Executive Committee may implement the projects consistent with the objectives of the Trust on its own accord or upon receipt of a project proposal from a State Government or any other entity, including private sector entities.

(2) In implementation of the projects referred to in sub-rule (1), the Executive Committee may devise its own procedure consistent with the Act and the rules made thereunder.

13. Monitoring of projects.- (1) The Trust shall monitor implementation of the projects either by itself or by engaging any government entity, including the Indian Bureau of Mines.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Trust may devise its own procedure consistent with the Act and the rules made thereunder.

14. Meetings of the Governing Body.- (1) The Governing Body shall meet at least once in a year.

(2) The meetings of the Governing Body shall be presided by the Chairperson, Governing Body and in the absence of the Chairperson, Governing Body, the ex-officio Members of the Governing Body may elect an officiating Chairperson, from among themselves.

(3) All decisions or resolutions including circular resolutions of the Governing Body shall be made or adopted by consensus.

(4) In case of any disagreement or dissent, the ruling of the Chairperson, Governing Body shall be final.

15. Meetings of the Executive Committee.- (1) The Executive Committee shall meet at least once in every three months.

(2) The meetings of the Executive Committee shall be presided by the Chairperson, Executive Committee and in the absence of the Chairperson, Executive Commitee, the ex-officio Members of the Executive Committee may elect an officiating Chairperson, from among themselves.

(3) The meetings of the Executive Committee may be either physical or virtual or by circulation or by combination of both:

Provided that the meeting by circulation shall not apply for adoption of accounts of the Trust, recommendation to Governing Body for approval of annual plan, annual budget and annual report of the Trust.

(4) All decisions or resolutions including circular resolutions of the Executive Committee shall be made or adopted by a majority of votes of the members of the Executive Committee present and voting.

(5) In case of equality of votes, the Chairperson, Executive Committee, or in his absence, the member presiding over such meeting as the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that no member shall vote or take part in the discussion of any matter coming up for consideration at a meeting of the Executive Committee or any of its committees or sub-committees, if the matter is one in which such member has any direct, indirect or pecuniary interest.

16. Notice and agenda for meeting of the Governing Body and Executive Committee.- (1) The Chairperson or the Convenor of the Governing Body with the consent of the Chairperson, Governing Body, shall convene the meeting of the Governing Body by giving a minimum fifteen days' notice to all the members:

Provided that the Chairperson, Governing Body may authorise to convene a meeting with a shorter notice period.

(2) The Chairperson or the Member Secretary of the Executive Committee, with the consent of the Chairperson shall convene the meeting of the Executive Committee by giving a minimum seven days' notice to all the Members:

Provided that the Chairperson of the Executive Committee may authorise to convene a meeting with a shorter notice period.

(3) Notice for any meeting may include an agenda for that meeting, draft minutes of the earlier meeting and action taken report on the minutes of the earlier meeting.

17. Quorum for meeting.- (1) The quorum for any meeting of the Governing Body shall be six, excluding the special invitees.

(2) The quorum for any meeting of the Executive Committee, including a virtual meeting, shall be seven, excluding the nominated members.

18. Powers, Duties and Responsibilities of the Member Secretary of the Executive Committee.- (1) There shall be a Member Secretary of the Executive Committee to discharge the functions of the Executive Committee.

(2) The Member Secretary of the Executive Committee shall,-

(a) administer and manage the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Executive Committee.

(b) exercise such administrative and financial powers as may be delegated by the Executive Committee or as may be assigned by the Chairperson, Executive Committee.

(3) The Member Secretary of the Executive Committee shall have the following duties and responsibilities, without prejudice to the generality of sub-rule (2) and (3), namely:-

(a) to cause the preparation of the annual plan and related annual budget and submit them to the Executive Committee for consideration and recommendation to the Governing Body;

(b) to ensure that due diligence has been exercised before considering proposals or projects to be undertaken by the Trust in accordance with the practices, procedure, rules or directions of the Executive Committee;

(c) to ensure that the activities of the Trust are being conducted in accordance with the annual plan and related annual budget; and

(d) to submit to the Governing Body the approved annual plan and related annual budget for each financial year to the Central Government, by the end of January of previous financial year.

19. Annual Plan.- (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, at the beginning of each financial year, cause preparation of plans for short term projects and long term projects proposed to be undertaken by the

Trust in the relevant financial year, to be referred as the **annual Plan**, together with details of the activities to be undertaken or completed by the Trust during such time, the expected time for completion of the projects and cost for such projects.

(2) The annual plan shall contain all projects, programmes, activities proposed to be undertaken by the Trust for achieving its objective and shall have clearly demarcated milestones.

20. **Annual Budget.-** The Member Secretary of the Executive Committee shall, at the beginning of each financial year, cause preparation of an annual budget containing the details of the proposed income and expenditure on activities covered in the annual plan for that particular financial year, including the legal, administrative and other costs and expenditure proposed to be incurred by the Trust together with details of the funding requirements in this regard, to be referred as the **annual budget**.

21. **Approval of the Annual Plan and the Annual Budget.-** (1) The annual plan and the annual budget shall be laid before the Governing Body for its approval.

(2) The Member Secretary of the Executive Committee shall, on receipt of the copies of the duly approved annual plan and the related annual budget from the Convener of the Governing Body, submit the same to the Central Government within a period of thirty days from the date of receipt of approval of the Governing Body.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-rule (2), the Trust may undertake expenditures for activities that are not approved in the annual plan subject to specific approval by the Chairperson, Governing Body, which shall be laid before the Governing Body with the next annual budget.

(4) The annual plan and related annual budget may be amended at any time subject to the approval of the Chairperson, Governing Body, which shall be laid before the Governing Body with the next year annual plan or budget.

22. **Annual Report.-** (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, within ninety days of the end of each financial year, submit an annual report containing such information as deemed appropriate by the Executive Committee.

(2) The annual report shall be approved by the Executive Committee and shall contain details, *inter alia*, of the activities completed by the Trust during the financial year and the expenditure incurred by the Trust during such financial year.

(3) A copy of the annual report shall be sent to the Central Government within a period of thirty days from the date of its approval by the Executive Committee.

23. **Financial year.-** (1) The accounting or financial year of the Trust shall be from the 1st of April to the 31st of March.

(2) The first year of operations of the Trust may be a partial year.

24. **Maintenance and Audit of Accounts.-** (1) The accounts of the Trust shall be maintained in the form, mode and manner as may be decided by the Central Government.

(2) The accounts of the Trust Fund shall be audited in such manner as may be decided by the Central Government.

(3) After the audit referred to in sub-rule (2), the Trust shall submit the annual report to the Central Government.

[F.No.11/8/2015-M.I]

R.SRIDHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुबंध-3

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2018/फाल्गुन 16, 1939
No. 120] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2018/PHALGUNA 16, 1939

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 208 (अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उप-धारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह निधि भारत के लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी जो गैर-व्यपगत तथा ब्याज रहित लेखा होगा तथा यह केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित होगी।";

(3) इस निधि में अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र-सह-खनन पट्टे के धारकों द्वारा देय दो प्रतिशत के बराबर स्वामित्व का भुगतान समाविष्ट होगा।

(4) इस निधि का उपयोग स्कीम अर्थात 'निधि के अधीन क्षेत्रीय और विस्तृत खोज और संबंधित क्रियाकलापों' के अंतर्गत खनिजों के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत खोज करने के साथ नियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यों के लिए किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. निधि में अंशदान- (1) खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टाधारक, राज्य सरकार को स्वामिस्व का भुगतान करते समय ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन स्वामिस्व के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा जिसे वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शीर्ष के अधीन राज्य के लोक लेखा में जमा करेगा ।

(2) राज्य सरकारें उपनियम (1) के अधीन लोक लेखा में इस प्रकार संग्रहीत रकम को भारत की संचित निधि में अंतरित करेंगी।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा, भारत की संचित निधि में की अभिवृद्धियों को, वित्तीय वर्ष में संसद् द्वारा, विधि के द्वारा, सम्यक विनियोग के पश्चात आवधिक रूप से निधि में अंतरित किया जाएगा।

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रकम संग्रहीत करने तथा भारत की संचित निधि में अंतरित करने तथा इसके लिए आवश्यक लेखा-जोखा रखने का दायित्व राज्य सरकार का होगा तथा वह ऐसी प्राप्तियों को, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में किसी विशिष्ट मास में संग्रहीत धनराशि को, अगले मास के दसवें दिन के अपश्चात, भारत की संचित निधि से अंतरित करेगी।

(5) राज्य सरकार, उप नियम (1) के अधीन संग्रहीत रकम तथा उपनियम (2) के अधीन भारत की संचित निधि में अंतरित की गई रकम के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को मासिक आधार पर सूचना प्रदान करेगी।

(6) भारतीय खान ब्यूरो, भारत की संचित निधि में अंतरित रकम का अद्यतन रिकॉर्ड के साथ-साथ रॉयल्टी भुगतानों का एक डाटाबेस रखेगा और न्यास को आवधिक आधार पर ऐसी की सूचना उपलब्ध कराएगा।"।

4. उक्त नियमों में नियम 8 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, न्यास का बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा और इसके बंद होने तक न्यास के बैंक खातों का सदस्य-सचिव या कार्यकारी समिति के किसी अन्य सदस्य या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से, जिसे कि कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, संचालन जारी रहेगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (1) में 'प्रारंभ में' शब्दों के स्थान पर 'प्रारंभ से पूर्व' शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम के नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"20. वार्षिक बजट.-(1) कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक योजना के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों पर प्रस्तावित आय और व्यय का ब्यौरा अंतर्विष्ट करते हुए वार्षिक बजट तैयार करवाएगा, जिसमें इस संबंध में निधीयन की अपेक्षाओं के ब्यौरों के साथ न्यास द्वारा उपगत किए जाने वाले प्रस्तावित विधिक, प्रशासनिक और अन्य लागतें और व्यय सम्मलित होंगे जिसे वार्षिक बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) वार्षिक बजट में निधि के अधीन व्यय करने के लिए समुचित शीर्ष के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की अनुदान मांगों के लिए भी उपबंध किया जाएगा और इसकी समतुल्य राशि निधि से पूरी की जाएगी।

(3) निधि का सम्यक विनियोग तथा सक्षम अधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात, इस निधि के अधीन व्यय सुसंगत उपप्रमुख शीर्षों अथवा गौण शीर्षों से उपगत किया जाएगा तथा केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर केंद्रीय सरकार का वेतन और लेखा कार्यालय, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार भुगतान करेगा।"।

7. उक्त नियमों के नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"21. वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन- (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से तीस दिन पूर्व अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

(2) शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात् वार्षिक योजना या वार्षिक बजट में कोई संशोधन कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जा सकेगा और शासी निकाय को अगली बैठक में इसकी सूचना दी जाएगी।"।

8. उक्त नियमों के नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"24. लेखाओं का रखा जाना और संपरीक्षा- (1) केंद्रीय सरकार का वेतन और लेखा कार्यालय, निधि में की अभिवृद्धियों और इससे होने वाले भुगतानों की ब्राडशीट रखेगा और संबंधित प्रभागों के साथ मासिक आधार पर उसका मिलान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि निधि के अधीन किसी भी समय में कोई प्रतिकूल शेष न हो।

(2) न्यास निधि का लेखा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन होगा तथा केंद्रीय सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा भी उसकी लेखा परीक्षा की जाएगी"।

[फा. सं. 11/8/2015-खान-I]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015, *अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 632*(अ), तारीख *14 अगस्त, 2015* द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2018.

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 9C of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015, namely:–

1. (1) These rules may be called the National Mineral Exploration Trust (Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

   "(2) The Fund shall be opened under the Public Account of India which shall be a non-lapsable and non-interest bearing account and shall be administered by the Central Government.

   (3) The Fund shall comprise of payment of two percent equivalent of royalty payable by the holders of the mining lease or prospective licence-cum-mining lease under sub-section (4) of the section 9C of the Act.

   (4) The Fund shall be utilized for carrying out the objects and functions as specified in rule 9, including carrying out regional and detailed exploration for minerals under the scheme, namely, 'Regional and detailed exploration and related activities under Fund'.

3. In the said rules, for rule 7, the following rules shall be substituted, namely:–

   "7. Contribution to Fund.– (1) The holder of mining lease or prospecting license-cum-mining lease shall, while making payment of royalty to the State Government, pay to the Trust a sum equivalent to two percent of the royalty under sub-section (4) of section 9C of the Act by depositing the same in the Public Account of the State under the Head booked for this purpose.

   (2) The State Governments shall transfer the amount so collected in the Public Account of the State under sub-rule (1) to the Consolidated Fund of India.

   (3) The accretions in the Consolidated Fund of India shall be periodically transferred to the Fund by the Central Government, after due appropriation made by Parliament by law, in the financial year.

   (4) The responsibility of collecting and transferring the amount referred in sub-rule (1) to Consolidated Fund of India and maintaining necessary accounts in this behalf shall be that of the State Government and it shall transfer such receipts to the Consolidated Fund of India as early as possible and in any case, not later than the tenth day of the succeeding month in respect of the amount collected in any particular month.

   (5) The State Government shall provide information regarding the amount collected under sub-rule (1) and the amount transferred to Consolidated Fund of India under sub-rule (2) to the Indian Bureau of Mines on a monthly basis.

   (6) The Indian Bureau of Mines shall maintain an updated record of the amount transferred to the Consolidated Fund of India along with a database of royalty payments and provide such information to the Trust on a periodic basis.".

4. In the said rules, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

खान मंत्रालय
भारत सरकार

"(2) The bank account of the Trust shall be closed as soon as possible after the publication of this notification and till such closure, the bank account of the Trust shall continue to be operated through the Member-Secretary or any other Member of the Executive Committee or any other officer of the Central Government as may be authorized by the Executive Committee.".

5. In the said rules, in rule 19, in sub-rule (1), for the words "at the beginning", the words "before the beginning" shall be substituted.

6. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:–

"20. Annual Budget.- (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, before the beginning of each financial year, cause preparation of an annual budget containing the details of the proposed income and expenditure on activities covered in the annual plan for that particular financial year, including the legal, administrative and other costs and expenditure proposed to be incurred by the Trust together with details of funding requirements in this regard, to be referred as the Annual Budget.

(2) Annual Budget provision shall also be made in the Demands for Grants of Central Government under appropriate Head for incurring expenditure under Fund and equivalent amount thereof shall be met from the Fund.

(3) After due appropriation of fund and receipt of sanction of the Competent Authority, the expenditure under the Fund shall be incurred from the relevant sub-major or minor heads and on the basis of the sanction issued by the Central Government, the Pay and Accounts Office of the Central Government shall make the payment as per the General Financial Rules, 2017.".

7. In the said rules, for rule 21, the following rule shall be substituted, namely:–

"21. Approval of the Annual Plan and the Annual Budget.– (1) The annual plan and the annual budget shall be laid before the Governing Body for its approval thirty days before the beginning of each financial year.

(2) Any amendment in the annual plan or the annual budget subsequent to the approval of the Governing Body may be done with the approval of the Executive Committee and informed to the Governing Body in its next meeting.".

8. In the said rules, for rule 24, the following rule shall be substituted, namely:–

"24. Maintenance and Audit of Accounts.– (1) The Pay and Accounts Office in the Central Government shall maintain a broadsheet of accretions to and payment from the Fund and effect reconciliation on monthly basis thereof with the concerned divisions and shall ensure that there are no adverse balances in the Fund at any point of time.

(2) The account of the Trust shall be subject to the audit by the Comptroller and Auditor General of India and also to audit by internal audit wing of the office of the Chief Controller of Accounts, in the Central Government.".

[F. No. 11/8/2015-M.I]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 632 (E), dated the 14th August, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.07

अनुबंध-4

भारत सरकार
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास

फा. सं. - 6/3/2015 -एन एम ई टी /28 नई दिल्ली, 10 मई ,2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : खनिज गवेषण कार्य में अधिसूचित निजी गवेषण अभिकरणों के विनियोजन हेतु स्कीम के सम्बन्ध में।

वर्ष 2021 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम ,1957 (एम एम डी आर अधिनियम) में हाल के संशोधनों द्वारा केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि वह पूर्वेक्षण प्रचालनों का कार्य करने हेतु निजी क्षेत्र के तत्वों को अधिसूचित कर सकती है। अधिसूचित अभिकरण अधिनियम के अनुच्छेद 9 'ग' के उप -अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास से निधि प्राप्त करने के योग्य होंगे।

एन एम ई पी , 2016 को आगे बढ़ाते हुए , एम एम डी आर अधिनियम एवं निजी गवेषण अभिकरणों के प्रत्यायन एवं अधिसूचना के स्कीम में हाल के संशोधनों के अनुसार , एन एम ई टी के शासकीय निकाय ने खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण अभिकरणों के विनियोजन हेतु स्कीम को अनुमोदित किया है। यह स्कीम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

10.05.2022

संलग्न :- यथोपरि

(विवेक कुमार शर्मा)
निदेशक , एन एम ई टी

सेवा में,

1. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार।
2. सचिव (भूविज्ञान एवं खनन), अरुणाचल प्रदेश सरकार।
3. मुख्य सचिव , खान एवं खनिज विभाग , असम सरकार।
4. मुख्य सचिव सह खान आयुक्त , बिहार सरकार।
5. सचिव , खनिज संसाधन विभाग , छत्तीसगढ़ सरकार।
6. मुख्य सचिव ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोवा सरकार।
7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), गुजरात सरकार।
9. आयुक्त सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू और कश्मीर सरकार।
10. सचिव , (उद्योग , खान एवं भूविज्ञान), झारखण्ड सरकार।

11. सचिव,(उद्योग एवं वाणिज्य), कर्नाटक सरकार ।
12. मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार ।
13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार ।
14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), महाराष्ट्र सरकार ।
15. आयुक्त एवं सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग , मेघालय सरकार ।
16. आयुक्त एवं सचिव, भूविज्ञान एवं खनन, नागालैंड सरकार ।
17. मुख्य सचिव, (स्टील एवं खान), ओडिशा सरकार ।
18. मुख्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान, पंजाब सरकार ।
19. मुख्य सचिव (खान), राजस्थान सरकार ।
20. मुख्य सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार ।
21. मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), तेंलगाना सरकार ।
22. सचिव (खान एवं भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार ।
23. मुख्य सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार ।
24. सचिव (उद्योग ,वाणिज्य एवं उपक्रम), पश्चिम बंगाल सरकार ।
25. सचिव , उद्योग विभाग , लद्दाख संघ क्षेत्र प्रशासन ।
26. मुख्य सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार ।

प्रतिलिपि :

1. निदेशक ,खान एवं भूविज्ञान विभाग , आंध्र प्रदेश सरकार ।
2. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय , असम सरकार ।
3. निदेशक,खान एवं भूविज्ञान विभाग , बिहार सरकार ।
4. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय , छत्तीसगढ़ सरकार ।
5. खान एवं भूविज्ञान निदेशक, गोवा सरकार ।
6. भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त , गुजरात सरकार ।
7. निदेशक, उद्योग विभाग , हिमाचल प्रदेश सरकार ।
8. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन विभाग , जम्मू और कश्मीर सरकार ।
9. निदेशक (खान),खान निदेशालय, झारखण्ड सरकार ।
10. निदेशक,खान एवं भूविज्ञान विभाग , कर्नाटक सरकार ।
11. निदेशक ,खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय , केरल सरकार ।
12. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार ।
13. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार ।

14. निदेशक ,खनिज संसाधन निदेशालय, मेघालय सरकार ।
15. निदेशक ,खान निदेशालय, ओडिशा सरकार ।
16. निदेशक , खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, राजस्थान सरकार ।
17. भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त ,निदेशक , तमिलनाडु सरकार ।
18. खान एवं भूविज्ञान निदेशक , तेंलगाना सरकार ।
19. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार ।
20. निदेशक ,भूविज्ञान एवं खनन इकाई, उत्तराखंड सरकार ।
21. निदेशक , खान एवं खनिज निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार ।
22. श्री पुडी श्रीनिवास राव,नेचुरल रिसोर्सेज डिवीज़न -,टाटा स्टील लिमिटेड ,रूम न0 -349 , तृतीय तल, कमर्शियल सेंटर ,जनरल ऑफिस, बिस्टुपुर , जमशेदपुर ,पूर्वी सिंघभूम , झारखण्ड – 831001(pudi.srinivas@tatasteel.com)
23. श्री अरिजीत डे , यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , टावर 2 ए,पांचवां तल, एक्सान एरिया 2 ,एको स्पेस बिज़नेस पार्क , राजारहाट , नई टाउन , कोलकत्ता ,वेस्ट बंगाल - 700156 (admin@unitedexploration .co.in)
24. डॉ निरोडे बिहारी चंदा , इंडियन माइन प्लानर्स & कंसल्टेंट्स , जी इ-61 , राजदंगा मैन रोड , विवांता होटल के पीछे , ,वेस्ट बंगाल,कोलकत्ता - 700107 (nbc@impcon.in)
25. श्री जीजो जॉर्ज , गेमकोकटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड , प्लाट न0 - 34 , बापट नगर ,महाराष्ट्र , चंद्रपुर -442401 . (jijo@gemcokati.com)
26. डॉ एस0 करुप्पन्नं , जोतेचणीकल माइनिंग सोलूशन्स ,1/ 213 बी , नटेसन काम्प्लेक्स , तमिल नाडु , धरमपुरी - 636705 (info.gtmsdpi@gmail.com)
27. मि0 चन्नमल्लिकार्जुन बी. पाटिल . जोएक्सपोरे प्राइवेट लिमिटेड , न 0 12- 28/2 , एस वाई न 0 28/2, कर्नाटिक ,बेंगलुरु-560077 (cm@geoexpore.com)
28. मि0 लियो क्रिस्टी ए , वि0 एम0 सलगाओकर & बरोथेर प्राइवेट लिमिटेड , सलगाओकर हाउस , ऍफ़ एल गोम्स रोड , वास्को डा गामा, दक्षिण गोवा - 403802 .(leochristy@vmsbgoa.com)
29. मि0 लोकनाथ रथ , जोवाले सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जी एन 38/5,तीसरा तल , सेक्टर -5 , साल्ट लेक , कोलकत्ता - 700091 , इंडिया, वेस्ट बंगाल नार्थ , 24 परगना – 700091(loknath.rathgeovale.com)
30. मि0 दीपेंद्र सिंह , मिस एफ सी आई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड , इंस्टीटूशनल एरिया , सेक्टर -बी ,विवेक विहार योजना , जोधपुर ,राजस्थान , जोधपुर - 342005.(fagmill@rediffmail.com)

सूचनार्थ प्रति :

1. पी एस ओ, सचिव , खान मंत्रालय , शास्त्री भवन , नई दिल्ली - 110001
2. पी पी एस , अपर सचिव , खान मंत्रालय , शास्त्री भवन , नई दिल्ली - 110001

खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण अभिकरणों के विनियोजन हेतु स्कीम

1. पृष्ठभूमि:

1.1. राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एन.एम.ई.पी.),2016 खनिज गवेषण कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार करती है तथा साथ ही, यह देश के विशाल खनीज संसाधनों की खोज एवं दोहन करने हेतु निजी क्षेत्र की तकनीकी सुविज्ञता क्षमता और वित्तीय संसाधनों के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुसाहय बनाने, प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने पर भी ध्यान देती है। यह गवेषण अभिकरणों के लिए फंडिंग पर भी विचार करती है ताकि गवेषण कार्यों में उनके जोखिम को कम कम किया जा सके।

1.2. वर्ष 2021 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. अधिनियम) में हाल के संशोधनों द्वारा केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि वह पूर्वेक्षण प्रचालनों का कार्य करने हेतु निजी क्षेत्र के तत्वों को अधिसूचित कर सकती है। निजी क्षेत्र की अधिसूचित गवेषण अभिकरणों को शामिल करने से देश में गवेषण क्रिया- कलापों को बल मिलेगा तथा नीलामी योग्य अधिकाधिक ब्लॉकों को चिहिन्त करने में सुविधा होगी। खान मंत्रालय की ओ.सी.आई. –एन.ए.बी.ई.टी. के सहयोग से खनिज क्षेत्र में निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों के प्रत्यापन के लिए स्कीम की शुरूआत की है। खान मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त, 2021 को जारी दिशा-निर्देश में प्रावधान है कि ओ.सी.आई. - एन.ए.बी.ई.टी. से प्रत्यापन के पश्चात निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण एवं एम.एम.डी.आर. अधिनियम के अनुच्छेद 4(1) के द्वितीय शर्त के अंतर्गत अपने अधिसूचना हेतु खान मंत्रालय को आवेदन कर सकते है। दिशा-निर्देश में यह भी प्रावधान है कि निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में अधिसूचित किया जायेगा तथा उन्हें नीचे दिए गये प्रत्येक श्रेणी के अनुसार खनिज निक्षेपों के संबंध में पूर्वेक्षण प्रभालन-कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

गवेषण अभिकरण की श्रेणी	खनिज निक्षेप का प्रकार
श्रेणी 'क' के गवेषण अभिकरण	क) संस्तरित स्न्नटीफार्म एवं सारणीबद्ध निक्षेप ख) म्सुराकर कम्पोजिट शिरा ग) जेम-स्टोन एवं दुर्लभ धातु पेग्मैटाईट, रीफ्स एवं शिरा/पाईप घ) फ्लोट एवं प्लेसर निक्षेप ड.) गभीरस्क निक्षेप
श्रेणी 'ख' के गवेषण अभिकरण	क) संस्तरित स्न्नटीफार्म एवं सारणीबद्ध निक्षेप ख) फ्लोट एवं प्लेसर निक्षेप

1.3. एन.एम.ई.पी. ,2016 को आगे बढाते हुए एम.एम.डी.आर. अधिनियम एवं निजी गवेषण अभिकरणों के प्रत्यापन एवं अधिसूचना के स्कीम में हाल के संशोधनों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख खनिजों के गवेषण में अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों की नियुक्ति हेतु एवं तत्काल स्कीम तैयार किया गया है।

2. उद्देश्य

2.1. इस स्कीम का उद्देश्य खनिज गवेषण कार्य में अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरण की नियुक्ति हेतु एक क्रियाविधि की रूप-रेखा तैयार करनी है तथा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एन.एम.ई.टी.) अथवा राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से इन अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा प्रभालन-कार्य को निधि उपलब्ध करनी है।

3. राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों की नियुक्तिहेतु कार्य विधि एवं उनका निधि आबंटन:-

3.1.1 सामान्य शर्तें :

(i) वर्तमान स्कीम एम.एम.डी.आर. अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' एवं भाग 'ख' में सूचीबद्ध लघु खनिज, खनिज तेल और खनिजों को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के गवेषण के लिए लागू है।

(ii) गवेषण प्रभालन – कार्य उन प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियमावली, 2015, खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 (एम.सी.डी.आर.) दिनांक 12 अगस्त, 2021 को खान मंत्रालय द्वारा जारी प्रत्यापित निजी गवेषण अभिकरणों की अधिसूचना हेतु दिशा निर्देश तथा अन्य लागू नियमों में दिए गए हैं।

(iii) अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरण उन खनिजों और खनिज निक्षेपों की श्रेणी से संबंधित गवेषपण कार्य करेंगे जिनके लिए उन्हें अधिसूचित किया गया है।

(iv) अहिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों को गवेषण हेतु अनुमोदन अथवा एन.एम.ई.टी. का राज्य सरकारों से उन्हें निधि की उपलब्धता से यह नहीं माना जायेगा कि अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरणों को गवेषित क्षेत्र में कोई खनिज रियायत की मंजूरी मिल गई है। ऐसे गवेषित क्षेत्र में खनिज रियायत (समग्र अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा , इत्यादि) की मंजूरी एम.एम.डी.आर. अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधान के अनुसार ही दी जाएगी। किसी भी अधिसूचित निजी क्षेत्र के अभिकरण को उसके द्वारा द्वेषित किसी ब्लॉक अथवा उसके भाग के लिए खनिज रियायत की नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(v) गवेषण कार्य कर रहे अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों को एम.सी.डी.आर., 2017 के नियम 9 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और अंतिम भूविज्ञान संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकार एवं भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय नियंत्रक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

3.2. राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणोंकी नियुक्ति का तरिका और उनकी फंडिंग :-

3.2.1. तरीका 'क' :- निजी गवेषण अभिकरण द्वारा निर्मित खनिज गवेषण परियोजनाएं तथा एन.एम.ई.टी. द्वारा फंडिंग

(i) अधिसूचित निजी क्षेत्र का गवेषण अभिकरण उपलब्ध डाटा पर आधारित गवेषण हेतु क्षेत्र का चयन कर सकता है तथा राज्य सरकार को उसके सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। भूविज्ञान डाटा ओ.सी.बी.आई.एस./ भूकोश पोर्टल में निःशुल्क उपलब्ध भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बेसलाइन भू-विज्ञान डाटा-बेस, अन्य सरकार के डाटा बेस अथवा निजी अभिकरणों, आदि के डाटा बेस से हासिल किया जा सकता है।

(ii) अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण क्षेत्र, खनिज वस्तु इत्यादि का ब्यौरा देते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में राज्य सरकार को गवेषण कार्य के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(iii) राज्य सरकार आवेदन की जाँच करेगी तथा आवेदन की प्राप्ति तिथि से एक महीने के भीतर 'सिद्धांत' रूप में अनुमोदन दे सकती है अथवा निरस्त कर सकती है।

(iv) अनुमोदन के पश्चात अधिसूचीत निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण गवेषण प्रस्ताव तैयार करेंगे और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे जिसमें एन.एम.ई.टी. द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भाविक्षण अथवा पूर्वेक्षण स्कीम भी होगा।

(v) प्रस्ताव की जाँच के पश्चात राज्य सरकार, यदि प्रस्ताव स्वीकार्य है, एन.एम.ई.टी. के माध्यम से गवेषण प्रभालन कार्य की फंडिंग के लिए एन.एम.ई.टी. को अग्रेषित करेगी।

(vi) एन.एम.ई.टी. को प्रस्तुत प्रस्ताव का एन.एम.ई.टी. द्वारा निर्धारित कार्य विधि के अनुसार मूल्यांकन और अनुमोदन किया जायेगा। सम्बंधित अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण एन.एम.ई.टी. के समक्ष प्रस्ताव का प्रतिवाद के लिए उत्तरदायी होंगे।

(vii) एन.एम.ई.टी. राज्य सरकार को संस्वीकृति आदेश जारी करेगी तथा एन.एम.ई.टी. द्वारा ही सभी प्रकार के अग्रिम और भूगतान राज्य सरकार को सीधे किया जाएगा। तत्पश्चात राज्य सरकार सुसंगत गवेषण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण से कार्य कराएगी और इस उद्देश्य हेतु निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण को भुगतान करेगी। राज्य सरकार एन.एम.ई.टी. द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से एन.एम.ई.टी. को आवधिक रूप से उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

(viii) अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण एन.एम.ई.टी. द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से एन.एम.ई.टी. और राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ix) राज्य सरकार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की तकनीकी रूप से जाँच करेगी तथा संभावित खनिज ब्लॉक के बारे में निर्णय लेगी जिसे आगे निलामी के लिए लिया जाएगा। (राज्य सरकार खनिज निलामी नियमावली), 2015 निर्धारित कार्य विधि के अनुसार ब्लॉक की निलामी करेगी, ताकि समग्र अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा, जैसा भी मामला हो, की मंजूरी डी जा सकें। राज्य सरकार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण का नाम निविदा दस्तावेज में जिक्र करेगी।

3.2.2. तरीका 'ख' :- राज्य सरकार द्वारा निर्मित खनिज गवेषण परियोजनाएं तथा एन.एम.ई.टी. द्वारा फंडिंग

(i) वर्तमान में राज्य सरकारें उपलब्ध बेसलाईन भूविज्ञान डाटा का विश्लेषण कर स्वयं खनिज गवेषण प्रस्ताव बनाती हैं तथा एन.एम.ई.टी. से फंडिंग का अनुरोध करती है। राज्य सरकारें विभागीय जनशक्ति की नियुक्ति कर अतवा केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अपने राज्य के भूविज्ञान एवं (जी.डी.एम.) विभाग माध्यम से इन प्रस्तावों को प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित करती हैं।

(ii) ऐसे मामले में राज्य सरकार गवेषण से लेकर अंतिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने तक का कार्य करने के लिए सभी अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों में से सीमित निविदा के द्वारा चयन कर किसी भी अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण को नियुक्त कर सकती है । आगे, इन मामलों में जहाँ सड़क सरकार परियोजना की सभी का कुछ तत्वों को आउटडोर करने का फैसला करती है, वहन अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों को भी उसके लिए चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति है।

(iii) अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरण गवेषण प्रचालन कार्य करने के लिए इस स्कीम में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करेंगे।

3.2.3. तरीका 'ग' :- राज्य सरकार द्वारा निर्मित खनिज गवेषण परियोजनाएं एवं राज्य सरकार द्वारा ही फंडिंग

राज्य सरकार तरीका 'क' एवं 'ख' के अंतर्गत निर्धारित तरीकों से स्वयं द्वारा फंडिंग कर परियोजनाओं में अधिसूचित निजी क्षेत्र के गवेषण अभिकरणों को नियुक्त कर सकती है।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

गवेषण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप

सेवा में,
निदेशक,
खनन एवं भूविज्ञान विभाग,
.....सरकार [राज्य सरकार का नाम]

महोदया/महोदय,

मैं/हम खान मंत्रालय के दिनांक ..... आदेश सं. ..... द्वारा जारी खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों की भागीदारी की योजना के तरीका-क के तहत एनएमईटी को टोही या पूर्वेक्षण योजना प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार की 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित ब्योरा प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।

1. आवेदक का नाम और पता

क	नाम:	
ख	डाक पता:	
ग	दूरभाष नंबर (कार्यालय):	
घ	फैक्स नंबर (कार्यालय):	
ङ	मोबाइल नंबर.:	
च	टेलीफोन नंबर (आवास):	
छ	ईमेल:	

2. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4(1) के परंतुक के तहत निजी गवेषण एजेंसी के रूप में मान्यता और अधिसूचना का ब्योरा

क	क्यूसीआई–एनएबीईटी द्वारा प्रदत्त मान्यता की तारीख:	
ख	मान्यता समाप्ति की तारीख:	
ग	एमएमडीआर अधिनियम की धारा 41 के परंतुक के तहत अधिसूचना की तारीख:	
घ	अधिसूचना की समाप्ति की तारीख:	
ङ	अधिसूचना के तहत गवेषण एजेंसी की श्रेणी (श्रेणी क और ख):	

3. प्रस्तावित क्षेत्र के स्थान का ब्योरा

क	राज्य	
ख	जिला (जिले)	
ग	आसपास के गांव	
घ	भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) की टोपोशीट संख्या	
ङ	क्षेत्रफल वर्ग किमी में	
च	प्रस्तावित ब्लॉक के सीमा निर्देशांक (डिग्री दशमलव में)	

4. क्षेत्र की खनिज क्षमता

क	क्षेत्र/ब्लॉक में चिन्हित/अपेक्षित खनिजों का नाम	
ख	जिसके आधार पर क्षेत्र में खनिज क्षमता की पहचान की गई है	
ग	उपरोक्त मद (ख) के समर्थन में प्रयुक्त दस्तावेज़ों और संदर्भों की सूची।	

5. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

i. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) टोपोशीट संख्या पर सीमांकित प्रस्तावित ब्लॉक का स्थान।
ii. उपर्युक्त मद 4(ग) में उल्लिखित दस्तावेज़।

स्थान.
तारीख. आवेदक के हस्ताक्षर

खान मंत्रालय
भारत सरकार

अनुबंध-5

केवल ईमेल के माध्यम से

भारत सरकार
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास

फा. सं. 4/4/2021-एनएमईटी/ 179 **नई दिल्ली, 29 दिसंबर, 2021**

सेवा में,

सूची के अनुसार,

विषय: खनिज ब्लॉक की नीलामी के संबंध में राज्य सरकार को प्रोत्साहन राशि के संबंध में।

महोदय/महोदया,

"खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्य सरकार को लेनदेन सलाहकार शुल्क की प्रतिपूर्ति" के संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 24 अगस्त, 2021 के पत्र क्रमांक एफ. सं. 6/4/2015-एनएमईटी/101 का संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त पत्र के संशोधन में माननीय खान मंत्री एवं एनएमईटी के शासी निकाय के अध्यक्ष ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

(i) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक राज्य (जहां खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध हैं) को 20 लाख रुपये की राशि जारी की जाएगी।

(ii) राज्य सरकार द्वारा खनिज ब्लॉक की प्रत्येक सफल नीलामी के लिए रु20 लाख की प्रोत्साहन राशि।

(iii) लेनदेन सलाहकार को भुगतान की गई राशि का 50%, प्रत्येक ब्लॉक के लिए अधिकतम रु5 लाख के अधीन, जिसे नीलामी के लिए रखा गया था लेकिन सफलतापूर्वक नीलाम नहीं किया जा सका।

(iv) 01.04.2021 से उन खनिज ब्लॉकों को प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिनकी नीलामी की गई या नीलामी के लिए रखा गया, लेकिन जिनकी नीलामी नहीं की जा सकी।

3. इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:

i. लेनदेन सलाहकार शुल्क की प्रतिपूर्ति,

ii. एनएमईटी के लिए डीपीआर/परियोजना प्रस्तावों की तैयारी,

iii. खनन विभागों की अवसंरचना को सशक्त करना,

iv. उपकरणों की खरीद- गवेषण संबंधी मशीनरी, प्रयोगशाला उन्नयन, विशेष सॉफ्टवेयर आदि।

v. राज्य में खनिज विकास के लिए अध्ययन करना,

vi. क्षमता निर्माण- गवेषण गतिविधियों में लगे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

vii. खनिज क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य और बाजार विश्लेषण से संबंधित अध्ययन

viii. भारत में एवं विदेश में एक्सपोज़र विजिट आदि।

4. राज्य सरकार नीलाम किए गए/नीलामी के लिए रखे गए लेकिन पिछली तिमाही के दौरान नीलाम नहीं किए जा सके ब्लॉकों के लिए प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

5. यह धनराशि राज्यों के डीएमजी/डीजीएम द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक खाते में जारी की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा बैंक खाते का विवरण प्रदान करना अपेक्षित है।

यह आपके सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(अमित सरन)

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष, एनएमईटी

सेवा में,

1. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार।
2. सचिव (भू–विज्ञान एवं खनिज),अरुणाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान सचिव, खान एवं खनिज विभाग, असम सरकार।
4. प्रधान सचिव –सह- खान आयुक्त, बिहार सरकार।
5. सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार।
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोवा सरकार।
7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), गुजरात सरकार।
9. आयुक्त सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू एवं कश्मीर सरकार।.
10. सचिव, (उद्योग, खान एवं भूविज्ञान) झारखंड सरकार।
11. सचिव, (उद्योग एवं वाणिज्य) कर्नाटक सरकार।
12. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार।
13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार।
14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), महाराष्ट्र सरकार।
15. आयुक्त एवं सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, मेघालय सरकार।
16. आयुक्त एवं सचिव, भूविज्ञान एवं खनन, नागालैंड सरकार।
17. प्रधान सचिव (इस्पात एवं खान), ओडिशा सरकार।
18. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान, पंजाब सरकार।
19. प्रधान सचिव (खान), राजस्थान सरकार।
20. प्रधान सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार।
21. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), तेलंगाना सरकार।
22. सचिव (खान एवं भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार।
23. प्रधान सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार।
24. सचिव (उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम), पश्चिम बंगाल सरकार।
25. सचिव, उद्योग विभाग, संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख प्रशासन।
26. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार।

सूचनार्थ:

1. सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी/अपर सचिव(एसएल) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव(यूजे) के निजी सचिव /संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।

खान मंत्रालय
भारत सरकार

अनुबंध-6

फा. सं. 6/9/2015-एनएमईटी/ 71
भारत सरकार
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

सेवा में,

सूची के अनुसार

विषय: गवेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में।

खनिज गवेषण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मशीनरी/उपकरण/यंत्र और अन्य नवीनतम तकनीकी उन्नयन/हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आदि की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है और देश में खनिज गवेषण की गति को बढ़ाने के लिए राज्य डीजीएम की क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक है।

2. गवेषण गतिविधियों में वृद्धि लाने लिए राज्य डीजीएम की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से भवन निर्माण, स्टाफ कार, लैपटॉप, कंप्यूटर को छोड़कर राज्य डीजीएम की तकनीकी अवसंरचना अर्थात मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/उपकरण/हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और अन्य आवश्यक अवसंरचना की खरीद को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) द्वारा मूल्यांकन और कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात एनएमईटी निधि उपलब्ध कराने के प्रस्तावों पर विचार करेगा।

3. इस संबंध में संबंधित डीजीएम द्वारा एनएमईटी को विशिष्ट प्रस्ताव की सॉफ्ट और हार्ड प्रति इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाए:

निदेशक,
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी),
खान मंत्रालय,
एफ-114, प्रथम तल,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
ईमेल आईडी: nmet-mines@gov.in

08/06/2022

(मनीष खर)
निदेशक, एनएमईटी

सेवा में,

1. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार।
2. सचिव (भू–विज्ञान एवं खनिज),अरुणाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान सचिव, खान एवं खनिज विभाग, असम सरकार।
4. प्रधान सचिव –सह- खान आयुक्त, बिहार सरकार।

5. सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार।
6. प्रधान सचिव, खान एवं खनिज विभाग, गोवा सरकार।
7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), गुजरात सरकार।
9. आयुक्त सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू एवं कश्मीर सरकार।.
10. सचिव, (उद्योग,खान एवं भूविज्ञान) झारखंड सरकार।
11. सचिव, (उद्योग एवं वाणिज्य) कर्नाटक सरकार।
12. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार।
13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार।
14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग एवं खान), महाराष्ट्र सरकार।
15. आयुक्त एवं सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, मेघालय सरकार।
16. आयुक्त एवं सचिव, भूविज्ञान एवं खनन, नागालैंड सरकार।
17. प्रधान सचिव (इस्पात एवं खान), ओडिशा सरकार।
18. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान, पंजाब सरकार।
19. प्रधान सचिव (खान), राजस्थान सरकार।
20. प्रधान सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार।
21. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), तेलंगाना सरकार।
22. सचिव (खान एवं भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार।
23. प्रधान सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार।
24. सचिव (उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम), पश्चिम बंगाल सरकार।
25. सचिव, उद्योग विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन।
26. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार।
27. सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार।
28. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, मिजोरम सरकार।
29. सचिव, वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मणिपुर सरकार।
30. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा सरकार।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।
2. निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, असम सरकार।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार
6. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, गोवा सरकार।
7. भूविज्ञान और खनन आयुक्त, गुजरात सरकार।
8. निदेशक, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. निदेशक, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार।
10. निदेशक (खान), भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, झारखंड सरकार।
11. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कर्नाटक सरकार।
12. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, केरल सरकार।
13. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार।
14. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार।
15. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, मेघालय सरकार।
16. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, नागालैंड सरकार।
17. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, ओडिशा सरकार।
18. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, पंजाब सरकार।
19. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, राजस्थान सरकार।
20. भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त, तमिलनाडु सरकार।
21. खान एवं भूविज्ञान निदेशक, तेलंगाना सरकार।
22. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार।
23. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड सरकार।
24. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार।
25. निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय, लद्दाख सरकार।
26. निदेशक, खान, खनिज एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार।
27. निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार
28. निदेशक, भूविज्ञान एवं खनिज संसाधन निदेशालय, मिजोरम सरकार।

29. निदेशक, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मणिपुर सरकार
30. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा सरकार।

सूचनार्थ:

1. सचिव के पीएसओ, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
2. अपर सचिव के पीपीएस, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

अनुबंध-7

वित्त वर्ष 2023-24 एनएमईटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र सं.	परियोजना का नाम	चरण	राज्य	वस्तु	एजेंसी	स्वीकृत लागत
1	नीलम खान क्षेत्र और उसके आसपास (5.00 वर्ग किमी) जिला- किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर में रत्नों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी 3	जम्मू और कश्मीर	रत्न	एमईसीएल	4,26,22,553
2	पिपरिया-नयाखेड़ा ब्लॉक और सिमरियाकलां-बहेरिया ब्लॉक (10 वर्ग किमी.), जिला: नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी 3	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	एमईसीएल	1,16,50,093
3	पोखर-चाली ब्लॉक (90.00 वर्ग किमी), टिहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड में टिन के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी 4	उत्तराखंड	टिन	एमईसीएल	1,05,05,247
4	कर्नाटक के कोलार जिले के गनाचरपुरा ब्लॉक (33.60 वर्ग किमी) में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी 4	कर्नाटक	सीसा	एमईसीएल	92,96,121
5	अंगिरा बी ब्लॉक (1.5 वर्ग किमी) जिला: छतरपुर, मध्य प्रदेश में हीरे के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी 3	मध्य प्रदेश	हीरा	एमईसीएल	4,94,11,918
6	कटामादेवराहल्ली क्षेत्र, कलबुर्गी जिला, कर्नाटक में फॉस्फोराइट, बैराइट और आरईई के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4) (ब्लॉक क्षेत्र-100 वर्ग किमी)	जी 4	कर्नाटक	चूना पत्थर	केआईओसीएल	69,47,721
7	महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अलेंगा-नेंदवाडी ब्लॉक में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी 4	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	37,74,553
8	मरमपल्ली-जिंजगांव ब्लॉक (90 वर्ग किमी), जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी 4	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	33,25,911
9	ताड़गांव-वटेली ब्लॉक (80 वर्ग किमी), जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4 चरण)	जी 4	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	32,65,250
10	गिलंगुडा-पदुर ब्लॉक (65 वर्ग किमी), जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	26,79,391
11	मुरवाड़ा-तुमारीकोडी ब्लॉक (85 वर्ग किमी), जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	33,13,520
12	छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के टीएस संख्या 64जे/02 के भाग, केंडा, बरपाली, नागपुरा, चुरेली, मानिकपुर गांव क्षेत्रों (75.00 वर्ग किमी) में आरईई खनिजीकरण के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	छत्तीसगढ	आरईई	डीजीएम छत्तीसगढ़ (मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड)	47,51,503

क्र सं.	परियोजना का नाम	चरण	राज्य	वस्तु	एजेंसी	स्वीकृत लागत
13	नवाडीह ब्लॉक (32.04 वर्ग किमी) , जिला: बलरामपुर, राज्य: छत्तीसगढ़ में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	छत्तीसगढ	सीसा	डीजीएम छत्तीसगढ़ (मेसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	27,72,193
14	सिरमौर-केवटी ब्लॉक (145 वर्ग किमी.), जिला: रीवा, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	बाक्साइट	डीजीएम मध्य प्रदेश (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	89,75,255
15	उत्तराखंड के देहरादून जिले में कथ्यूर ब्लॉक (9.00 वर्ग किमी) में फॉस्फोराइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	उत्तराखंड	फास्फोराइट	एमईसीएल	64,23,064
16	कर्नाटक के हावेरी के काकोल ब्लॉक में सोने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	कर्नाटक	सोना	एमईसीएल	4,48,27,471
17	मध्य प्रदेश के कटनी जिले के टिकरिया ब्लॉक जिलों में लौह, मैंगनीज और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	लोहा, मैंगनीज और संबंधित खनिज	एमईसीएल	2,21,83,799
18	डिंडो-बेलकुर्ता-बसेरा ब्लॉक, जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़ में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	छत्तीसगढ	सीसा	डीजीएम छत्तीसगढ़ (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	1,04,63,931
19	गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के मालेटा-बांकोडी ब्लॉक में बॉक्साइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	गुजरात	बाक्साइट	सीजीएम गुजरात	1,26,63,717
20	खाहरदा-केनेडी ब्लॉक देवभूमि द्वारका जिला गुजरात में बॉक्साइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	गुजरात	बाक्साइट	सीजीएम गुजरात	1,82,59,134
21	जोधपुर-सतारपार ब्लॉक, देवभूमि द्वारका जिला, गुजरात में चूना पत्थर का प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	गुजरात	चूना पत्थर	सीजीएम गुजरात	35,91,209
22	गुजरात के उजोल नदी बेसिन (पूर्वी भाग, जिसका क्षेत्रफल 350 वर्ग किमी है) में प्लेसर ज़ेनोटाइम संभावना के मूल्यांकन के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	गुजरात	आरईई-ज़ेनोटाइम	सीजीएम गुजरात (मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)	1,92,42,484
23	भुज क्ले प्रॉस्पेक्ट ब्लॉक, कच्छ जिले में आरईई अन्वेषण के लिए टोही सर्वेक्षण	जी-4	गुजरात	आरईई	सीजीएम गुजरात (मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)	1,22,27,994
24	सलाईकाना ब्लॉक (3.98 वर्ग किमी), जिला: क्योंझर, ओडिशा में सोने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	ओडिशा	सोना	ओएमसी	2,01,98,905
25	डिमिरिमुंडा ब्लॉक (5 वर्ग किमी), जिला-क्योंझर, ओडिशा में सोने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	ओडिशा	सोना	ओएमसी	2,01,98,905
26	मनेरी-सीतापाला ब्लॉक, बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में पीजीई, सोना और आरईई के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	पीजीई, सोना और आरईई	डीजीएम मध्य प्रदेश (मेसर्स, जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	64,92,482

क्र सं.	परियोजना का नाम	चरण	राज्य	वस्तु	एजेंसी	स्वीकृत लागत
27	मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करमाई-चुवाही ब्लॉक (33.40 वर्ग किमी) में लौह और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	लौह अयस्क एवं संबंधित खनिज	एमईसीएल	1,39,81,360
28	धनकोवाली ढाणी (उत्तर) ब्लॉक (9.63 वर्ग किमी), सतीपुरा सब बेसिन, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में पोटाश के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	राजस्थान	पोटाश	एमईसीएल	24,06,16,207
29	मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जामटोला-खंडपार ब्लॉक (96.62 वर्ग किमी) में सोना, तांबा, ग्रेफाइट और संबंधित खनिजों के लिए सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	सोना, तांबा, ग्रेफाइट और संबंधित खनिज	एमईसीएल	2,16,29,787
30	मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलंजखंड कॉपर बेल्ट के सीतापुर ब्लॉक में तांबा और संबंधित खनिजों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	मध्य प्रदेश	तांबा एवं संबंधित खनिज	एमईसीएल	2,70,88,193
31	मध्य प्रदेश के सीधी जिले के परसिली-करमई ब्लॉक (18.34 वर्ग किमी.) में लोहे के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	लौह अयस्क	एमईसीएल	1,32,13,733
32	मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंगिरा-बी और अंगिरा-ए ब्लॉक (2.3 वर्ग किमी) के निकटवर्ती क्षेत्र में हीरे के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	मध्य प्रदेश	हीरा	एमईसीएल	5,61,53,521
33	राजस्थान के जैसलमेर जिले के निम्बली ब्लॉक (2.70 वर्ग किमी) में रॉक फॉस्फेट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	राजस्थान	रॉक फॉस्फेट	एमईसीएल	3,55,98,122
34	ओडिशा के बलांगीर जिले के लारम्भा ब्लॉक (2.57 वर्ग किमी) में मैंगनीज और ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	ओडिशा	मैंगनीज और ग्रेफाइट	एमईसीएल	2,14,13,609
35	ओडिशा के बलांगीर जिले के कनैताल ब्लॉक (4.26 वर्ग किमी) में मैंगनीज और ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	ओडिशा	मैंगनीज और ग्रेफाइट	एमईसीएल	2,23,40,108
36	झारखंड के गिरिडीह जिले के कुम्हारडीह-खिजुरी-पचम्बा ब्लॉक (175.28 वर्ग किमी) में आरईई और दुर्लभ धातुओं के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	झारखंड	आरईई और आरएम	एमईसीएल	78,09,636
37	मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर-इमिलिया ब्लॉक (95.67 वर्ग किमी.) में फॉस्फोराइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	फास्फोराइट	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	1,26,86,119
38	भटुरा ब्लॉक (1.5 वर्ग किमी), सतना जिला, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	62,70,842
39	मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बांकी-सलैया ब्लॉक (25 वर्ग किमी) में चूना पत्थर के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	48,07,691
40	मेघालय के पूर्व खासी और पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिलों के सुंग वैली ब्लॉक (7.1 वर्ग किमी) में आयन-अवशोषण और लैटेराइट आधारित सुपरजीन समृद्ध आरईई जमा का प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	मेघालय	आरईई	डीएमआर मेघालय	3,00,93,518

क्र सं.	परियोजना का नाम	चरण	राज्य	वस्तु	एजेंसी	स्वीकृत लागत
41	खंदाधार उप ब्लॉक-ई (8.797 वर्ग किमी), सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा में लौह अयस्क के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	ओडिशा	लौह अयस्क	ओएमसी	7,99,38,943
42	ओडिशा के क्योंझर जिले के मध्यपुरा ब्लॉक (6.5 वर्ग किमी) में लौह अयस्क के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	ओडिशा	लौह अयस्क	ओएमसी	1,97,07,639
43	कर्नाटक के बल्लारी जिले के सिरिगेरी ब्लॉक (2 वर्ग किमी) में सोने और अन्य खनिजों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	कर्नाटक	सोना एवं संबंधित खनिज	डीजीएम कर्नाटक	3,45,18,638
44	ओडिशा के रायगडा जिले के दारुकोना ब्लॉक (119 वर्ग किमी) में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	ओडिशा	सीसा	डीएमजी, ओडिशा (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	1,73,81,649
45	कनापुलिसी ग्रेफाइट ब्लॉक (98.3 वर्ग किमी), रायगडा जिला, ओडिशा के लिए टोही सर्वेक्षण (जी4 चरण)	जी -4	ओडिशा	सीसा	डीएमजी, ओडिशा (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	1,69,49,726
46	अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के मेंगा क्षेत्र (26 वर्ग किमी.) में और उसके आसपास चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	अरुणाचल प्रदेश	चूना पत्थर और डोलोमाइट	डीजीएम अरुणाचल प्रदेश	1,76,01,521
47	तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के कोलार शिस्ट बेल्ट के बरगुर बेल्ट के बरगुर ब्लॉक में सोने के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	तमिलनाडु	सोना	एमईसीएल	2,50,28,266
48	कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के कलासापुरा ब्लॉक (119.00 वर्ग किमी) में क्यूपीसी होस्टेड सोना खनिज और कॉपर के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	कर्नाटक	सोना और तांबा	एमईसीएल	1,52,40,702
49	सिलपुंजी ब्लॉक, जामदा-कोइरा घाटी लौह अयस्क बेल्ट, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड में लौह और मैंगनीज अयस्क के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	झारखंड	लोहा और मैंगनीज	एमईसीएल	1,62,42,997
50	सिसकारी पाट ब्लॉक, जिला-लोहरडागा, झारखंड में बॉक्साइट, टाइटेनियम और संबंधित खनिजों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	झारखंड	बॉक्साइट, टाइटेनियम और अन्य खनिज	एमईसीएल	74,20,491
51	शिमोगा शिष्ट बेल्ट, होन्नाली तालुक, देवनगेरे जिला, कर्नाटक में भूभौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा कुद्रेकोंडा क्षेत्र में सोने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	कर्नाटक	सोना	एमईसीएल	2,44,68,583
52	भारतबहाल ब्लॉक (2.00 वर्ग किमी.) जिला-बलांगीर, ओडिशा में मैंगनीज और ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	ओडिशा	मैंगनीज और ग्रेफाइट	एमईसीएल	1,37,77,521
53	कर्नाटक के मांड्या जिले के येदियुर क्षेत्र, येदियुर - करिघट्टा शिष्ट बेल्ट में सोने के लिए सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	कर्नाटक	सोना	केआईओसीएल	1,29,16,573
54	छत्तीसगढ़ के रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के अल्दा ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	छत्तीसगढ	चूना पत्थर	डीजीएम छत्तीसगढ़	1,59,77,570

क्र सं.	परियोजना का नाम	चरण	राज्य	वस्तु	एजेंसी	स्वीकृत लागत
55	मध्य प्रदेश के धनोखर नागोद ब्लॉक, पन्ना और सतना जिलों में चूना पत्थर के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	एमपीएसएमसी	78,74,163
56	मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गुनौर पाली ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	एमपीएसएमसी	52,98,986
57	गुजरात के कच्छ जिले के छासरा ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	गुजरात	चूना पत्थर	सीजीएम गुजरात	1,74,04,577
58	गुजरात के कच्छ जिले के वायोर ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	गुजरात	चूना पत्थर	सीजीएम गुजरात	94,28,274
59	गुजरात के कच्छ जिले के जादवा ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	गुजरात	चूना पत्थर	सीजीएम गुजरात	60,97,512
60	उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चकदिया, कुशनिया, जोबरा और तुसगांव क्षेत्र के आसपास महाकोशल समूह में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्ष (जी-4)	जी -4	उत्तर प्रदेश	लौह अयस्क	डीजीएम, उत्तर प्रदेश (मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड)	95,41,116
61	गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में दांडी-ओंजल-सुरवाड़ा ब्लॉक में वैनेडियम और टाइटेनियम के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी3	गुजरात	वैनेडियम और टाइटेनियम	सीजीएम, गुजरात (मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड)	86,27,644
62	नागरधन ब्लॉक (2.00 वर्ग किमी), नागपुर जिला, महाराष्ट्र में मैंगनीज के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी3	महाराष्ट्र	मैंगनीज	एमईसीएल	1,30,65,806
63	कथापुलट्टी ब्लॉक, तिरुप्पुर जिला, राज्य-तमिलनाडु में आरईई, दुर्लभ धातुओं (आरएम) और पीजीई खनिजकरण के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	तमिलनाडु	आरईई, दुर्लभ धातुएं और पीजीई	एमईसीएल	97,62,693
64	मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पात्रा ग्रेफाइट ब्लॉक में ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी3	मध्य प्रदेश	सीसा	एमपीएसएमसी	1,98,11,180
65	मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पास्टलैमल आधार धातु ब्लॉक में आधार धातु के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी3	मध्य प्रदेश	आधार धातु	एमपीएसएमसी	1,40,93,751
66	थल-दीदीहाट-अस्कोट क्षेत्र, पिथौरागढ़ जिले, उत्तराखंड में आधार धातु के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	उत्तराखंड	आधार धातु	मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1,37,47,000
67	उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मैलार क्षेत्र में मैलार आधार धातु-सोना प्रॉस्पेक्ट ब्लॉक के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	उत्तर प्रदेश	आधार धातु - सोना	मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2,40,95,250
68	असम के दीमा-हसाओ जिले के बोरो लखिंदोंग ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	असम	चूना पत्थर	डीजीएम असम (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	3,11,98,170
69	रानीबांध ब्लॉक, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	पश्चिम बंगाल	सीसा	मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	1,43,35,493
70	मध्य प्रदेश के बैतुल जिला के सोनाघाटी, आमदोल, झारेगांव और भयवारी के आसपास ग्रेफाइट और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	सीसा	मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड	1,05,04,174

क्र सं.	परियोजना का नाम	चरण	राज्य	वस्तु	एजेंसी	स्वीकृत लागत
71	महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में तालाशिल ब्लॉक के समुद्र तट और टिब्बा रेत में वैनेडियम, टाइटेनियम और संबंधित खनिजों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	महाराष्ट्र	वैनेडियम और टाइटेनियम	मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1,36,12,863
72	भुरसाडोंगरी - मुरुम ब्लॉक (100 वर्ग किमी), बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में पीजीई, वैनेडियम और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	मध्य प्रदेश	पीजीई, वैनेडियम और अन्य खनिज	मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप. प्राइवेट लिमिटेड	61,01,057
73	बहु - संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-7	आधारभूत परियोजना	अन्य	आधारभूत परियोजना	जीएसआई	35,74,52,623
74	बहु - संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-5	आधारभूत परियोजना	अन्य	आधारभूत परियोजना	जीएसआई- सैंडर जियोफिजिक्स लिमिटेड	56,05,19,456
75	बहु - संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-9	आधारभूत परियोजना	अन्य	आधारभूत परियोजना	जीएसआई	41,86,86,844
76	बहु - संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-10	आधारभूत परियोजना	अन्य	आधारभूत परियोजना	जीएसआई	34,52,52,437
77	बहु - संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-12	आधारभूत परियोजना	अन्य	आधारभूत परियोजना	जीएसआई	18,23,61,954
78	उत्तरी भाग के लिए गहन भूकंपीय परावर्तन सर्वेक्षण (डीएसआरएस) और मैग्नेटो-टेल्यूरिक (एमटी) सर्वेक्षण परियोजना: जीएसआई अनकवर	आधारभूत परियोजना	अन्य	आधारभूत परियोजना	जीएसआई-एनजीआरआई	99,73,30,000
79	राष्ट्रीय वायुजनित भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) के चरण-II के अंतर्गत ब्लॉक-14 पर बहु-संवेदी वायुभूभौतिकीय सर्वेक्षणों के गुणवत्ता आश्वासन/ गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए/क्यूसी) की निगरानी के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (टीएस-क्यूसी) परामर्शदाता की नियुक्ति	आधारभूत परियोजना	अन्य	आधारभूत परियोजना	जीएसआई-ब्लूएनर्जी बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रीड जियोफिजिक्स लिमिटेड	2,66,50,055
	राष्ट्रीय वायुजनित भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) के चरण-II के अंतर्गत ब्लॉक-15 पर बहु-संवेदी वायुभूभौतिकीय सर्वेक्षणों के गुणवत्ता आश्वासन/ गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए/क्यूसी) की निगरानी के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (टीएस-क्यूसी) परामर्शदाता की नियुक्ति		अन्य	आधारभूत परियोजना	जीएसआई-आईडीपीईएक्स प्राइवेट लिमिटेड	2,14,56,000
80	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/ यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता	खरीद परियोजना	मेघालय	खरीद परियोजना	डीएमआर मेघालय	60,25,000
81	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/ यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता	खरीद परियोजना	गुजरात	खरीद परियोजना	सीजीएम गुजरात	56,90,000

क्र सं.	परियोजना का नाम	चरण	राज्य	वस्तु	एजेंसी	स्वीकृत लागत
82	9932 जीजीसीएमपी नमूनों का भू-रासायनिक विश्लेषण (4966 जीजीसीएमपी नमूने-सीजीएम गुजरात)	आधारभूत परियोजना	गुजरात	आधारभूत परियोजना	सीजीएम गुजरात	11,33,68,814
	9932 जीजीसीएमपी नमूनों का भू-रासायनिक विश्लेषण (4966 जीजीसीएमपी नमूने-एमईसीएल)		गुजरात	आधारभूत परियोजना	एमईसीएल	11,33,68,814
83	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/ यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता	खरीद परियोजना	त्रिपुरा	खरीद परियोजना	डीजीएम-त्रिपुरा	36,76,000
84	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/ यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता - डीएमजी, बिहार	खरीद परियोजना	बिहार	खरीद परियोजना	डीएमजी बिहार	6,00,000
85	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/ यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता - सीजीएम, गुजरात	खरीद परियोजना	गुजरात	खरीद परियोजना	सीजीएम गुजरात	4,13,70,000
86	खान मंत्रालय की धातु-4 की शीर्ष समिति द्वारा एस एंड टी प्रिज्म योजना के अंतर्गत परियोजना	अनुसंधान एवं विकास	मेघालय	अनुसंधान एवं विकास	जेएनएआरडीडीसी	1,20,00,000
87	एमईसीएल में क्षमता वृद्धि के लिए एनएमईटी फंड के माध्यम से उपकरणों की खरीद	खरीद परियोजना	महाराष्ट्र	खरीद परियोजना	एमईसीएल	32,44,87,000
88	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/ प्रयोगशाला उपकरण/ यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता	खरीद परियोजना	मध्य प्रदेश	खरीद परियोजना	डीजीएम मध्य प्रदेश	6,44,74,000
89	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/, प्रयोगशाला उपकरण/ यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता	खरीद परियोजना	गुजरात	खरीद परियोजना	सीजीएम गुजरात	46,46,000

अनुलग्नक-8

वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमोदित खनिज अन्वेषण परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चरण	टीसीसी	राज्य	वस्तु	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत	स्वीकृत
1	नीलम खान क्षेत्र (5.00 वर्ग किमी) जिला- किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर में और उसके आसपास रत्नों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	52वीं टीसीसी 27.04.2023 और 28.04.2023	जम्मू और कश्मीर	रत्न	एमईसीएल	4,26,22,553	30वीं ईसी 06.06.2023
2	पिपरिया-नयाखेड़ा ब्लॉक और सिमरियाकलां-बहेरिया ब्लॉक (10 वर्ग किमी.), जिला: नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	52वीं टीसीसी 27.04.2023 और 28.04.2023	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	एमईसीएल	1,16,50,093	30वीं ईसी 06.06.2023
3	पोखर-छैली ब्लॉक (90.00 वर्ग किमी), टिहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड में टिन के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	53वीं टीसीसी 24.05.2023 और 25.05.2023	उत्तराखंड	टिन	एमईसीएल	1,05,05,247	30वीं ईसी 06.06.2023
4	कर्नाटक के कोलार जिले के गनाचरपुरा ब्लॉक (33.60 वर्ग किमी) में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	53वीं टीसीसी 24.05.2023 और 25.05.2023	कर्नाटक	सीसा	एमईसीएल	92,96,121	30वीं ईसी 06.06.2023
5	अंगिरा बी ब्लॉक (1.5 वर्ग किमी) जिला: छतरपुर, मध्य प्रदेश में हीरे के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	53वीं टीसीसी 24.05.2023 और 25.05.2023	मध्य प्रदेश	हीरा	एमईसीएल	4,94,11,918	30वीं ईसी 06.06.2023
6	कटामादेवराहल्ली क्षेत्र, कलबुर्गी जिला, कर्नाटक में फॉस्फोराइट, बैराइट और आरईई के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4) (ब्लॉक क्षेत्र- 100 वर्ग किमी)	जी-4	53वीं टीसीसी 24.05.2023 और 25.05.2023	कर्नाटक	चूना पत्थर	केआईओसीएल	69,47,721	30वीं ईसी 06.06.2023
7	महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अलेंगा-नेंदवाडी ब्लॉक में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	52वीं टीसीसी 27.04.2023 और 28.04.2023	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	37,74,553	30वीं ईसी 06.06.2023
8	मरमपल्ली-जिंजगांव ब्लॉक (90 वर्ग किमी) जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	52वीं टीसीसी 27.04.2023 और 28.04.2023	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	33,25,911	30वीं ईसी 06.06.2023
9	ताड़गांव-वटेली ब्लॉक (80 वर्ग किमी) जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्रमें लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	52वीं टीसीसी 27.04.2023 और 28.04.2023	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	32,65,250	30वीं ईसी 06.06.2023

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चरण	टीसीसी	राज्य	वस्तु	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत	स्वीकृत
10	गिलंगुडा-पदुर ब्लॉक (65 वर्ग किमी) जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्रमें लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	53वीं टीसीसी 24.05.2023 और 25.05.2023	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	26,79,391	30वीं ईसी 06.06.2023
11	मुरवाड़ा-तुमरीकोडी ब्लॉक(85वर्गकिमी), जिला: गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	53वीं टीसीसी 24.05.2023 और 25.05.2023	महाराष्ट्र	लौह अयस्क	डीजीएम महाराष्ट्र (मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	33,13,520	30वीं ईसी 06.06.2023
12	छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के टीएस संख्या 64जे/02 के भाग, केंडा, बरपाली, नागपुरा, चुरेली, मानिकपुर गांव क्षेत्रों (75.00 वर्ग किमी) में आरईई खनिजीकरण के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	52वीं टीसीसी 27.04.2023 और 28.04.2023	छत्तीसगढ	आरईई	डीजीएम छत्तीसगढ़ (मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड)	47,51,503	30वीं ईसी 06.06.2023
13	नवाडीह ब्लॉक (32.04 वर्ग किमी) जिला: बलरामपुर, छत्तीसगढ़ में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	52वीं टीसीसी 27.04.2023 और 28.04.2023	छत्तीसगढ	सीसा	डीजीएम छत्तीसगढ़ (मेसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	27,72,193	30वीं ईसी 06.06.2023
14	सिरमौर-केवटी ब्लॉक (145 वर्ग किमी.), जिला: रीवा, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	53वीं टीसीसी 24.05.2023 और 25.05.2023	मध्य प्रदेश	बाक्साइट	डीजीएम मध्य प्रदेश (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	89,75,255	30वीं ईसी 06.06.2023
15	उत्तराखंड के देहरादून जिले में कथ्यूर ब्लॉक (9.00 वर्ग किमी) में फॉस्फोराइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	54वीं टीसीसी 22.06.2023 और 23.06.2023	उत्तराखंड	फास्फोराइट	एमईसीएल	64,23,064	31वीं ईसी 12.09.2023
16	कर्नाटक के हावेरी के काकोल ब्लॉक में सोने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	कर्नाटक	सोना	एमईसीएल	4,48,27,471	31वीं ईसी 12.09.2023
17	टिकरिया ब्लॉक कटनी, राज्य मध्य प्रदेश में लौह, मैंगनीज और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	56वीं टीसीसी 31.08.2023 और 01.09.2023	मध्य प्रदेश	लोहा, मैंगनीज और संबंधित खनिज	एमईसीएल	2,21,83,799	31वीं ईसी 12.09.2023
18	डिंडो-बेलकुर्ता-बसेरा ब्लॉक, जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़ में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	54वीं टीसीसी 22.06.2023 और 23.06.2023	छत्तीसगढ	सीसा	डीजीएम छत्तीसगढ़ (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)]	1,04,63,931	31वीं ईसी 12.09.2023

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चरण	टीसीसी	राज्य	वस्तु	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत	स्वीकृत
19	गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के मालेटा-बांकोडी ब्लॉक में बॉक्साइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	गुजरात	बाक्साइट	सीजीएम गुजरात	1,26,63,717	31वीं ईसी 12.09.2023
20	खाहरदा-केनेडी ब्लॉक देवभूमि द्वारका जिला, गुजरात में बॉक्साइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	गुजरात	बाक्साइट	सीजीएम गुजरात	1,82,59,134	31वीं ईसी 12.09.2023
21	जोधपुर-सतारपार ब्लॉक, देवभूमि द्वारका जिला, गुजरात में चूना पत्थर का प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	गुजरात	चूना पत्थर	सीजीएम गुजरात	35,91,209	31वीं ईसी 12.09.2023
22	गुजरात के उजोल नदी बेसिन (पूर्वी भाग, जिसका क्षेत्रफल 350 वर्ग किमी है) में प्लेसर ज़ेनोटाइम संभावना के मूल्यांकन के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	गुजरात	आरईई-ज़ेनोटाइम	सीजीएम गुजरात (मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)	1,92,42,484	31वीं ईसी 12.09.2023
23	भुज क्ले प्रॉस्पेक्ट ब्लॉक, कच्छ जिला, गुजरात में आरईई अन्वेषण के लिए टोही सर्वेक्षण	जी -4	56वीं टीसीसी 31.08.2023 और 01.09.2023	गुजरात	आरईई	सीजीएम गुजरात (मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)	122,27,994	31वीं ईसी 12.09.2023
24	सलाईकाना ब्लॉक (3.98 वर्ग किमी) जिला: क्योंझर, ओडिशामें सोने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	ओडिशा	सोना	ओएमसी	2,01,98,905	31वीं ईसी 12.09.2023
25	डिमिरिमुंडा ब्लॉक (5 वर्ग किमी), जिला- क्योंझर, ओडिशा में सोने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	ओडिशा	सोना	ओएमसी	2,01,98,905	31वीं ईसी 12.09.2023
26	मनेरी-सीतापाला ब्लॉक, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश में पीजीई, सोना और आरईई के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	मध्य प्रदेश	पीजीई, सोना और आरईई	डीजीएम मध्य प्रदेश (मेसर्स, जेमकोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड)	64,92,482	31वीं ईसी 12.09.2023
27	मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करमाई-चुवाही ब्लॉक (33.40 वर्ग किमी) में लौह और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	57वीं टीसीसी 26.09.2023 और 27.09.2023	मध्य प्रदेश	लौह अयस्क एवं संबंधित खनिज	एमईसीएल	1,39,81,360	32वीं ईसी 06.12.2023

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चरण	टीसीसी	राज्य	वस्तु	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत	स्वीकृत
28	धनकोवाली ढाणी (उत्तर) ब्लॉक (9.63 वर्ग किमी), सतीपुरा सब बेसिन, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में पोटाश के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी3	57वीं टीसीसी 26.09.2023 और 27.09.2023	राजस्थान	पोटाश	एमईसीएल	24,06,16,207	32वीं ईसी 06.12.2023
29	मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जामटोला-खंडपार ब्लॉक (96.62 वर्ग किमी) में सोना, तांबा, ग्रेफाइट और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	57वीं टीसीसी 26.09.2023 और 27.09.2023	मध्य प्रदेश	सोना, तांबा, ग्रेफाइट और संबंधित खनिज	एमईसीएल	2,16,29,787	32वीं ईसी 06.12.2023
30	मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलंजखंड कॉपर बेल्ट के सीतापुर ब्लॉक में तांबा और संबंधित खनिजों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी3	57वीं टीसीसी 26.09.2023 और 27.09.2023	मध्य प्रदेश	तांबा एवं संबंधित खनिज	एमईसीएल	2,70,88,193	32वीं ईसी 06.12.2023
31	मध्य प्रदेश के सीधी जिले के परसिली-करमई ब्लॉक (18.34 वर्ग किमी.) में लोहे के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	58वीं टीसीसी 30.10.2023, 31.10.2023 और 01.10.2023	मध्य प्रदेश	लौह अयस्क	एमईसीएल	1,32,13,733	32वीं ईसी 06.12.2023
32	मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंगिरा-बी और अंगिरा-ए ब्लॉक (2.3 वर्ग किमी) के निकटवर्ती क्षेत्र में हीरे के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	58वीं टीसीसी 30.10.2023, 31.10.2023 और 01.10.2023	मध्य प्रदेश	हीरा	एमईसीएल	5,61,53,521	32वीं ईसी 06.12.2023
33	राजस्थान के जैसलमेर जिले के निम्बली ब्लॉक (2.70 वर्ग किमी) में रॉक फॉस्फेट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	59वीं टीसीसी 28.11.2023 और 29.11.2023	राजस्थान	रॉक फॉस्फेट	एमईसीएल	3,55,98,122	32वीं ईसी 06.12.2023
34	ओडिशा के बलांगीर जिले के लारम्भा ब्लॉक (2.57 वर्ग किमी) में मैंगनीज और ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	59वीं टीसीसी 28.11.2023 और 29.11.2023	ओडिशा	मैंगनीज और ग्रेफाइट	एमईसीएल	2,14,13,609	32वीं ईसी 06.12.2023
35	ओडिशा के बलांगीर जिले के कनैताल ब्लॉक (4.26 वर्ग किमी) में मैंगनीज और ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	59वीं टीसीसी 28.11.2023 और 29.11.2023	ओडिशा	मैंगनीज और ग्रेफाइट	एमईसीएल	2,23,40,108	32वीं ईसी 06.12.2023
36	झारखंड के गिरिडीह जिले के कुम्हारडीह-खिजुरी-पचम्बा ब्लॉक (175.28 वर्ग किमी) में आरईई और दुर्लभ धातुओं के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	59वीं टीसीसी 28.11.2023 और 29.11.2023	झारखंड	आरईई और आरएम	एमईसीएल	78,09,636	32वीं ईसी 06.12.2023

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चरण	टीसीसी	राज्य	वस्तु	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत	स्वीकृत
37	मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर-इमिलिया ब्लॉक (95.67 वर्ग किमी.) में फॉस्फोराइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	57वीं टीसीसी 26.09.2023 और 27.09.2023	मध्य प्रदेश	फास्फोराइट	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	1,26,86,119	32वीं ईसी 06.12.2023
38	भटुरा ब्लॉक (1.5 वर्ग किमी), सतना जिला, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	58वीं टीसीसी 30.10.2023, 31.10.2023 और 01.10.2023	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	62,70,842	32वीं ईसी 06.12.2023
39	मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बांकी-सलैया ब्लॉक (25 वर्ग किमी) में चूना पत्थर के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	58वीं टीसीसी 30.10.2023, 31.10.2023 और 01.10.2023	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	48,07,691	32वीं ईसी 06.12.2023
40	मेघालय के ईस्ट खासी और वेस्ट जैंतिया हिल्स जिलों के सुंग वैली ब्लॉक (7.1 वर्ग किमी) में आयन-अवशोषण और लैटेराइट आधारित सुपरजीन समृद्ध आरईई भंडार का प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी3	57वीं टीसीसी 26.09.2023 और 27.09.2023	मेघालय	आरईई	डीएमआर मेघालय	3,00,93,518	32वीं ईसी 06.12.2023
41	खंडाधार उप ब्लॉक-ई (8.797 वर्ग किमी), सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा में लौह अयस्क के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	57वीं टीसीसी 26.09.2023 और 27.09.2023	ओडिशा	लौह अयस्क	ओएमसी	7,99,38,943	32वीं ईसी 06.12.2023
42	ओडिशा के क्योंझर जिले के मध्यपुरा ब्लॉक (6.5 वर्ग किमी) में लौह अयस्क के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	58वीं टीसीसी 30.10.2023, 31.10.2023 और 01.10.2023	ओडिशा	लौह अयस्क	ओएमसी	1,97,07,639	32वीं ईसी 06.12.2023
43	कर्नाटक के बल्लारी जिले के सिरिगेरी ब्लॉक (2 वर्ग किमी) में सोने और अन्य खनिजों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	58वीं टीसीसी 30.10.2023, 31.10.2023 और 01.10.2023	कर्नाटक	सोना एवं संबंधित खनिज	डीजीएम कर्नाटक	3,45,18,638	32वीं ईसी 06.12.2023
44	ओडिशा के रायगडा जिले के दारुकोना ब्लॉक (119 वर्ग किमी) में ग्रेफाइट के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	59वीं टीसीसी 28.11.2023 और 29.11.2023	ओडिशा	सीसा	डीएमजी, ओडिशा (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	1,73,81,649	32वीं ईसी 06.12.2023
45	कनापुलिसी ग्रेफाइट ब्लॉक (98.3 वर्ग किमी), रायगडा जिला, ओडिशा के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	59वीं टीसीसी 28.11.2023 और 29.11.2023	ओडिशा	सीसा	डीएमजी, ओडिशा (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	1,69,49,726	32वीं ईसी 06.12.2023

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चरण	टीसीसी	राज्य	वस्तु	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत	स्वीकृत
46	अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के मेंगा क्षेत्र (26 वर्ग किमी.) में और उसके आसपास चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	52वीं टीसीसी 27.04.2023 और 28.04.2023	अरुणाचल प्रदेश	चूना पत्थर और डोलोमाइट	डीजीएम अरुणाचल प्रदेश	1,76,01,521	30वीं ईसी 06.06.2023
47	तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के कोलार शिस्ट बेल्ट के बरगुर बेल्ट के बरगुर ब्लॉक में सोने के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	60वीं टीसीसी 27.12.2023 और 28.12.2023	तमिलनाडु	सोना	एमईसीएल	2,50,28,266	33वीं ईसी 19.02.2024
48	कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के कलासपुरा ब्लॉक (119.00 वर्ग किमी) में क्यूपीसी होस्टेड सोना खनिज और कॉपर के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	60वीं टीसीसी 27.12.2023 और 28.12.2023	कर्नाटक	सोना और तांबा	एमईसीएल	1,52,40,702	33वीं ईसी 19.02.2024
49	सिलपुंजी ब्लॉक, जामदा-कोइरा घाटी लौह अयस्क बेल्ट, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड में लौह और मैंगनीज अयस्क के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	60वीं टीसीसी 27.12.2023 और 28.12.2023	झारखंड	लोहा और मैंगनीज	एमईसीएल	1,62,42,997	33वीं ईसी 19.02.2024
50	सिसकारी पाट ब्लॉक, जिला-लोहरदगा, झारखंडबॉक्साइट, टाइटेनियम और संबंधित खनिजों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	झारखंड	बॉक्साइट, टाइटेनियम और अन्य खनिज	एमईसीएल	74,20,491	33वीं ईसी 19.02.2024
51	शिमोगा स्किस्ट बेल्ट, होन्नाली तालुक, देवनगेरे जिला, कर्नाटक में भूभौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा कुद्रेकोंडा क्षेत्र में सोने के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	कर्नाटक	सोना	एमईसीएल	2,44,68,583	33वीं ईसी 19.02.2024
52	भारतबहाल ब्लॉक (2.00 वर्ग किमी.) जिला- बलांगीर, ओडिशा में मैंगनीज और ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	ओडिशा	मैंगनीज और ग्रेफाइट	एमईसीएल	1,37,77,521	33वीं ईसी 19.02.2024
53	कर्नाटक के मांड्या जिले के येदियुर क्षेत्र, येदियुर - करिघट्टा स्किस्ट बेल्ट में सोने के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	60वीं टीसीसी 27.12.2023 और 28.12.2023	कर्नाटक	सोना	केआईओसीएल	1,29,16,573	33वीं ईसी 19.02.2024
54	छत्तीसगढ़ के रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के अल्दा ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	छत्तीसगढ	चूना पत्थर	डीजीएम छत्तीसगढ़	1,59,77,570	33वीं ईसी 19.02.2024

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चरण	टीसीसी	राज्य	वस्तु	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत	स्वीकृत
55	मध्य प्रदेश के धनोखर नागोद ब्लॉक, पन्ना और सतना जिलों में चूना पत्थर के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	एमपीएसएमसी	78,74,163	33वीं ईसी 19.02.2024
56	मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गुनौर पाली ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर	एमपीएसएमसी	52,98,986	33वीं ईसी 19.02.2024
57	गुजरात के कच्छ जिले के छासरा ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	गुजरात	चूना पत्थर	सीजीएम गुजरात	1,74,04,577	33वीं ईसी 19.02.2024
58	गुजरात के कच्छ जिले के वायोर ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	गुजरात	चूना पत्थर	सीजीएम गुजरात	94,28,274	33वीं ईसी 19.02.2024
59	गुजरात के कच्छ जिले के जादवा ब्लॉक में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	गुजरात	चूना पत्थर	सीजीएम गुजरात	60,97,512	33वीं ईसी 19.02.2024
60	उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चकदिया, कुशनिया, जोबरा और तुसगांव क्षेत्र के आसपास महाकोशल समूह में लौह अयस्क के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	उत्तर प्रदेश	लौह अयस्क	डीजीएम, उत्तर प्रदेश (मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड)	95,41,116	33वीं ईसी 19.02.2024
61	गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में दांडी-ओंजल-सुरवाड़ा ब्लॉक में वैनेडियम और टाइटेनियम के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	गुजरात	वैनेडियम और टाइटेनियम	सीजीएम, गुजरात (मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड)	86,27,644	33वीं ईसी 19.02.2024
62	नागरधन ब्लॉक (2.00 वर्ग किमी), नागपुर जिला, महाराष्ट्र में मैंगनीज के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	महाराष्ट्र	मैंगनीज	एमईसीएल	1,30,65,806	34वीं ईसी 13.03.2024
63	कथापुलट्टी ब्लॉक, तिरुप्पुर जिला, तमिलनाडु में आरईई, दुर्लभ धातुओं (आरएम) और पीजीई खनिजकरण के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	तमिलनाडु	आरईई, दुर्लभ धातुएं और पीजीई	एमईसीएल	97,62,693	34वीं ईसी 13.03.2024
64	मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पात्रा ग्रेफाइट ब्लॉक में ग्रेफाइट के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी3	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	मध्य प्रदेश	सीसा	एमपीएसएमसी	1,98,11,180	34वीं ईसी 13.03.2024

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चरण	टीसीसी	राज्य	वस्तु	क्रियान्वयन एजेंसी	कुल लागत	स्वीकृत
65	मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पास्टलैमल आधार धातु ब्लॉक में आधार धातु के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	मध्य प्रदेश	आधार धातु	एमपीएसएमसी	1,40,93,751	34वीं ईसी 13.03.2024
66	थल-दीदीहाट-अस्कोट क्षेत्र, पिथौरागढ़ जिले, उत्तराखंड में आधार धातु के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	उत्तराखंड	आधार धातु	मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1,37,47,000	34वीं ईसी 13.03.2024
67	उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मैलार क्षेत्र में मैलार बेस मेटल-सोना प्रॉस्पेक्ट ब्लॉक के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	उत्तर प्रदेश	आधार धातु - सोना	मेसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2,40,95,250	34वीं ईसी 13.03.2024
68	असम के दीमा-हसाओ जिले के बोरो लखिंदोंग ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम में चूना पत्थर के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	असम	चूना पत्थर	डीजीएम असम (मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)	3,11,98,170	34वीं ईसी 13.03.2024
69	रानीबांध ब्लॉक, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में ग्रेफाइट के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	पश्चिम बंगाल	सीसा	मेसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	1,43,35,493	34वीं ईसी 13.03.2024
70	मध्य प्रदेश के बैतुल जिले में सोनाघाटी, आमदोल, झारेगांव और भयवारी के आसपास ग्रेफाइट और संबंधित खनिजों के लिए सर्वेक्षण सर्वेक्षण (जी-4)	जी -4	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	मध्य प्रदेश	सीसा	मेसर्स जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड	1,05,04,174	34वीं ईसी 13.03.2024
71	महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में तालाशिल ब्लॉक के समुद्र तट और टिब्बा रेत में वैनेडियम, टाइटेनियम और संबंधित खनिजों के लिए प्रारंभिक अन्वेषण (जी-3)	जी-3	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	महाराष्ट्र	वैनेडियम और टाइटेनियम	मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	1,36,12,863	34वीं ईसी 13.03.2024
72	भुरसाडोंगरी - मुरुम ब्लॉक (100 वर्ग किमी), बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में पीजीई, वैनेडियम और संबंधित खनिजों के लिए टोही सर्वेक्षण (जी-4)	जी-4	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	मध्य प्रदेश	पीजीई, वैनेडियम और अन्य खनिज	मेसर्स जेमकोकाटी एक्सप. प्राइवेट लिमिटेड	61,01,057	34वीं ईसी 13.03.2024

अनुलग्नक-9

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएमईटी द्वारा अनुमोदित आधारभूत भूविज्ञान आंकड़ा सृजन परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/ मुख्यालय	टीसीसी	स्वीकृत	क्रियान्वयन एजेंसी	स्वीकृत लागत
1	बहु-संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-5	आरएसएएस, बेंगलुरु	15वीं टीसीसी 04.07.2018 05.07.2018	30वीं ईसी दिनांक 06.06.2023 को	जीएसआई-सैंडर जियोफिजिक्स लिमिटेड	5605,19,456
2	बहु-संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-9	आरएसएएस, बेंगलुरु	15वीं टीसीसी 04.07.2018 05.07.2018	30वीं ईसी दिनांक 06.06.2023 को	जीएसआई-	4186,86,844
3	बहु-संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-10	आरएसएएस, बेंगलुरु	15वीं टीसीसी 04.07.2018 05.07.2018	30वीं ईसी दिनांक 06.06.2023 को	जीएसआई-	3452,52,437
4	बहु-संवेदी हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण ब्लॉक-12	आरएसएएस, बेंगलुरु	15वीं टीसीसी 04.07.2018 05.07.2018	30वीं ईसी दिनांक 06.06.2023 को	जीएसआई-	1823,61,954
5	परियोजना के उत्तरी भाग के लिए गहन भूकंपीय परावर्तन सर्वेक्षण (डीएसआरएस) और मैग्नेटो-टेल्यूरिक (एमटी) सर्वेक्षण: जीएसआई अनकवर	पश्चिम क्षेत्र, जयपुर	17वीं टीसीसी 23.10.2018	30.10.2018 को 10वीं ईसी	जीएसआई-एनजीआरआई	9973,30,000
6	राष्ट्रीय वायुजनित भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) के चरण-II के अंतर्गत ब्लॉक-14 और ब्लॉक-15 पर बहु-संवेदी वायुभूभौतिकीय सर्वेक्षणों के गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए/क्यूसी) की निगरानी के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (टीएस-क्यूसी) परामर्शदाता की नियुक्ति।	आरएसएएस, बेंगलुरु	30.05.2022 को 41वीं टीसीसी 31.05.2022	25वीं ईसी 29.06.2022 को	जीएसआई-ब्लूएनर्जी बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रीड जियोफिजिक्स लिमिटेड	266,50,055
	राष्ट्रीय वायुजनित भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) के चरण-II के अंतर्गत ब्लॉक-15 पर बहु-संवेदी वायुभूभौतिकीय सर्वेक्षणों के गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए/क्यूसी) की निगरानी के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (टीएस-क्यूसी) परामर्शदाता की नियुक्ति	आरएसएएस, बेंगलुरु	30.05.2022 को 41वीं टीसीसी 31.05.2022	25वीं ईसी 29.06.2022 को	जीएसआई-	214,56,000
7	स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता पर बहु-संवेदी एयरो-भूभौतिकीय सर्वेक्षण (ओजीपी) ब्लॉक 7	आरएसएएस, बेंगलुरु	54वीं टीसीसी 22.06.2023 23.06.2023	31वीं ईसी दिनांक 12.09.2023 को	जीएसआई-	3574,52,623
8	9932 जीजीसीएमपी नमूनों का भू-रासायनिक विश्लेषण 4966 जीजीसीएमपी नमूनों का भू-रासायनिक विश्लेषण- सीजीएम गुजरात	गांधीनगर	55वीं टीसीसी 27.07.2023 28.07.2023 31.07.2023	31वीं ईसी दिनांक 12.09.2023 को	सीजीएम गुजरात	1133,68,814
9	9932 जीजीसीएमपी नमूनों का भू-रासायनिक विश्लेषण 4966 जीजीसीएमपी नमूनों का भू-रासायनिक विश्लेषण- एमईसीएल	नागपुर	55वीं टीसीसी 27.07.2023 28.07.2023 31.07.2023	31वीं ईसी दिनांक 12.09.2023 को	एमईसीएल	1133,68,814

अनुलग्नक-10

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएमईटी द्वारा अनुमोदित खरीद परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/ मुख्यालय	टीसीसी	स्वीकृत	क्रियान्वयन एजेंसी	स्वीकृत लागत
1	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता	मेघालय	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	31वीं ईसी दिनांक 12.09.2023 को	डीएमआर मेघालय	60,25,000
2	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता	गुजरात	55वीं टीसीसी 27.07.2023, 28.07.2023 और 31.07.2023	31वीं ईसी दिनांक 12.09.2023 को	सीजीएम गुजरात	56,90,000
3	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता	त्रिपुरा	58वीं टीसीसी 30.10.2023, 31.10.2023 और 01.11.2023	32वीं ईसी 06.12.2023 को	डीजीएम त्रिपुरा	36,76,000
4	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता। डीएमजी, बिहार	बिहार	60वीं टीसीसी 27.12.2023 और 28.12.2023	33वीं ईसी 19.02.2024	डीएमजी बिहार	6,00,000
5	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता। सीजीएम, गुजरात	गुजरात	61वीं टीसीसी 30.01.2024, 31.01.2024 और 07.02.2024	33वीं ईसी 19.02.2024	सीजीएम गुजरात	413,70,000
6	एमईसीएल में क्षमता वृद्धि के लिए एनएमईटी निधि के माध्यम से उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव	नागपुर	60वीं टीसीसी 27.12.2023 और 28.12.2023	33वीं ईसी 19.02.2024	एमईसीएल	3244,87,000
7	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	मध्य प्रदेश	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	34वीं ईसी 13.03.2024	डीजीएम मध्य प्रदेश	644,74,000
8	अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/यंत्र आदि खरीदने के लिए एनएमईटी निधि से वित्तीय सहायता।	गुजरात	62वीं टीसीसी 28.02.2024, 29.02.2024 और 01.03.2024	34वीं ईसी 13.03.2024	सीजीएम गुजरात	46,46,000

खान मंत्रालय
भारत सरकार

अनुबंध-11

भारत सरकार
खान मंत्रालय
ष्ट्रीय खनिज खोज न्यास

एफ. सं. 6/3/2015-एनएमईटी/380 नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनिज अन्वेषण में अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों की नियुक्ति के लिए योजना-के संबंध में।

कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.6/3/2015-एनएमईटी/28 दिनांक 10 मई, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग-डी और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित खनिजों के अन्वेषण में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) की नियुक्ति के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का विवरण सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

12.12.23

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(विवेक कुमार शर्मा)
निदेशक, एनएमईटी

प्रति

1. सचिव (खान), आंध्र प्रदेश सरकार
2. सचिव (भूविज्ञान और खनन), अरुणाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान सचिव, खान और खनिज विभाग, असम सरकार।
4. प्रधान सचिव-सह-खान आयुक्त, बिहार सरकार
5. सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोवा सरकार
7. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार
8. प्रधान सचिव (उद्योग एवं खान), गुजरात सरकार
9. आयुक्त सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू और कश्मीर सरकार
10. सचिव (उद्योग, खान एवं भूविज्ञान), झारखंड सरकार
11. सचिव, (उद्योग एवं वाणिज्य) कर्नाटक सरकार
12. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार

13. सचिव (खान), मध्य प्रदेश सरकार।
14. अपर मुख्य सचिव (उद्योग और खान), महाराष्ट्र सरकार।
15. आयुक्त और सचिव, खनन और भूविज्ञान विभाग, मेघालय सरकार।
16. आयुक्त और सचिव, भूविज्ञान और खनन, नागालैंड सरकार
17. प्रमुख सचिव (इस्पात और खान), ओडिशा सरकार
18. प्रमुख सचिव, खान और भूविज्ञान, पंजाब सरकार
19. प्रमुख सचिव (खान), राजस्थान सरकार।
20. प्रमुख सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार
21. प्रमुख सचिव (उद्योग और खान), तेलंगाना सरकार।
22. सचिव (खान और भूविज्ञान), उत्तर प्रदेश सरकार।
23. प्रमुख सचिव (खान), उत्तराखंड सरकार।
24. सचिव (उद्योग, वाणिज्य और उद्यम), पश्चिम बंगाल सरकार
26. प्रमुख सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिक्किम सरकार

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।
2. निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, असम सरकार।
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार।
4. निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार।
5. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, गोवा सरकार
6. आयुक्त, भूविज्ञान और खनन, गुजरात सरकार
7. निदेशक, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. निदेशक, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार
9. निदेशक (खान), खान निदेशालय, झारखंड सरकार
10. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कर्नाटक सरकार
13. निदेशक, भूविज्ञान और खनन निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार
14. निदेशक, खनिज संसाधन निदेशालय, मेघालय सरकार
15. निदेशक, खान निदेशालय, ओडिशा सरकार

16. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, राजस्थान सरकार।
17. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन, तमिलनाडु सरकार।
18. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, तेलंगाना सरकार।
19. निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार
20. निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन इकाई, उत्तराखंड सरकार।
21. निदेशक, खान एवं खनिज निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार।
22. निदेशक, प्राकृतिक संसाधन प्रभाग-टाटा स्टील लिमिटेड, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड-831001
23. प्रबंध निदेशक, इंडियन माइन प्लानर्स ईएम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700107
24. निदेशक, यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , न्यू टाउन, पश्चिम बंगाल 700156
26. प्रबंध निदेशक, जियोटेक्निकल माइनिंग सॉल्यूशंस, धर्मपुरी, तमिलनाडु- 636705
27. निदेशक, जियोएक्सपोर प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 12-28/2 एसवाई एनसी 28/2 कोथनूर आर्य ग्रांडे हम्सा बैंगलोर, कर्नाटक-560078
28. अध्यक्ष, वीएम सालगांवकर एंड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड, एफआई गोम्स रोड, वास्को डी गामा, गोआ 403802
29. सीईओ और निदेशक (परामर्श), भूविज्ञान और हाइड्रो सेवाएं, जिओवाले सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, अनाया चेम्बर्स, जीएन 38/5, सेक्टर V , साल्ट लेक, कोलकाता - 700091 30
30. प्रबंध निदेशक, माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, एफआर 07 शिल्पांगन, प्लॉट नंबर- एलबी 1, सेक्टर III साल्ट लेक, कोलकाता-700091
31. निदेशक, जियो मैरिन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, संकाईगुट्टा, बेजई, मैंगलोर - 575004
32. निदेशक, जियो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सॉल्यूशंस, नंबर 17, अद्वैत आश्रम रोड, फेयरलैंड्स, सेलम, तमिलनाडु 636004
33. अध्यक्ष, इकोमेन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226024
34. निदेशक, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंट इनेज़, पणजी नॉर्थ गोवा जीए 403001
35. प्रबंध निदेशक, नोवोमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेघालय पोकसे, शिलांग - 793006
36. प्रबंध प्रबंधक, एंजियोटेक कंसल्टेंट, 1338, कचनार सिटी रोड, विजय नगर, जबलपुर, रक्सा, मध्य प्रदेश 482002।
37. अध्यक्ष, कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विस प्रा. लिमिटेड, करोड़पति लेन, सिविल लाइन नागपुर, महाराष्ट्र 440001

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव के पीएसओ, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
2. पर सचिव के पीपीएस, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
3. निदेशक (तकनीकी), शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के माध्यम से सीधे खनिज अन्वेषण में अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों की नियुक्ति की योजना

1. पृष्ठभूमि

1.1 केंद्र सरकार ने देश में खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में 2023 में हाल ही में संशोधन ने केंद्र सरकार को अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग डी में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए समग्र लाइसेंस और खनन पट्टे की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में खनिजों के महत्व और इन खनिजों के अन्वेषण में नवीनतम तकनीक के उपयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए इन खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्रों के प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु एमएमडीआर अधिनियम 1957 की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने का एक नया प्रावधान किया गया है।

1.2 संशोधनों के मद्देनजर, यह उचित होगा कि राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) निधियों के माध्यम से एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग डी और सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट इन खनिजों की खोज केंद्र सरकार द्वारा की जाए। खनिजो की इस श्रेणी में अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी और स्वीकृति का कार्य सीधे एनएमईटी द्वारा किया जा सकता है।

2. उद्देश्य

2.1 इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची और सातवीं अनुसूची के भाग डी में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनिज अन्वेषण में एनपीईए को शामिल करके देश में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना और एनएमईटी के माध्यम से एनपीईए द्वारा संचालन की प्रतिपूर्ति/वित्त पोषण की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

3. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों की नियुक्ति और उनके वित्तपोषण की प्रक्रिया

3.1 सामान्य शर्तें

(i) वर्तमान योजना एमएमडीआर अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची (अनुलग्नक 1) के भाग-डी और सातवीं अनुसूची (अनुलग्नक 2) में उल्लिखित खनिजों के अन्वेषण के लिए लागू है।

(ii) अन्वेषण कार्य खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 (एमसीडीआर), खान मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त, 2021 को जारी मान्यता प्राप्त निजी अन्वेषण एजेंसियों की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देश और इस समय लागू किसी अन्य लागू कानून में ऐसे कार्यों के संबंध में प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे।

(iii) एनपीईए उन खनिजों और खनिज निक्षेपों की श्रेणी के संबंध में अन्वेषण करेगा, जिनके अंतर्गत उसे अधिसूचित किया गया है।

(iv) एनपीईए को अन्वेषण के लिए मंजूरी या एनएमईटी से उनके वित्तपोषण से एनपीईए को अन्वेषित क्षेत्र में किसी भी खनिज रियायत के अनुदान के लिए कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे अन्वेषित क्षेत्र में खनिज रियायत (समग्र लाइसेंस, खनन पट्टा, आदि) एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार दी जाएगी। एनपीईए उस ब्लॉक या उसके किसी हिस्से पर खनिज रियायत की नीलामी में भाग ले सकता है, जिसका अन्वेषण एनपीईए ने एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अधीन किया है।

(v) एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2023 की पहली अनुसूची के भाग-डी और सातवीं अनुसूची में उल्लिखित खनिजों की अन्वेषण परियोजनाओं के मामले में, जो पहले से ही राज्य सरकार के नाम पर एनएमईटी द्वारा स्वीकृत हैं और जिन्हें एनपीईए द्वारा भी निष्पादित किया जाना है, एनपीईए इन ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होगा।

(vi) खनन पट्टे के लिए नीलामी में भाग लेने वाले एनपीईए से संबंधित किसी भी पक्ष का विवरण केंद्र सरकार/राज्य सरकार को पहले से घोषित करना होगा।

3.2 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के अन्वेषण के लिए एनएमईटी द्वारा अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) की नियुक्ति और वित्त पोषण का तरीका

केंद्र सरकार द्वारा एनपीईए की नियुक्ति और अन्वेषण परियोजनाओं का वित्त पोषण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जायेगा :

(i) एनपीईए उपलब्ध भूविज्ञान आंकड़ों पर आधारित अन्वेषण के लिए क्षेत्रों का चयन और एनएमईटी को इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। भूविज्ञान डेटा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बेसलाइन भूविज्ञान डेटाबेस से प्राप्त किया जा सकता है, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के एनजीडीआर/भूकोश पोर्टल, अन्य सरकारी या निजी एजेंसियों के डेटाबेस आदि में निःशुल्क उपलब्ध है।

(ii) एनपीईए अन्वेषण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र, खनिज वस्तुओं आदि का ब्यौरा देते हुए इस योजना की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप में एनएमईटी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(iii) एनपीईए से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर एनएमईटी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और राज्य सरकार (डीजीएम/डीएमजी) से उनकी टिप्पणियों के लिए एनएमईटी से आवेदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर पहचान किए गए मद के लिए व्यवहार्यता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव को भेजेगा।

(iv) जीएसआई और राज्य सरकार (डीजीएम/डीएमजी) से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, एनएमईटी एनपीईए को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करेगा या जीएसआई और राज्य सरकार से टिप्पणियां प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव को खारिज कर देगा।

(v) सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के बाद, एनपीईए निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक 3) में पुनरीक्षण या पूर्वेक्षण सर्वेक्षणों के मूल्यांकन के लिए विस्तृत अन्वेषण प्रस्ताव तैयार करेगा और एनएमईटी को प्रस्तुत करेगा।

(vi) एनएमईटी को प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन एनएमईटी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और संबंधित एनपीईए एनएमईटी की तकनीकी और लागत समिति (टीसीसी) के समक्ष प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, टीसीसी की सिफारिश पर परियोजनाओं की स्वीकृति और मंजूरी के लिए एनएमईटी की कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा समीक्षा की जाएगी ।

(viii) जीएफआर 2017 के नियम 172 (1) पैरा (ii) के अनुसार, यदि एनपीईए मोबिलाइजेशन अग्रिम का लाभ उठाना चाहता है (स्वीकृत परियोजना लागत का 30% तक), एनपीईए को एनएमईटी को अग्रिम के बराबर मूल्य की बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित बीजी) प्रस्तुत करनी होगी। भुगतान किया गया अग्रिम एनपीईए द्वारा प्रस्तुत पहले बिल में समायोजित किया जाएगा और बिलों के साथ उसका उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एनपीईए द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति के आधार पर आगे का भुगतान किया जाएगा। बीजी परियोजना के पूरा होने और एनएमईटी द्वारा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की स्वीकृति की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए। मोबिलाइजेशन अग्रिम के निपटान के बाद 30 दिनों के भीतर बैंक गारंटी जारी की जाएगी।

(ix) उप महानिदेशक, जीएसआई, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंधित राज्य ईकाई कार्यालय से नोडल अधिकारी होंगे जो राज्य में एनपीईए द्वारा निष्पादित कार्यों की जांच/निगरानी करेंगे और इस उद्देश्य के लिए एनपीईए द्वारा दावा किए गए बिलों का सत्यापन करेंगे। एनपीईए नोडल अधिकारी के सत्यापन/प्रमाणन के बाद एनएमईटी को बिल प्रस्तुत करेगा।

(x) अन्वेषण करने वाली एनपीईए अन्वेषण परियोजनाओं की वार्षिक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट(रिपोर्टें) और अंतिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट(रिपोर्टें) एनएमईटी को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार और एमसीडीआर, 2017 के नियम 9 के अनुसार क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक वर्ष से अधिक समयावधि वाली परियोजनाओं के मामले में, एनपीईए द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(xi) पूर्वेक्षण कार्य के दौरान एनपीईए द्वारा सृजित कच्चा डेटा राज्य सरकार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। एनपीईए द्वारा तैयार कोर लॉग ब्लॉक के संबंध में इस उद्देश्य के लिए जीएसआई के एसओपी के अनुसार जीएसआई की निकटतम क्षेत्रीय कोर लाइब्रेरी में जमा किया जाना है।

(xii) केंद्र सरकार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का तकनीकी रूप से मूल्यांकन करेगी और संभावित खनिज ब्लॉकों के बारे में निर्णय लेगी जिन्हें आगे नीलामी के लिए लिया जा सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, समग्र लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए खनिज (नीलामी) नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ब्लॉक को नीलामी के लिए रखेगी। केंद्र सरकार निविदा दस्तावेज में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने वाले एनपीईए के नाम का उल्लेख करेगी।

अनुलग्नक I

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2023
"प्रथम अनुसूची का भाग डी"
महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज

1. बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज
2. कैडमियम युक्त खनिज
3. कोबाल्ट युक्त खनिज।
4. गैलियम युक्त खनिज
5. ग्लौकोनाइट
6. ग्रेफाइट
7. इंडियम युक्त खनिज
8. लिथियम युक्त खनिज
9. मोलिब्डेनम युक्त खनिज
10. निकल युक्त खनिज
11. नियोबियम युक्त खनिज
12. फॉस्फेट (यूरेनियम के बिना)
13. प्लेटिनम समूह के तत्व युक्त खनिज।
14. पोटाश
15. "दुर्लभ पृथ्वी" समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम शामिल नहीं हैं
16. रेनियम युक्त खनिज
17. सेलेनियम युक्त खनिज
18. टंटालम युक्त खनिज
19. टेनुरियम युक्त खनिज
20. टिन युक्त खनिज
21. टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन)
22. टंगस्टन युक्त खनिज
23. वैनेडियम युक्त खनिज
24. जिरकोनियम युक्त खनिज और अयस्क जिसमें जिरकोन भी शामिल है

अनुलग्नक 2

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2023
"सातवीं अनुसूची"
खनिज

1. एपेटाइट
2. बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज
3. कैडमियम युक्त खनिज
4. कोबाल्ट युक्त खनिज
5. तांबा युक्त खनिज
6. हीरा
7. सोना
8. ग्रेफाइट
9. इंडियम युक्त खनिज
10. सीसा युक्त खनिज
11. लिथियम युक्त खनिज
12. मोलिब्डेनम युक्त खनिज
13. नियोबियम युक्त खनिज
14. निकल युक्त खनिज
15. पोटाश
16. प्लेटिनम समूह के तत्व युक्त खनिज
17. 'दुर्लभ पृथ्वी' समूह के खनिज
18. रेनियम युक्त खनिज
19. रॉक फॉस्फेट
20. सेलेनियम
21. चांदी
22. टैंटालम युक्त खनिज
23. टंगस्टन युक्त खनिज
27. वैनेडियम युक्त खनिज
28. जिंक युक्त खनिज
29. जिरकोनियम युक्त खनिज और अयस्क जिनमें जिरकोन भी शामिल है

अनुलग्नक 3

अन्वेषण कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप

सेवा में,
निदेशक एवं विभागाध्यक्ष
राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास
खान मंत्रालय नई दिल्ली-110001
महोदया/महोदय,

मैं/हम खान मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या ..... दिनांक ..... के तहत महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के अन्वेषण में अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों की नियुक्ति की योजना के अंतर्गत पुनरीक्षण या पूर्वेक्षण सर्वेक्षण पर प्रस्ताव के लिए एनएमईटी द्वारा "सैद्धांतिक अनुमोदन" देने के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर रहा/रही हूं/रहे हैं।

1. आवेदक का नाम और पता

(क)	नाम	
(ख)	डाक पता	
(ग)	टेलीफोन नंबर (कार्यालय)	
(घ)	फैक्स नंबर (कार्यालय)	
(ङ)	मोबाइल नंबर	
(च)	टेलीफोन नंबर (निवास)	
(छ)	ई-मेल पता	

2. एमएमआरडी अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधान के तहत निजी अन्वेषण एजेंसी के रूप में मान्यता और अधिसूचना का विवरण

(क)	क्यूसीआई -एनएबीईटी द्वारा दी गई मान्यता की तिथि	
(ख)	मान्यता की समाप्ति की तिथि	
(ग)	एमएमआरडी अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधान के तहत अधिसूचना की तिथि	
(घ)	अधिसूचना की समाप्ति की तिथि	
(ड़)	अधिसूचना के तहत अन्वेषण एजेंसी की श्रेणी (श्रेणी क या ख):	

3. प्रस्तावित क्षेत्र का स्थान विवरण

(क)	राज्य	
(ख)	जिला	
(ग)	निकटवर्ती गांव	
(घ)	भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) टोपोशीट संख्या	
(ङ)	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में	
(च)	प्रस्तावित ब्लॉक का सीमा निर्देशांक (दशमलव डिग्री में)	

4. क्षेत्र की खनिज क्षमता

(क)	क्षेत्र/ब्लॉक में पहचाने गए/अपेक्षित खनिज का नाम	
(ख)	क्षेत्र में खनिज क्षमता की पहचान किस आधार पर की गई है	
(ग)	उपरोक्त (ख) के समर्थन में जिन दस्तावेजों और संदर्भों पर निर्भर है उनकी सूची	

5. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) टोपोशीट संख्या पर सीमांकित प्रस्तावित ब्लॉक का स्थान

(ख) उपरोक्त मद 4 (सी) में उल्लिखित दस्तावेज

स्थान:

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर

अनुबंध-12

एनएमईटी फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए मशीनरी/प्रयोगशाला उपकरण/उपकरणों की खरीद की विस्तृत सूची

क. फ़ील्ड उपकरण

1. डिजिटल कैमरा
2. ब्रंटन कम्पास
3. भूविज्ञानी हथौड़ा
4. हैंडहेल्ड जीपीएस
5. यूवी लैंप
6. हैंडहेल्ड एक्सआरएफ
7. सिंटिलोमीटर

ख. नमूना प्रसंस्करण/तैयारी

1. रॉक कटिंग, पॉलिशिंग और माउंटिंग यूनिट
2. पल्वेरीज़ेर
3. स्टीरियो ज़ूम माइक्रोस्कोप
4. पोलाराईजिंग माइक्रोस्कोप
5. सॉफ्टवेयर से जुड़े कैमरे के साथ संचारित और परावर्तित प्रकाश अनुसंधान माइक्रोस्कोप
6. अल्ट्रासोनिक छलनी क्लीनर के साथ स्वचालित छलनी शेकर डिजिटल रिकॉर्डर
7. शेकिंग टेबल
8. रोटरी नमूना डिवाइडर
9. चुंबकीय विभाजक
10. जॉव क्रशर
11. . प्लैटिनम क्रूसिबल
12. वाइब्रेटिंग कप मिल
13. नमी संतुलन
14. विस्कोसिटी उपकरण
15. प्लैनेटरी बॉल मिल (पीबीएम)

ग. रासायनिक एवं पेट्रोलॉजिकल प्रयोगशाला

1. डब्ल्यूडी-एक्सआरएफ
2. फ्यूजन बीड मशीन
3. प्रेस पेलैट मशीन
4. एएएस
5. अग्नि परख
6. आईसीपी-एमएस
7. हॉट प्लेट्स
8. मफल फर्नेस/प्रोक्सिमेट एनालाइजर
9. एयर ओवन
10. बॉम्ब कैलोरीमीटर
11. जल विश्लेषक किट (Ph, DO चालकता, लवणता)
12. यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
13. पीएच मीटर
14. चालकता मीटर
15. आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोमीटर (फ्लोराइड के लिए)
16. धूआं हुड
17. मिलिपोर जल शोधन प्रणाली
18. विश्लेषणात्मक वजन संतुलन
19. रेफ्रेक्टोमीटर
20. चुंबकीय संवेदनशीलता मीटर
21. डिजिटल विस्कोमीटर
22. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने का पैमाना
23. उच्च क्षमता वाली माइक्रोवेव सैम्पल डाइजेशन इकाई
24. भारी द्रव पृथक्करण सुविधा
25. केन्द्रापसारक सांद्रक
26. प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम)
27. एक्सआरडी उपकरण
28. फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोमीटर
29. फोटो मीटर
30. मैलापन मीटर
31. जेमीक्रॉस्कोप
32. डाइक्रोस्कोप
33. पोलारिस्कोप
34. स्पेक्ट्रोस्कोप

घ. ड्रिलिंग गतिविधियाँ

1. 1000 मीटर क्षमता तक की ड्रिलिंग मशीन।
2. 600 मीटर से 1000 मीटर क्षमता वाली हाइड्रोस्टैटिक ट्रक पर लगी ड्रिल मशीन।
3. बिट्स, ड्रिल रॉड्स, केसिंग, कोर बैरल
4. पंप (दबाव/कीचड़)
5. कोर स्प्लिटर/कोर स्प्लिटर हाइड्रोस्टैटिक
6. ट्रक पर लगे हाइड्रोस्टेटिक रिग 300 मीटर/ 600 मीटर/1000 मीटर
7. केसिंग 50%
8. 05 कोर बैरल एनक्यू एवं 10 कोर बैरल मुख्यालय
9. सहायक उपकरण के साथ तिपाई/डेरिक
10. ट्रैक्टर माउंटेड रिग
11. डायमंड कोर बिट मुख्यालय, पीक्यू, एनक्यू-25 नग।

ङ. मानचित्र तैयार करने और डेटा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर

1. जीआईएस सॉफ्टवेयर
2. सर्फर
3. कोरल ड्रा
4. जियोविया सरपैक

च. सर्वे

1. डी.जी.पी.एस
2. कुल स्टेशन
3. बोरहोल कैमरा
4. प्रतिरोधकता-विभव मीटर
5. प्रतिरोधकता मीटर
6. आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोड

छ. भूभौतिकीय गतिविधियाँ

1. आईपी प्रतिरोधकता 5 किलोवाट
2. मल्टी इलेक्ट्रोड-आईपी प्रतिरोधकता (उथली गहराई - 3 किलोवाट)
3. मल्टी-पैरामीटर लॉगर
4. मैग्नेटोमीटर
5. गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर
6. डिजिटल प्रतिरोधकता संभावित मीटर (डीआरपीएम)

ज. फ़ील्ड उपकरण

1. मल्टीपैरा मीटर जल परीक्षक (पीएच, चालकता, टीडीएस, लवणता, तापमान)
2. ट्रिपलेट लूप

अन्वेषण एजेंसियों द्वारा फील्ड कार्य के दौरान नमूना संग्रह

एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित परियोजना में श्री प्रदीप सिंह, निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय का फील्ड निरीक्षण दौरा

मैलाकाइट खनिज का नमूना

कॉपर खनिज का नमूना

एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित सीएमपीडीआईएल को स्वीकृत दामुडा ब्लॉक के दक्षिण में कोयला अन्वेषण परियोजना से जनित कोर लॉग
(वित्त वर्ष 2023-24 में ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की गई)

एनएमईटी निधि के अंतर्गत भूविज्ञान और खनन निदेशालय, नागालैंड द्वारा खरीदे गए यंत्र/ प्रयोगशाला उपकरण

टोटल स्टेशन

परावर्तित प्रकाश अनुसंधान माइक्रोस्कोप

डी.जी.पी.एस

डिजिटल कैमरा, ब्रंटन कम्पास, भूविज्ञानी हथौड़ा

ड्रिलिंग मशीन

श्री जी किशन रेड्डी, माननीय कोयला एवं खान मंत्री और श्री सतीश चंद्र दुबे, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री द्वारा ईएल धारकों को अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति पर योजना का विमोचन

श्री जोगेन मोहन, माननीय खान मंत्री, असम ने 28 जून, 2023 को आयोजित एनएमईटी की 5वीं शासी निकाय बैठक में भाग लिया

श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री, एवं डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग एनएमईटी की 5वीं शासी निकाय बैठक के दौरान चर्चा करते हुए

श्री वी.एल. कांता राव, सचिव (खान) की अध्यक्षता में 19 फरवरी, 2024 को आयोजित एनएमईटी की 33वीं कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान चर्चा

सत्यमेव जयते

खान मंत्रालय
भारत सरकार